राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का तृतीय दिवस [संख्या ३

बुधवार, ६ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११. ६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

सरकार द्वारा चालित कुचामन सिटी स्थित पॉवर हाउस से बिजली सप्लाई

५२. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कुचामन सिटी स्थित पॉवर हाउस सरकार कब से चला रही है ?

(२) क्या वहां बिजली की सप्लाई की व्यवस्था संतोषजनक है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उक्त व्यवस्था टीक करने की कोई कार्यवाही की है ?

(४) क्या उपरोक्त पॉवर हाउस सरकार को घाटा देता है ?

(५) अगर हां, तो सरकार द्वारा घाटे की पूर्ति हेतु क्या प्रयत्न किए गये ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) सन् १९५२ से ।

(२) सप्लाई संतोषजनक नहीं है ?

(३) अभी तक पॉवर हाउस सिर्फ गवर्नमेंट चला रही है । इसको स्थायी रूप से टेक ओवर करने का मामला गवर्नमेंट के पास विचाराधीन है । जब तक यह पॉवर हाउस सरकार न ले ले, इस पर खर्च नहीं किया जा सकता ।

(४) जब तक सरकार इस पॉवर हाउस को टेक ओवर न करले तब तक इसका प्रश्न नहीं उठता ।

(५) जैसा कि प्रश्न ५ के उत्तर में कहा गया है इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इस पॉवर हाउस को गवर्नमेंट चला रही है; फिर यह कहना कि इसको टेक ओवर नहीं किया, यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री भीखाभाई : सन् १९५२ में एक नोटिस जनता ने सरकार के नाम दिया था । उस समय सरकार ने यह तय किया कि एक मिस्त्री उसके संचालन के लिये अपना रखा जिसकी देख रेख में काम हो रहा है और जो आमदनी उसकी होती है, वह उस पर ही खर्च की जा रही है । उसको टेक ओवर करने का मसला कमेटी जो बनी है उसके विचाराधीन है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : रेस्पोन्सीबिलिटी चाहे हाफ हो चाहे पूरी हो, जब सरकार की देख रेख में काम होता है तो सरकार की ही है।

श्री भीखाभाई : इसको गवर्नमेंट चला रही है और मै यह कहूंगा कि बिजली की सप्लाई की पोजिशन पहले से संतोषजनक है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पहले के मुकाबले में संतोषजनक है मगर जितनी सुधरनी चाहिये थी उतनी अभी सुधर नहीं पाई है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द ।

श्री मानिकचन्द : टेक ओवर करने का यह प्रश्न कब से चल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास (विद्युत मंत्री) : इसके लिये एक अलग कमेटी मुकर्रर की हुई है। उसके अन्तर्गत टेक ओवर का मामला तय हो जायगा।

श्री मानिकचन्द कोठारी : नहीं, यह प्रश्न पांच वर्ष से सरकार के पास चल रहा है और इसका फैसला नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : खैर, पांच वर्ष से तो इसे लेने का नहीं चल रहा है, फाइव इयर प्लान में जब से रूरल वाली स्कीम है उसमें इसे लेने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री मानिकचन्द कोठारी : अगर लेने का नहीं चल रहा है तो सरकार ने पॉवर हाउस को किन शर्तों पर हाथ में लिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : सारा काम तो उनका जो स्टाफ है उसी से चला रहे हैं और सिर्फ एक आदमी गवर्नमेंट का है। बाकी वही स्टाफ है, सारा इन्तजाम उसी तरह का है; सिर्फ सुपरविज़न गवर्नमेंट का है।

श्री मानिकचन्द कोठारी : आपके यहां "संतोषजनक" की क्या परिभाषा है ? आपने अभी अपने उत्तर में कहा कि स्थिति पहले से संतोषजनक रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले से ज्यादा अच्छा इन्तजाम है। कम ब्रेकेज होते हैं; वोल्टेज वगैरह का हिसाब बिलकुल ठीक रहता है।

श्री मानिकचन्द कोठारी : माननीय अध्यक्ष, यह बात सही नहीं है कि पॉवर हाउस का पहले से ज्यादा अच्छा इन्तजाम रहा है। मैं वहां का ही रहने वाला हूँ और मुझे वहां की सब बातों का पता है। मैं कह सकता हूं कि स्थिति पहले से ज्यादा खराब है।

श्री रामकिशोर व्यास : तो यह तो सूचना आपने दी है। मेरी सूचना तो यही है कि स्थिति पहले से बैटर है। यही हमने पहले भी कहा कि स्थिति कम्पेरेटिवली और पिछले सालों से बैटर है।

श्री मानिकचन्द कोठारी : जैसा कहा गया है कि जब तक पॉवर हाउस को सरकार टेक ओवर नहीं कर ले तब तक सरकार उस पर नया इन्वैस्टमेंट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब यह हो गया कि जैसे स्थिति पहले के पांच–सात साल खराब रही वह आगे भी सुधारी नहीं जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पांच साल लगने का तो सवाल ही नहीं है। जो इस काम के लिए कमेटी बनाई गई है, यह काम

Page No.3

(श्री रामकिशोर व्यास)

उसके तहत है और सब काम ठीक हो जायेगा।

श्री मानिकचन्द कोठारी : तो क्या आशा करें कि इन्टरिम पीरियड में सरकार कुछ जल्दी ही उन्नति करेगी।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

डाक्टर चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, वे यहां सदन में उपस्थित नहीं हैं और इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना जरूरी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उन्होंने मुझे ऑथोरिटी दे दी है।

(प्रश्नकर्ता, श्री दयाकृष्ण विजय, के अधिकार-पत्र देने के पश्चात)

राजस्थान में कृषि-कॉलेज

५३ **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थित में) क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) राजस्थान में कितने कृषि कॉलेज हैं और वे कब से चल रहे हैं?

(२) क्या इन कॉलेजों के अतिरिक्त अन्यत्र भी कृषि सम्बन्धी शिक्षण दिया जा रहा है?

(३) क्या यह सही है कि कोटा स्थित एग्रीकल्चर कैमिस्ट एवं प्लांट पैथोलोजी विभाग, उदयपुर कॉलेज में स्थानान्तरित किए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(४) उदयपुर कॉलेज के पास शिक्षण हेतु इस समय किस क्षेत्रफल के कितने फार्म्स हैं?

(५) क्या सरकार को विदित है कि कोटा में राजस्थान के अन्य भागों की अपेक्षा उर्वरा भूमि अधिक मात्रा में उपलब्ध है? यदि हां, तो कृषि-कॉलेज के लिए कोटा को क्यों उपयुक्त नहीं समझा गया?

(६) क्या यह सही है कि जोबनेर कृषि कॉलेज उदयपुर कृषि-कॉलेज से अधिक पुराना तथा अधिक सुव्यवस्थित है? यदि हां, तो कोटा से दोनों विभाग पहले जोबनेर क्यों नहीं स्थानान्तरित किये गये?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(१) राजस्थान में निम्नलिखित कृषि कॉलेज हैं:—

(१) एस० के० एन० एग्रीकल्चरल कॉलेज, जोबनेर जो कि १९४७ से चल रहा है।

(२) राजस्थान कृषि—कॉलेज, उदयपुर, जो १ अगस्त, १९५५ से चल रहा है।

(२) जी हां, निम्न स्थानों पर :—
(१) एरिनपुरा
(२) कोटा
(३) उदयपुर
(४) सवाई-माधोपुर
(५) देवला

इसके अलावा सिरोही डिग्री कॉलेज में भी कृषि सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है।

(३) जी नहीं। सिर्फ उदयपुर ही भेजे जा रहे हैं। राजस्थान कृषि—कॉलेज में नहीं, शासकीय नियंत्रण कृषि विभाग का ही रहेगा। सरकार ने यह निश्चय किया है कि रिसर्च लेबोरेटरीज कृषि कॉलेज के समीप रखी जाये ताकि कॉलेज के विद्यार्थी भी उससे लाभ उठा सकें।

Page No.4

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(४) १६७.८६ एकड़ भूमि अवाप्त की जाकर कॉलेज को हाल ही में सौंपी गई है। बाकी करीब ४० एकड़ अवाप्त करनी शेष है।

(५) जोबनेर में कृषि-कॉलेज मौजूद होने की सूरत में राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में रहने वालों को भी कृषि कॉलेज की सुविधा मिल सके, इस विचार से नई कृषि कॉलेज को उदयपुर में खोले जाने का निर्णय किया और वहां पर कॉलेज खोलने के लिए ठीक सुविधा उपलब्ध थी।

(६) जोबनेर कॉलेज निश्चय ही उदयपुर कॉलेज से पुराना है परन्तु अधिक सुव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता। पहिले तो जोबनेर कॉलेज ठिकाने के प्रबन्ध में था परन्तु सरकार के हाथ में प्रबन्ध लेने के पश्चात इसकी व्यवस्था में समुचित सुधार किया गया है। एन्टोमोलोजी सेक्शन जोबनेर में स्थानान्तर किया गया है और उदयपुर में एग्रीकल्चर केमेस्ट्री व प्लान्ट पेथेलोजी स्थानान्तर किये गये हैं। यह तीनों सेक्शन्स संचालक, कृषि विभाग के शासकीय नियंत्रण में हैं न कि कॉलेजों के अधीन।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब कि कोटा में यह दोनों सेक्शन्स थे और कोटा में पहले भी था और फिर कोटा इस प्रकार का क्षेत्र है कि जहां एग्रीकल्चरल कॉलेज चल सकता है तो फिर कोटा में कॉलेज क्यों नहीं खोला जा सकता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : कृषि कॉलेज के लिये तो और भी कई दूसरी जगह हैं। बीकानेर में है, जेसलमेर में भी हैं और यहां होना जरूरी है। परन्तु कृषि कॉलेज सभी जगह तो नहीं खोले जा सकते हैं। जहां कॉलेज हैं वहां भी तो उर्वरा जमीन ही है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यहां कॉलेज होने से यहां के लोगों को काफी सुविधायें रहेंगी। यहां पहले से रिसर्च लेबोरेटरी भी मौजूद है।

श्री नाथूराम मिर्धा : रिसर्च लेबोरेटरी तो यहां अवश्य मौजूद थी परन्तु इसके सिवाय यहां और तो कुछ नहीं था। उसके तीन चार कमरे और हैं। दो-तीन ऑफिसर वहां रहते हैं। कई जगह हैं, जयपुर में भी है, जोबनेर में भी है। सिर्फ रिसर्च लेबोरेटरी के लिये वहां कॉलेज स्थापित किया जाय यह ठीक नहीं है।

डॉक्टर चन्द्रकला : क्या माननीय अध्यक्ष, यह सत्य है कि जोबनेर से कुछ विभागों को उदयपुर भेज दिया गया है?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल गलत है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह कहा जा रहा है कि जोबनेर के अन्दर ठिकाने के समय का प्रबन्ध ठीक नहीं था और उसमें कमियां थीं। तो इस विषय में मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि वह मेरा खुद का मामला था। लेकिन दस बारह वर्षों से यह संस्था कार्य करती रही और इसका रिज़ल्ट भी सेन्ट-परसेन्ट रहा है और मेरा निवेदन है कि जहां यह जरूरी बात हैं कि........

श्री अध्यक्ष : आप निवेदन के बजाय जानकारी पूछें तो ज्यादा अच्छा रहे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : बात तो एक ही है। एक तरह से अर्ज करना है कि इसमें माफी चाहता हूं। इसमें यही विचार है और जहां जानकारी का प्रश्न आता है आप फरमाते हैं........

श्री मूलचन्द डागा: ऑनए पाइन्ट आफ आर्डर सर, क्वेश्चन्स के मामले में निवेदन नहीं होना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : लेकिन यह सवाल इस तरह का है कि जिस पर हमें विचार करना चाहिये। यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट सवाल है और इसका मेरे जोबनेर ग्राम से सम्बन्ध है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहते है ठीक है। कॉलेज तो वहां था, है। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वहां कई नई चीजें बढ़ रही हैं। इसलिए जोबनेर कॉलेज में भी कुछ उन्नति हम कर रहे हैं। कुछ ज्यादा सेक्शन्स भी खोल रहे हैं। कुछ प्रोफेसर भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि पहले प्रबन्ध में किसी प्रकार की कमी थी या ठीक नहीं था।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह धन्यवाद की बात है। दो वर्षों में यह हो रहा है। मेरा तो इतना सा ही सुझाव था कि....

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री) : Mr. Speaker, Sir, it is a bad precedent that such statements are made. This question has been discussed on the floor of the House many times earlier and a detailed reply given by the Minister concerned. In the form of questions he can only elicit information from the Government side.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा यही निवेदन था कि जैसे सांभर के अन्दर सोडा आइस फैक्टरी का सवाल है। लेकिन यह सुझाव देना है कि कैमिस्ट्री इधर रहे तो कोई हर्ज नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जोबनेर कॉलेज में जो व्यवस्था की कमी है वह किस प्रकार की है और क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह कमी काफी हद तक पूरी हो चुकी है। स्टाफ के एक दो व्यक्तियों की कमी रही है और इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा है और इसके लिए प्रिन्सिपल साहब खुद दिलचस्पी ले रहे हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या जोबनेर कॉलेज के स्टाफ से कुछ व्यक्तियों का ट्रांसफर नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ट्रान्सफर्स तो हुए हैं। कुछ आदमी उधर के इधर आये हैं और कुछ इधर के उधर गए हैं और फिर कुछ स्टाफ नया भी लिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : जब कि वहां की स्थिति ठीक नहीं थी तो ऐसी स्थिति में जोबनेर से स्टाफ को उदयपुर क्यों ट्रांसफर किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ ने तो अपनी मर्जी से ही ट्रांसफर मांगा था कि हम उदयपुर जाना चाहते हैं और कुछ पी० एस सी० की सुटेबिलिटी थी और कुछ प्रोफेसर से प्रिन्सिपल हो गए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आयन्दा भी मर्जी से यदि कोई अधिकारी कहे तो क्या सरकार उसको वहां भेज देगी, भविष्य में क्या ऐसा हो जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब की मर्जी तो पूरी नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No.6

कुचामन नगरपालिका के वार्ड नम्बर १२ के उप-चुनाव की तिथि

५४. श्री मानिकचन्द कोठारी (जायल) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) कुचामन नगरपालिका के वार्ड नं० १२ का उप-चुनाव किस तारीख को हुआ और निर्वाचित सदस्य के नाम का प्रकाशन राज-पत्र में किस तारीख को हुआ ?

(२) उक्त सदस्य को सदस्यता की शपथ किस तारीख को दिलाई गई ?

(३) इतना विलम्ब होने का क्या कारण था और जिन अधिकारियों ने इतना विलम्ब किया है क्या उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी ?

(४) सरकार भविष्य में नगरपालिका के चुनावों के परिणाम के प्रकाशन में इतना विलम्ब नहीं किये जाने हेतु उचित कार्यवाही करेगी ?

उप स्वायत शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) उप-चुनाव दिनांक २३-६-५६ को हुआ था और सदस्य के नाम का प्रकाशन राज-पत्र में दिनांक ६-६-५७ को हुआ।

(२) दिनांक २८-६-५७ को।

(३) जिलाधीश से सम्बन्धित पत्रादि विलम्ब से प्राप्त हुए इसलिए नाम के प्रकाशन में देरी हुई। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(४) इस सम्बन्ध में सारे जिलाधीशों को आदेश प्रसारित कर दिए गये हैं कि चुनाव सम्पन्न होते ही तुरन्त सदस्यों को शपथ दिला दी जावे गजट में प्रकाशन होने की प्रतीक्षा न करें।

श्री मानिकचन्द कोठारी : आपने शपथ की तारीख कौन सी बतलाई ? यह आपने कच्ची शपथ की तारीख बताई या पक्की शपथ की ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शपथ तो एक ही तरह की होती है और वह हमेशा पक्की होती है, न कि कच्ची।

श्री मानिकचन्द कोठारी : २८-६-५७ को जो शपथ हुई वह कलेक्टर साहब ने कच्ची मानकर दूसरी शपथ दिलवाई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो आप ही जानकारी दे रहे हैं। हमारे पास तो ऐसी कोई इतिला नहीं है।

श्री मानिकचन्द कोठारी : यह मैं जानकारी दे रहा हूं। जब २८-६-५७ को एक बार शपथ दिला दी तो उसके बाद में कलेक्टर साहब ने यह कह दिया कि यह कच्ची है इसलिए दूसरी शपथ कराओ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं, वह पक्की है जो २८-६-५७ को दिलाई गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या शपथ में भी कच्ची पक्की होती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो मैंने कह दिया कि शपथ केवल पक्की ही होती है।

श्री मानिकचन्द कोठारी : उस शपथ को कच्ची मानकर सदस्य को बोर्ड में भी प्रवेश नहीं करने दिया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो कानून के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है। हो

(श्री पूनमचंद बिश्नोई)

सकता है कि किसी अधिकारी ने गलत कदम उठाया हो।

श्री किशनलाल शाह : अगर कोई गलत चुनाव हो गये हैं तो क्या उसके दुबारा चुनाव हो सकते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जिलाधीश कर सकता है, अगर गलत चुनाव हो गये हैं तो।

श्री मानिकचन्द कोठारी : यह चुनाव बारह महीने और तीन दिन पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से पिटीशन में खारिज हो गया है। लेकिन इन बारह महीने और तीन दिन तक इस सदस्य को बोर्ड की बैठकों में दाखिल नहीं होने दिया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने बताया न कि कोई गलत इन्टरप्रिटेशन ले लिया है।

श्री मानिकचन्द कोठारी : क्या कोई इस विधान सभा का सदस्य बारह महीने और तीन दिन बाहर रख दिया जाय तो यह ठीक है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ठीक नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस चीज में किसकी गलती है ? इस सम्बन्ध में जांच की जा सकती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, हो सकती है। जाँच हो भी रही है।

श्री किशनलाल शाह : क्या यह सही है कि पहले जिलाधीश ने कलेक्टर की हैसियत से शपथ दिलाई थी और बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत से ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों ही इस सिस्टम में एक ही व्यक्ति हैं और शपथ फोर्म भी एक ही है मेरे खयाल से कोई फर्क नहीं आता।

श्री किशनलाल शाह : कौन से कानून से कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : व्यक्ति एक ही है।

दिनांक १-६-५७ तक टूटे हुए तालाबों की संख्या एवं तद् जनित हानि

५५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) १. ६. ५७ से अब तक तहसील वाइज़ और ग्राम वाइज़ कितने तालाब टूटे हैं ?

(ख) उनके नुकसान का क्या अन्दाजा है और उनके वापिस रिपेयरिंग का क्या तखमीना है ?

(ग) क्या इनके टूटने की वजह की जांच कराई गई है ? अगर हां, तो किसके द्वारा और क्या रिपोर्ट आई ?

(घ) उपरोक्त तालाब किस किस एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर के सुपरविज़न में थे तथा इनसे कितनी कितनी भूमि आबपाशी होती थी ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.8

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची तो मेरे पास आ गई है, किन्तु मैंने प्रश्न का (ख) भाग पूछा है कि नुकसान का कितना अन्दाजा है और उनके वापिस रिपेयरिंग का क्या तखमीना है ? जहां रिपेयरिंग के लिए, मसलन १४ हजार रुपया दिया गया है और नुकसान आप बताते हैं १२५ एकड़ का; तो क्या यह चौदह हजार रुपये का ही नुकसान हुआ या कितना ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमने रुपयों का और मरम्मत दोनों का जवाब उसमें दे दिया है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची के अलावा भी तो प्रश्न के भाग हैं, जैसे किस गांव में कितना कितना नुकसान हुआ, क्या क्या वजुहात थे इनके टूटने के आदि दूसरी बातें भी तो पूछी गई थीं। अगर इन सब बातों की जानकारी सदन की मेज पर रख दी जा सकती है तो फिर प्रश्न करने की और पढ़ने की क्या जरूरत है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल इतना बड़ा था कि इसके उत्तर के पढ़ने में सदन का समय काफी व्यतीत हो जाता इसमें ३६ के करीब बातें हैं, सूची लंबी थी इसलिये सदन की मेज पर रख देना ठीक समझा गया।

श्री चन्दनमल वैद : आप यह तो बता सकते थे कि कितना कितना नुकसान हुआ, आपने इसको भी सदन की मेज पर रख दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी भी लंबी लिस्ट है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : किस किस वजह से ये टूटे, इसकी भी जांच करायी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह भी सूची में बता दिया गया है।

श्री चन्दनमल वैद : तो सप्लीमेन्टरी की कोई गुंजाइश ही नहीं रही ?

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य ने पूछा था कि उनको तो सूची मिल गई, उनको तो सप्लीमेन्टरी करने का मौका मिल ही गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय सूची में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि कौन कौन इन्जीनियर थे ?

श्री मूलचन्द डागा : सप्लीमेन्टरी सवाल तो हमें पूछने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष : अगर किसी प्रश्न की लिस्ट लंबी होती है तो वह सदन की मेज पर ही रखी जाती है, वह सबको सुनाई नहीं जा सकती।

श्री चन्दनमल वैद : इस प्रश्न का जो (ग) भाग है उसकी सूची तो लंबी नहीं हो सकती। इसमें एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर के नाम पूछे गये हैं। मेरे ख्याल से राजस्थान में तीन या चार से ज्यादा एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर्स नहीं होंगे। अगर प्रश्नों से अपने को बचाने का ही मन्तव्य है तो बात दूसरी है। इस भाग का तो उत्तर लंबा नहीं हो सकता।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब में सारी बातें लिखी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य को इस प्रश्न में ज्यादा दिलचस्पी है तो वे

(श्री अध्यक्ष)

इसके उत्तर को देख सकते हैं और फिर भी सन्तोष नहीं हो तो हाफ एन अवर डिसकशन रेज कर सकते हैं, इसके अलावा और भी तरीके खुले हैं। जिस प्रश्न की लंबी लिस्ट है उसको सदन में पढ़ा नहीं जा सकता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूची मुझे दी गई है उसको मैंने पढ़ा है, उसमें इन्जीनियरों के तो नाम नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : कहां का इन्जीनियर है, किस डिविजन का है वह बता दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुचामन सिटी से दांता रामगढ़ वाया चितावा तक सड़क निर्माण की योजना

५६. **श्री मानिकचन्द कोठरी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार का प्रथम पंच वर्षीय योजना में कुचामन सिटी से दांता वाया चितावा सड़क बनाने का कोई विचार था ?

(२) अगर हां, तो उक्त सड़क बनाने का कार्य क्यों नहीं शुरू किया गया ?

(३) क्या उक्त सड़क को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में रक्खा गया है ? अगर हां, तो इसका कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) नहीं।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(३) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

तहसील हिन्डोली जिला बूंदी में बन्ध निर्माण

५७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील हिन्डोली, डिस्ट्रिक्ट बूंदी में कोई बंध तैयार हो रहा है ?

(ख) अगर हां, तो यह कब शुरू हुआ था और अब इसकी क्या प्रगति है ?

(ग) इसनें किस किस डिस्ट्रिक्ट के कितने कितने ग्रामों और आसामियान की जमीनें डूब में आयी हैं ?

(घ) क्या जिन जिन की जमीनें, कुए, मकानात व किले डूब में आये हैं उनको दूसरी जगह आबाद कर दिया गया है और उनको मुआवजा दे दिया गया है ?

(ङ) अगर हां, तो किस किस तरह से, किन किन को और कितना कितना ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) तहसील हिन्डोली में गुड़ा, बून्दी का मोटड़ा व पेच की बावड़ी नाम के तीन बन्ध तैयार हो रहे हैं।

(ख) गुड़ा डेम का काम सन् १९५३ में शुरू हुआ था। मेन डेम का काम १९५६ में पूरा हुआ, किन्तु यह उसी वर्ष टूट गया। मरम्मत कराई गई किन्तु १९५७ में फिर टूट गया।

बूंदी का गोटड़ा का काम ५५ में शुरू हुआ था और करीब करीब समाप्त हो गया है, इससे सिंचाई इस वर्ष शुरु हो जावेगी।

Page No.10

(श्री भीखाभाई)

पेच की बावड़ी का काम १६५५ में शुरू हुआ था और काम समाप्त हो गया है। इसमें इस साल की खरीफ की सिंचाई शुरू हो गई है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ङ) सूचना प्राप्त होने पर दी जावेगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पहली बात तो यह है कि जो यह कहा गया कि सूचना एकत्रित की जायगी, जब काम सन् ५३ में शुरू हो गया था और आज सन् ५८ है, इस दर्मियान जितने कुए, बावड़ी आदि जो डूब गये उनकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं कर सके।

श्री रामकिशोर व्यास : आपको सूचना जिलों से मंगा कर देनी पड़ेगी, वह मंगाई गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : महीने महीने भर पहले सवाल भेज देते हैं फिर भी आप सूचना एकत्र नहीं कर पाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पूछा था कि कितने आसानियान हैं, कितने ग्राम हैं जिनकी जमीन डूब में आयी है, यह सैंकड़ों की तादाद में हैं उनको डिस्ट्रिक्ट से ग्राम वाइज़ मंगाने में देर हो जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सैकड़ों की जमीन डूब में आयी हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिनकी भी जमीन, कुआ आदि डूब में आया है उनको अभी तक कम्पेनसेशन नहीं मिला है।

श्री भीखाभाई : जब तक वाटर स्प्रेड का ही पता नहीं चले तब तक क्या दे सकते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पानी तो इतना भर गया था कि लोगों को बचाया गया फिर भी मालूम नहीं क्या ? अभी तक किसी को कम्पेन्सेशन नहीं दिलाया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप जल्दी ही कम्पेन्सेशन दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

चक ५१ आर. बी. तहसील पदमपुर में नया मोघा लगाना

५८. **श्रीमती सतवन्तकोर** (करनपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) चक ५१ आर० बी० तहसील पदमपुर में नया मोघा लगाने के लिये कब व कितनी रकम सिंचाई विभाग द्वारा जमा करवाई गई ?

(ख) आज तक मोघा न लगाये जाने का क्या कारण है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) नया मोघा लगाने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा १६२७ रुपये की रकम दिनांक ३१-८-५४ को जमा कराई गई।

(ख) चूंकि मोघा पानी पूरा ले रहा है इसलिए तब्दील करने की अब जरूरत नहीं रही।

श्री श्योपतसिंह : क्या कहा, मोघा नहीं बन रहा है ?

श्री अध्यक्ष : पानी जो मिल रहा है, इसलिये दूसरे मोघे की आवश्यकता नहीं रही है।

श्री श्योपतसिंह : पानी नहीं मिल रहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : पानी बराबर मिल रहा है इसलिये दूसरा मोघा लगाने की जरूरत नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : तो फिर रुपया क्यों जमा कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले नेसेसिटी थी इसलिये।

कुचामन सिटी से डीड़वाना की सड़क को मेटल्ड अथवा कोलतार की बनाने सम्बन्धी योजना

५६. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कुचामन सिटी से डीड़वाना को सड़क पर ट्रेफिक का आवागमन बहुत रहता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क की हालत बहुत खराब है ?

(३) यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क को कब तक मेटल्ड एवं कोलतार की बनाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) आज कल सभी सड़कों पर ट्रेफिक अधिक है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता। यह कार्य योजनानुसार १९५९-६० के आरम्भ में होने की आशा है।

चक ३८ एस. टी. जी. तहसील सूरतगढ़ की भाखड़ा कैनाल से आज तक हुई आबपाशी

६०. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चक ३८ एस. टी. जी. तहसील सूरतगढ़ की भाखड़ा कैनाल से आज तक कितनी आबपाशी हुई है ?

(ख) चक ३८ एस. टी. जी. का पानी कितने मीलों से आता है ?

(ग) क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग इस क्षेत्र में सिंचाई कार्य में असफल रहा है ?

(घ) क्या सरकार चक ३८ एस. टी. जी. के लिये सिंचाई का शीघ्र प्रबन्ध करेगी ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) इस साल चक ३८ एस. टी. जी. में माह सितम्बर तक १४७ बीघा आबपाशी हुई थी और उसके बाद जो हुई उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

(ख) इस चक के लिये पानी नहर से करीब पौने दो मील की दूरी से आता है।

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) इस चक की सिंचाई के लिये उचित प्रबन्ध किया हुआ है।

सन् १९५५ से ५७ में सरकार द्वारा बीज बोने के लिये अनाज वितरण

६१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) सरकार द्वारा फसल सियालू और उनालू के लिये बीज बोने के लिये अनाज सन् १९५५-५६-५७ में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ व तहसील वाइज़ कितना कितना वितरण किया गया तथा उसमें से सरकार को वापिस कितना अनाज के रूप में प्राप्त हुआ और कितना बाकी है ?

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

(ख) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में बीज की वसूली अनाज के रूप में न ली जाकर नकदी में ली गई ? अगर हां, तो किस आधार पर ?

(ग) क्या यह भी सही है कि काश्तकार एग्रीकल्चर ऑफिस में अनाज देने के लिए आये और उनको वापिस कर दिया गया ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) १२ जिलों के सम्बन्ध में तालिका संलग्न है।

बाकी जिलों से सूचना मंगवाई है।

(ख) उपरोक्त लिखित तालिका में है।

(ग) टोंक जिले में नाज के रूप में बीज की वसूली की गई है । पर जो काश्तकार माह जून तक बीज जमा नहीं करा देते उनके इकरारनामे के मुताबिक नकदी में वसूली की जाती है।

(घ) सिर्फ उस अनाज को वापिस किया जाता है जो बीज के लायक नहीं समझा जाता। उससे नकदी वसूल की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : तालिका तो मुझे आम तौर पर जैसे नहीं मिलती है, वैसे मिली नहीं है। आपने फरमाया कि सदन की मेज पर है, पर हमें तो मिली नहीं। आपने जो फरमाया उस पर निवेदन कर दूं कि आपने फरमाया कि जो बीज बोने के लायक होता है उसको लिया जाता है। वहां पर मैं भी मौजूद था। आप कलेक्टर से भी तलाश कर सकते हैं। वही बीज जो मिला, बोया गया, पटवारी की निगरानी से बोया गया, पटवारी की निगरानी में ही काटा गया। पर बाज-बाज सोइल तो ऐसी होती है कि चाहे जहां का बीज बोइये उसकी शक्ल बदल ही जाती है। अब वह शक्ल बदला हुआ बीज नहीं लें और कहें कि हमें तो, हमने जैसा दिया वैसा का वैसा दो, तो क्या यह पोसीबल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिल्कुल पोसीबल नहीं है, पर इसमें एक पर्सेन्टेज है जिसको हम अलाऊ करते हैं, जैसे १० या सात पर्सेन्ट तक उसमें शक्ल तबदील हो गई हो तो हम ले लेते हैं पर उससे ज्यादा बिगड़ गई तब रिफ्यूज़ करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एग्रीकल्चर विभाग जो बीज देता है, वही बीज बोया जाता है, उसमें भी अगर शक्ल बदल जाती है तो इसमें किसान का क्या दोष है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह विज्ञान का मामला है, आप भी इसे जानते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता) : इसकी जांच भी तो होती होगी।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसकी जिम्मेदारी किसान की फिर थोड़े ही है। उस विभाग की जिम्मेदारी है कि यह जानते हुए भी कि अगर इस सोइल में इसे बोने को दिया जावेगा तो वैसा ही उसका फल आवेगा तो दे ही नहीं और जब जानते हुए देते हैं तो उन्हें उसे वापिस लेना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिम्मेदारी तो किसान की भी है और एग्रीकल्चर विभाग की भी है। कुछ परसेन्टेज तक बिगड़ भी जाता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पर ज़्यादा पर्सेन्टेज बिगड़ जाए, जैसा कि हो जाता है,

Page No.13

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अतिवृष्टि से, ओलों से, या सूखे से, या समय पर पानी नहीं देने से या और कई कारण होते हैं उनसे, तो ऐसी बिगड़ी हुई चीज तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ।

श्री मदनसिंह (दांता) : इसमें कितनी पर्सेन्टेज् खराब थी इसकी रिपोर्ट आई आपके पास ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अमुक चीज के लिए तो सवाल पूछा नहीं था इसलिये मेरे पास यह इन्फोर्मेशन तो नहीं है ।

श्री मदनसिंह (दांता) : पर्सेन्टेज बताने में क्या हर्ज है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका अन्दाज क्या है ? पहले सवाल को ठीक तरह से आप देख लें तो फिर मेरे खयाल मे सप्लीमेंटरी ठीक पूछ सकेंगे ।

श्री मदनसिंह (दांता) : आपको पर्सेन्टेज कितना चाहिये यह बताने में क्या ऐतराज है ?

श्री अध्यक्ष : सवाल सब जिलों के बारे में है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई एक का नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह फरमा दीजिये कि नकदी के रूप में किसान से किस हिसाब से लिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह रेट वगैरह शर्तनामे में मुकर्रर होती है । जब बीज देते हैं तो एक शर्तनामा भरवाते हैं और उसी में सारे बीज की रेट भी लिखी जाती है, सूद की रेट भी लिखी जाती है और नकदी देना पड़े तो उसकी रेट भी लिखी जाती है, सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ठीक है । पर शर्तनामा भी हो जाता है और बीज एग्रीकल्चर ऑफिसर के सामने लेकर जाता है, पटवारी की निगरानी में सब काम करता है, उसी की निगरानी में काटता है, कोई ओले वगैरह भी नहीं पड़ते । जैसी खराबी गिनाई गई वैसी कोई खराबी भी नहीं हुई, पर फिर भी उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है । धोले बाजे गेहूँ बो दें आप वहां की सोइल में और वे ही वहां लाल काठे गेहूँ हो जाते हैं, इसका अब किसान क्या करे ? ऐसी हालत में अब अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर कहे कि सफेद ही दिलाओ तो वह कहां से लाए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बीज के इस तरह शक्ल बदलने के बारे में इतनी विज्ञान की जानकारी न आप रखते हैं और न मैं ही रखता हूँ । इसका एक स्टेन्डर्ड टेस्ट होता है जिससे वे वैरीफाई करते हैं कि कितना पर्सेन्टेज खराब है और कितना अच्छा है । इसके बाद में नियमानुकूल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है । तो इतने बाद में निर्णय किया जाता है । इसमें अगर कोई असन्तुष्ट है और किसी को शिकायत है तो शिकायत आने पर दूसरों से जांच कराई जाने की जरूरत समझी जाएगी तो दूसरों से जांच करा सकते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर एक्सपर्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर होना चाहिए । हम तो खुदकाश्त खातेदार हैं ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम कोडारला, जिला सिरोही के समीप बनास नदी के बन्ध निर्माण की सरकारी योजना

६२. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will

(श्री मोहब्बतसिंह)

the Irrigation Minister be pleased to answer:—

(1) When does the Government contemplate to start the work of Banas river dam near Kodarla in Pindwara Tehsil of Sirohi District ?

(2) What is the estimated cost of this project and what acreage of land would be irrigated by it on completion ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(1) It is contemplated to start the work of Banas River Dam in Sirohi District during the current financial year.

(2) The estimated cost of the project is Rs. 48,75,300/-. It is expected to irrigate 12864 acres annually.

टोंक से देवली जाने वाले मार्ग पर वर्णा ग्राम के नाले पर पुल का निर्माण

६३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि टोंक से देवली जाने वाले मार्ग पर वर्णा ग्राम के नाले पर पुल का निर्माण हो रहा है ?

(ख) अगर हां, तो यह कार्य कब और किसके द्वारा शुरू किया गया और इसका क्या एस्टीमेट है ?

(ग) क्या काम चालू है या सम्पूर्ण हो चुका है ? अगर नहीं, तो अब तक सम्पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सन् १९५४ से। श्री शिवबिहारी ठेकेदार द्वारा।

(ग) एस्टीमेट २,१०,०००) रु०। ठेकेदार की ओर से देरी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तैयार हुआ या नहीं अब तक ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया न ठेकेदार की तरफ से देरी हुई है। पीनाल्टी-बीनाल्टी की है उन पर, सजा दी है। काम चालू है। जल्दी खतम हो जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब से यह काम चालू है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठीक डेट तो मेरे पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं निवेदन करूं कि वह बड़ी इम्पोर्टेन्ट रोड है। मैं भी वहां से अभी आया हूं। वहां पर अभी तो कोई काम जारी नहीं हुआ है। इसकी इम्पोर्टेन्स को जानते हुये क्या माननीय मन्त्री महोदय इसे जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री जी हमेशा ही कहते हैं, जल्दी पूरी करेंगे पर आज भी टोंक-उणियारा की रोड नहीं हुई। पहली पंचवर्षीय योजना निकल गई और यह दूसरी भी चालू हुए साल भर से ज्यादा हो गया। यह वर्णा का पुल ऐसा है कि मिनिस्टर साहब को भी तीन-तीन रोज एक गांव में रहना पड़ा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिरोही जिले में सिंचाई कार्य

६४. **मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Irrigation Minister be pleased to state:—

What major and minor irrigation works are likely to be taken up in Sirohi District under the Second Five Year Plan.

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : The following works are proposed to be taken up under the Second Five Year Plan in Sirohi District:—

(a) Major Works- Nil.

(b) Medium works-1. West Banas.
2. Sukri Project.

(c) Minor Irrigation works.
1. Sukri Project.
2. Tokra Project
3. Kadambri Project.
4. Soliki Nal Project.
5. Ghanerao Tank.
6. Dehpura Tank
7. Markundeshwar
8. Raising of Mansarowar-Akhelao Bund.

श्री मोहब्बतसिंह : प्रथम वर्ष में कौन सी योजना लिये जाने को है ?

श्री भीखाभाई : इस साल तो जो मीडियम वर्क है उसको लिया जाना है। वेस्ट बनास का काम अभी लेना है । एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बकाया है ।

श्री मोहब्बतसिंह : सूकड़ी डैम का काम किस स्टेज पर है ?

श्री भीखाभाई : इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि इसके लिये एक कमेटी बिठाई गई थी ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

श्री मोहब्बतसिंह : उस कमेटी ने क्या सिफारिश की ?

श्री भीखाभाई : इसके सम्बन्ध में यह हो रहा है, सिफारिश के अनुसार डिजाइन तब्दील की जा रही है ।

श्री मोहब्बतसिंह : कब तक की जाने की योजना है और इस तब्दीली में कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री भीखाभाई : अभी विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या ६५

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचंद ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अनोपसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज मैं निवेदन करूंगा, लक्ष्मीचन्दजी सदन में मौजूद नहीं हैं इसलिए इस सवाल के बारे में बताया जावे तो मैं जानना चाहूँगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय का अगर हुक्म हो। (अध्यक्ष महोदय की ओर देखकर) अध्यक्ष महोदय का हुक्म है ।

डॉ० चन्द्रकला : Any member can ask a question.

श्री नाथूराम मिर्धा : No.

डॉ० चन्द्रकला : It is in our Rules of Procedure.

श्री अध्यक्ष : Any way this may be answered.

Page No.16

सांचोर—बलोतरा सड़क पर गत दो सालों में मरम्मत पर खर्च की गई धन-राशि

६५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सांचोर-बालोतरा सड़क किस श्रेणी की है और पिछले दो सालों में इसकी मरम्मत पर कितने रुपये खर्च किये गये ?

(२) क्या सरकार के पास इस सड़क का मेटल्ड रोड बनाने के मुतल्लिक सांचोर की जनता द्वारा कोई आवेदन भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : (क) यह मुरड (ग्रेवल) की रोड है। इस पर गत दो वर्षों में १८,८५०) रु० व्यय हुए हैं।

(ख) इस प्रकार का कोई आवेदन इस विभाग को आया हुआ प्रतीत नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम्पलॉयमेंट ऑफिसर की नियुक्ति के नियम

६६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) एम्पलॉयमेन्ट ऑफिसर कहां कहां पर नियुक्त हैं तथा उनकी नियुक्ति किस नियम के आधार पर की जाती है ?

(ख) अब तक कितने एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज खोले गये और किस किस जगह ?

(ग) नये एम्पलॉईज़ को लगाने के क्या क्या नियम रखे गये हैं ?

(घ) क्या डिस्ट्रिक्ट टोंक में भी कोई एम्पलॉयमेन्ट ऑफिसर नियुक्त हैं ? अगर हां, तो अब तक उस डिस्ट्रिक्ट में से कितनों को एम्पलॉय किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (श्रम मन्त्री): (क) राजस्थान में एम्पलॉयमेन्ट ऑफिसर निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

१. अजमेर, २. अलवर, ३. भरतपुर, ४. भीलवाड़ा, ५. जयपुर, ६. गंगानगर, ७. बीकानेर, ८. उदयपुर, ९. कोटा, १०. जोधपुर, ११. पाली, १२. सवाई माधोपुर।

(क) शैक्षणिक योग्यता : विश्वविद्यालय से बी० ए० परीक्षा पास हो और जिनको एक साल का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव हो।

(ख) जैसा कि (क) में बताया गया है।

(ग) नये एम्पलॉईज़ को एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज के द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों में से छानबीन करके योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है।

(घ) नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक को क्यों सब ही लोग भूल जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

श्री मोहब्बतसिंह : प्रश्न संख्या ६७।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं, वहां क्यों नहीं खोलते ?

श्री तेजमल बापना : भीलवाड़ा में कब शुरू हो गया, या केवल कागजों में ही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भीलवाड़ा के लिए इस साल शुरू हुआ।

Page No.17

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक में क्यों नहीं है, इसका कारण तो बता दीजिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आगे विचार किया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह निवेदन करता हूँ कि टोंक की पोपुलेशन अनएम्प्लॉयमेन्ट की वजह से कम होती जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पोपुलेशन कम है इसीलिए अनएम्पलायमेन्ट ज्यादा नहीं है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

शिवगंज जिला सिरोही के निवासियों द्वारा सिंचाई के लिए जवाई डैम से सहायक नहर की माग

६७. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Irrigation Minister be pleased to answer :

(1) Is the Government aware of the pressing demand for Jawai distributory canal for irrigation by the people of Sheoganj in Sirohi District from the Jawai dam ?

(2) When does the Government contemplate to meet this demand ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) ;

(1) Yes.

(2) Government are unable to undertake this work as it is an uneconomical proposition and will result in loss of irrigation under the right bank canal which uses all the wrters at present.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि सरकार की ओर से पहले इस विषय में आश्वासन दिया गया था कि जल्दी से जल्दी किया जावेगा।

श्री भीखाभाई : आश्वासन दिया गया था और उनके अनुसार जांच की गई, सर्वे और एस्टीमेट बने उससे पता लगा कि काफी खर्चा आता है। कमान्ड एरिया जो जवाई का० से है, ४६ हजार एकड़ था। जब जांच पड़ताल की गई तो २२-६-५६ को यह निर्णय लिया गया कि यह अनइकोनोमिक प्रोपोज़िशन है। दरअसल जोधपुर स्टेट ने जवाई की योजना जोधपुर रियासत के लिए ली थी और जब राजस्थान का फोर्मेशन हुआ तो सिरोही का प्रश्न पैदा हुआ। ओरिजनल योजना थी उसके अनुसार पानी की पिलाई नहीं हो सकती दूसरे का विचार नहीं किया जा सकता था।

श्री मोहब्बतसिंह : जो योजना बनी थी जोधपुर रियासत में तो राजस्थान बनने के बाद में योजना में तब्दीली नहीं लायी जा सकती थी ?

श्री भीखाभाई (उपमंत्री) : नीति में तब्दीली जरूर लायी गई और उसके अनुसार सर्वे की गई। इससे पता लगा कि काफी अनइकोनोमिकल है और इसके अलावा दूसरी बात यह हुई कि राइट केनाल के पानी से जो कमान्ड एरिया है उसको भी पानी नहीं मिलता और डाइवर्ट कर उसको लेफ्ट में लें तो दूसरा कन्स्टक्शन करना पड़ेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : प्रोजेक्ट तो तैयार हो चुका है या नहीं ?

(प्रश्न संख्या ६८)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचंद।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

Page No.18

गजसिंहपुर नगरपालिका के चुनाव की तिथि

६६. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) गजसिंहपुर नगरपालिका का चुनाव कब हो रहा है ?

(२) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने एस. डी. एम. करनपुर के विरुद्ध पक्षपात की शिकायत की है ?

(३) क्या सरकार एस. डी. एम की देखरेख में चुनाव न कराने का आदेश जारी करेगी ?

उप मंत्री (श्री पूनमचंद विश्नोई) :

(१) गजसिंहपुर नगरपालिका के आम चुनाव दिनांक १३-१०-५७ को सम्पन्न हो चुके हैं।

(२) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(३) जी नहीं।

(४) चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं अतः इस ओर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती सतवन्तकौर।

राजपुरा पंचायत के सर पंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

७०. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की जानकारी में है कि राजपुरा पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ है ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या यह सच है कि सरपंच बिना किसी कोरम के ही आज तक पंचायत का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उप मंत्री (श्री पूनमचंद विश्नोई) :

(क) जी हां दिनांक ६-१०-५६ को।

(ख) जी हां। इस प्रकार की शिकायत स्थानीय अधिकार को की गई है जिसकी जांच करवाई जा रही है। यदि शिकायत सत्य निकली तो सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ।

श्री धर्मराज : जांच कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री पूनमचंद : जल्दी से जल्दी पूरी हो जावेगी ?

एक माननीय सदस्य : शिकायत कब हुई थी !

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

समेजा नहर (जि० गंगानगर) को विकास इत्यादि हेतु सन् १९५१.५२ में भारत सरकार द्वारा ऋण

७१. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत समेजा नहर (जिला गंगानगर) के विकास एवं सुधार के लिये सन् १९५१-५२ से आज तक भारत सरकार द्वारा कितना ऋण राज्य सरकार को दिया गया एवं उसमें से नहर के विकास एवं सुधार पर अब तक कितना रुपया खर्च किया गया ?

उप मंत्री (श्री भीखाभाई) : अधिक अन्न उपजाओ योजना तथा शरणार्थियों के पुनर्वास

Page No.19

(श्री भीखाभाई)

के लिए भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को समेजा नहर (जिला गंगानगर) के विकास के लिये सन् १६५१.५२ में १५०००० एवं सुधार के रुपया का ऋण स्वीकृत हुआ था और इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये कुल १,१७,००० रुपया व्यय किया गया है।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि यह नहर नोन पेरेनियल है ?

श्री भीखाभाई : हां।

श्री भीमसेन : क्या इसका पेरेनियल बनाने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री भीखाभाई : प्रयत्न चल रहा है।

श्री भीमसेन : कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री भीखाभाई : यत्न चल रहा है तो पूरा होगा।

श्री शिवपतसिंह : क्या मंत्री महोदय ने कभी नहर देखी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ;

जवाई बंध के स्टोर का फिजिकल वेरीफिकेशन

७२ **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जवाई बंध के स्टोर का फिजीकल वेरीफिकेशन कब किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि वहां लगभग एक लाख रुपये का सामान गायब है ?

(३) सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) अप्रेल १६५७ में किया गया।

(२) नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : क्या यह सही है जो फिजिकल वेरीफिकेशन किया गया तो उसमें लगभग १ लाख नहीं तो कुछ कमी-बेशी पायी गई ?

श्री भीखाभाई : नहीं। यह वेरीफिकेशन किया गया था। सारा का सारा जोधपुर स्टेट का था उसको अकाउन्टिंग वगैहर जिस प्रकार से रखना चाहिये था वह नहीं रखा गया, वह कमी है।

श्री अध्यक्ष : निश्चित रूप से कितनी कमी है ?

श्री तनसिंह : मैंने स्टोर्स का फिजिकल वेरीफिकेशन पूछा है। क्या वहां ७० हजार रुपया के कोयले का अकाउन्ट नहीं था ?

श्री भीखाभाई : मैं अकाउन्ट का जिक्र कर रहा हूं। जोधपुर स्टेट में आमदनी हुई जिन २ चीजों की उस वक्त से बकाया चला आ रहा है।

राव राजा श्री सरदारसिंह : यह नहीं पूछा है कि उस वक्त से चला आ रहा है, निश्चित बता दीजिये कि कमी हुई या नहीं ?

श्री तनसिंह : ७० हजार रुपयों का कोयला वहां के अकाउन्ट में नहीं बताया गया, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : What is the actual shortage ! That is what the Hon ble member wants to know. Not the reasons for it.

Page No.20

श्री रामकिशोर व्यास : फिजिकल वेरीफिकेशन में कमी ज्यादा नहीं है। पहले के अकाउन्ट्स प्रोपरली मेन्टे नहीं होते थे, फिर बाद में होने लगे।

श्री तनसिंह : अप्रेल सन् ५७ में स्टोक वैरीफिकेशन हुआ, उसमें किस चीज के मूल्य में कमी-बेशी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास, यस :

श्री तनसिंह : इसके लिए तथ्य प्रस्तुत करूं तो क्या जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सूचना देंगे तो जरूर होगी।

रीजनल यातायात समिति, जोधपुर द्वारा १२ व १३ अगस्त को यातायात सहकारी समितियों को रूट अलॉटमेन्ट

७३ **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रीजनल यातायात समिति, जोधपुर द्वारा तारीख १२. व १३ अगस्त को हनुमानगढ़ गंगानगर मोटर रूट अलॉट करते समय कितनी यातायात सहकारी समितियों को रूट अलॉट किये गये हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि समिति द्वारा सहकारी समितियों को रूट अलॉट नहीं किये गये हैं ! यदि हां, तो क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) गणेश ट्रान्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को एक परमिट दिया गया।

(ख) नहीं।

(ग) रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी एक क्वाज़ी ज्यूडीशियल बोडी है जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील ए. टी. ए. में होती है। सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

प्रश्न संख्या ७४

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

फौजदारी मुकदमों के निर्णय में होने वाले विलम्ब के कारणों को जानने हेतु समिति का गठन

७५. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि फौजदारी मुकदमों के निर्णय में होने वाले विलम्ब के कारणों को जानने के लिये सरकार ने किसी समिति का गठन किया था ?

(२) यदि हां, तो उक्त समिति के कौन कौन सदस्य थे ?

(३) उपरोक्त समिति ने सरकार के पास जो सुझाव भेजे हैं वे सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

न्याय मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) इस समिति के निम्नलिखित सदस्य थे :

लॉ सेक्रेटरी

होम सेक्रेटरी

डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज, जयपुर,

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जयपुर

सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जयपुर

(३) सुझावों की एक प्रति इस उत्तर के साथ संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

Page No.21

श्री तनसिंह : क्या आपने यह फरमाया कि एक प्रति सदन की मेज पर रखदी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या आपको नहीं मिली ?

श्री तनसिंह : मैं वहां (नोटिस अफिस में) गया तो नहीं मिली।

श्री रामकिशोर व्यास : आप चाहें तो मैं पढ़ दूं।

श्री तनसिंह : लम्बा नहीं हो, यदि एक आध सुझाव हो तो उसको चरितार्थ करने के लिए कोई कदम उठाया हो तो बतादें ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें बहुत सा कोर्टस के बारे में था, बहुत सा पुलिस के बारे में था और बहुत से विटनेसेज़ के बारे में थे।

श्री तनसिंह : क्या ऐसे सुझाव भी हैं जिन्हें सरकार ने सही नहीं माना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जनरल सुझाव है। विटनेसेज़ की सर्विसेज़ में काफी वक्त लग जाता है। कई एड्जर्नमेंटस लिये जाते हैं। कुछ कोर्टस को सजेस्ट किये हैं, कुछ पुलिस को सजेस्ट किये हैं। गवर्नमेंट के विटनेसेज़ देर से पहुँचते हैं, उनको डाइरेक्शन्स भेज दी गई हैं।

श्री सरदारसिंह : कमेटी कब मुकर्रर हुई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : ४-५ साल पहले सन् १९५२ में।

श्री सरदारसिंह : सन् ५२ में सुझाव जो दिये थे वह कार्य रूप में आये या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि आ रहे हैं।

सरूपगढ़ कोटरा सड़क के निर्माण संबंधी शासकीय योजना।

७६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Public Works please state :

(1) Does the Government contemplate to take up the construction of Sarupgarh-Kotra road ?

(2) If so, when and what would be the estimated cost of this work ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) (1) The work is already in progress.

(2) The estimated cost of the work is Rs. 5,45,000/-

श्री मोहब्बत सिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि ये वर्क्स प्रोग्रेस में नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये वर्क्स प्रोग्रेस में हैं। उदयपुर रीजन (Region) में काम करीब २ खत्म हो चुका है और सिरोही की हद में जो सड़क पड़ती है उस हिस्से में भी अब हम चालू करेंगे। यह एक ही प्लान के अन्दर काम चलने वाला था और चल रहा है। वह पूरी रोड का है। इस हिस्से का काम अब चालू होगा।

श्री मोहब्बत सिंह : उदयपुर के अन्दर कितने मील का काम पूरा हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ११ मील का।

श्री मोहब्बतसिंह : और सिरोही के अन्दर कितने मील तक का काम हो चुका है और फिर छोड़ दिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सिरोही डिस्ट्रिक्ट की पोज़ीशन इस प्रकार है "There exists

(श्री नाथूराम मिर्धा)

a provision of Rs. 2,50,000 in the Second Five Year Plan for the road from Sarupganj to Khapanchi, Sirohi District. This road passes through hilly area where the cost of undertaking such works is heavy. It will cost about Rs. 3 lacs for 9½ miles which passes 4 miles through plain ground and 5½ miles through hilly area. The revised proposals are under consideration and if funds are available, the road shall be constructed by the end of 1960-61. Provision for this road for the year 1957-58 is Rs. 7,000/- and detailed estimates are under preparation. The question of this work, especially the yearly allotment, is fixed for the road development in Rajasthan by the Planning Commission, Government of India."

श्री मोहब्बतसिंह : इस साल बजट में कितना रुपया इस काम के लिए है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ७०००) रुपया बता दिया।

श्री मोहब्बत सिंह : यह काम सिरोही एरिया में कितने मील होकर कितने अर्से से छोड़ दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्जेट डेट तो मेरे पास नहीं है। जो इन्फार्मेशन मेरे पास थी वह मैंने आपको बता दी।

श्री मोहब्बत सिंह : यह सड़क ग्रेवल्ड रोड बनाई जा रही है या मेटल्ड रोड ?

श्री श्रीनाथूराम मिर्धा : उदयपुर के हिस्से में जहां प्लेन है वहाँ ग्रेवल्ड रोड बनाई है और इधर हिल्ली ट्रेक्ट में दूसरे किस्म की बनाई गई है।

श्री मोहब्बत सिंह : तो क्या यह सड़क आधी ग्रेवल्ड बनाई जायगी और कुछ हिस्से में मेटल्ड बनाई जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई रोड्स ऐसी हैं। जितना पैसा है वैसी ही बनाई जायंगी।

श्री मोहब्बत सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि इस हिली ट्रेक्ट में ग्रेवल्ड रोड बनाने से सरकार का पैसा खराब करना नहीं होगा, क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल कन्डीशन ऐसी है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् खोले गये नये अस्पताल एवं उनमें बेड्स

७७. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) राजस्थान बनने के बाद कहां कहां नये अस्पताल खोले गये और उनमें सरकारी खर्चे पर कितने बेड्स रखे गये थे, कितने अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई ?

(ब) बीकानेर के असोशियेटेड ग्रुप ऑफ हास्पिटल के विकास के लिये राजस्थान बनने के बाद कितना खर्चा किया गया ?

(स) सन् १९४८-४९ में उपरोक्त अस्पताल का कितना बजट था ? सन् १९५५-५६ व ५७ तथा १९५७-५८ में कितना बजट रखा गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (अ) राजस्थान बनने के पश्चात् जितने

Page No.23

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नये अस्पताल व डिस्पेन्सरियां खोली गई तथा उनमें जितने बेड्स रखे गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान बनने के पश्चात् १८ अस्पताल व डिस्पेन्सरियों में रोग शैयाएं बढ़ाई गई हैं।

(ब) ७२, ४६६ रु० ८ आना

(स) १९४८, १९४९ ६,७०,५४४ रु०

१९५५, १९५६ ११,१७,८०१ रु०

१९५६, १९५७ ११,६१,८०० रु०

१९५७, १९५८ १३१५, ८७५ रु०

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भीमसेन : यह जो बढ़ाई गई हैं वे किस आधार पर बढ़ाये गए हैं, जहां भी ऐसा किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकता के आधार पर।

श्री भीमसेन : आवश्यकता किस प्रकार की होती है। मरीजों के आधार पर बढ़ाए गये हैं या अन्य किसी और आधार पर ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आबादी और मरीजों के आधार पर।

एक माननीय सदस्य : मैं अर्ज करूं कि १९४९ में बीकानेर में कितने मरीज़ थे और उसके अनुसार दूसरे इलाकों में जहां कि बढ़ाये गये हैं वहां पर कितने मरीज़ थे, क्या इनकी संख्या बताई जा सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न अलग से करें तो अच्छा रहेगा।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि बीकानेर के लिए एक लेप्रोसी वार्ड और एक मेन्टल वार्ड के लिए मांग की गई थी, वे आज तक नहीं बने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक में बढ़ाये गये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टोंक में लोगों की तन्दुरस्ती अच्छी है इसलिए बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में वह कौन से अस्पताल है जिनमें बेड्स की संख्या सबसे अधिक बढ़ाई गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर में सबसे ज्यादा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कुल राजस्थान का सवाल है और आपने जो सूची दी है वह केवल प्रश्न कर्ता को ही। बहुत से सदस्य इस बात के लिये उत्सुक हैं। सब डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जायं तो हम शान्ति से बैठ जायं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सदन की मेज पर है, सब लोग देख लें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सूची सबको तकसीम कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

श्री भीमसेन : दो क्वेश्चन्स और पूछने हैं।

क्या यह सच है कि बीकानेर के लिये लेप्रोसी वार्ड और मेन्टल वार्ड की मांग चल रही है ?

Page No.24

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह प्लान में है। फाइव इयर प्लान में जहां जो कुछ होना है वह दिया हुआ है। उसमें यदि होगा तो जरूर हो जायगा।

एक माननीय सदस्य : बीकानेर में क्यों नहीं बढ़े हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आबादी के अनुसार बढ़े हैं बीकानेर में भी।

एक माननीय सदस्य : आबादी जयपुर में सबसे ज्यादा बढ़ी है क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कालन्दरी (जि० सिरोही) होती हुई सरूपगंज, सिलदार सड़क के निर्माण की योजना।

७८. **श्री मोहब्बत सिंह** (सिरोही) : Will the public works Minister be pleased to state:

Does the Government propose to take up the construction of Sarupganj-Sildar road via Kalandri in Sirohi district in the Second Five Year plan?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : No

श्री मोहब्बत सिंह : यह सेकन्ड फाइव इयर प्लान में क्यों नहीं लिया जा रहा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन सड़कों के लिए राशि इतनी कम है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में नहीं रखा जा सकता। अगले १९६०-६१ में हम इस सड़क की शुरूआत करना चाहते हैं। उसके लिये उस साल में हमने १० हजार रुपये का प्रोविजन रखा है। इसकी कुल टोटल एस्टीमेटेड कोस्ट १,५२,००० रु० हैं, इसलिए इस प्लानिंग में आखिरी वर्ष में इसकी शुरूआत करना चाहते हैं और बाकी को हमने थर्ड प्लान के लिए छोड़ रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

बीकानेर और कोटा डिविजन में आर. टी. ओ. कार्यालय खोलने संबन्धी

७९. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या बीकानेर एवं कोटा डिविजन में आर. टी. ओ. ऑफिस अलग से खोलने का निर्णय लिया जा चुका है? अगर हां, तो कब?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं।

It is not intended to open offices of R. T. Os. at Kotah and Bikaner. The proposal for constituting two separate R. T. As. at Kotah and Bikaner is under consideration of the Government and the approval of the Cabinet is being sought. The R. T. A. office at Bikaner and Kotah will be the Secretaries of the new R.T.A. and there will be no R. T. Os. at these two places.

श्री भीमसेन : यह प्रश्न कब से विचाराधीन है सरकार के?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब ३-४ महीने हुए हैं।

श्री भीमसेन : फैसला कब तक करने की योजना है।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोसीजर की पूर्ति करने की कोशिश चल रही है, गजट में पब्लिकेशन हो चुका है, ऑब्जेक्शन्स आ चुके हैं। उनको फाइनल करके इसको कानून के मुताबिक स्वरूप दे दिया जायगा जल्दी २०-२५ दिन में।

श्री धर्मपाल : कब तक दे दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २०, २५ दिन कहा न मैंने, आपने सुना नहीं।

टीन, सीमेन्ट एवं लोहे का जिलेवार वितरण

८०. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् १९५६. ५७ में सीमेन्ट एवं लोहे का जिलेवार कोटा कितना कितना व किस आधार पर दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सीमेन्ट, टीन एवं लोहे के कोटे का वितरण जिलेवार संलग्न तालिका में दिया गया है। वितरण जिले की आबादी को ध्यान में रख कर किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भीमसेन : यह जो वितरण किया जाता है वह मांग के आधार पर किया जाता है या जन-संख्या के आधार पर किया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनसंख्या के आधार पर जितना कोटा मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।

श्री भीमसेन : क्या बिना मांग भी जन-संख्या के आधार पर वितरण किया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सीमेन्ट, टीन आदि की मांग हरएक जिले की है, इसलिये जन-संख्या के आधार पर वितरण किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार इस प्रकार के वितरण से संतुष्ट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : संतुष्ट नहीं है लेकिन जितना कोटा मिलता है उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है।

श्री भीमसेन : वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिलेवार कमेटियां बनाई जा रही हैं।

श्री भीमसेन : कब तक सारे राजस्थान में ये कमेटियां हो जावेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर्स को आदेश दे दिया गया है कि लोकल एम. एल. एज. और नागरिकों को शामिल कर कमेटियां बना दी जांय।

श्री तनसिंह : यह आदेश कब दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आदेश कब दिया गया ?

श्री मदनसिंह (दांता) : क्या यह सही है कि सीमेन्ट में राख मिलाई जाकर बेची जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो एक्सपर्ट्स ही जानते होंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या इसका फ्रीसेल भी होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिटेल्स अभी नहीं बता सकता।

श्री धर्मपाल : क्या सरकार के ध्यान में है कि सीमेन्ट ब्लेक में बेची जाती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

कडाणा ग्राम में बंध का निर्माण

८१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कडाणा ग्राम में किसी बन्ध का निर्माण हो रहा है ? अगर हां तो इसका निर्माण राजस्थान सरकार करा रही है या बम्बई सरकार और इस बन्ध से राजस्थान को क्या क्या फायदे और नुकसान होंगे ?

(ख) क्या इस बंध के बारे में डि० बांसवाड़ा के ग्राम सेगड़ी, गलीपुर कोट इत्यादि के प्रतिनिधियों का कोई रिप्रज़ेन्टेशन सरकार के समक्ष पेश हुआ था ?

(ग) अगर हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उपमन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) जी नहीं। इस प्रकार की योजना बम्बई सरकार के विचाराधीन है। इस योजना द्वारा राजस्थान को होने वाले लाभ व हानि की जांच की जा रही है ?

(ख) जी नहीं।

(ग) इस सम्बन्ध में बम्बई सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री ने बताया कि बम्बई सरकार बना रही है और आप यह भी कहते है कि जांच की जा रही है। बम्बई सरकार द्वारा तैयार की गई योजना को आपने एप्रूव किया होगा और आपके पास प्रोजेक्ट आया होगा ?

श्री भीखाभाई : बम्बई सरकार जो योजना बना रही है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगाई गई है और सिंचाई विभाग उसकी छान बीन कर रहा है। इसके अलावा बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा बांध बनाने की अपनी स्कीम है और उसे भारत सरकार के पास भेजा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब तैयार हो गई ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान की स्कीम को तैयार हुए करीब ३४ महीने हो गये, उसे भारत सरकार के पास भेजा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजस्थान और बम्बई की दोनों की अलग अलग बनी है क्या ? कितने गांव डूब में आते हैं ?

श्री भीखाभाई : राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष बांसवाड़े में बांध बनाने की स्कीम बनाई और बम्बई सरकार ने कडाणा में बांध बनाने की योजना बनाई है। कितने विलेजेज़ डूब में आते हैं आदि सारी बातों की रिपोर्ट हमारे पास ओफिशियल ढंग से नहीं है। वैसे सब लोग जो उस एरिया में रहते हैं वे जानते हैं कि कितने गांव सबमर्ज होंगे। पहली रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन दूसरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार के पास ऐसे भी प्रार्थना-पत्र आये हैं, जैसे गलियाकोट में करोड़ों रुपयों की मुसलमानों की सम्पत्ति डूब जायगी या नहीं ?

Page No.27

श्री भीखाभाई : सरकार के पास कई रिप्रजेन्टेशन्स लिखित रूप में आये हैं और मौखिक भी बहुत आये हैं। सरकार इस ओर जागृत है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब सरकार जागरूक है तो बम्बई के एक्सपर्टस और राजस्थान के इन्जीनियर्स मिलकर निर्णय क्यों नहीं कर लेते ?

उपमन्त्री (श्री भीखाभाई) : It is a suggestion for action.

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मैं इस सिलसिले में आपकी जानकारी के लिए अर्ज करूं कि बम्बई की स्कीम का एक हिस्सा राजस्थान गवर्नमेन्ट के पास आया है और उसको एग्ज़ामिन किया है, बम्बई गवर्नमेंट से कंरेस्पोन्डेन्स हो रही है, अभी ३-४ दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के और बम्बई के सम्बन्धित मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई थी। राजस्थान के ३-४ गांव इसमें आते हैं। गलियाकोट की दरगाह इसमें नहीं आती है। कुछ हिस्सा आता है। आपस में मिलकर तय करेंगे।

जल बोर्ड के पास जीपें

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान जल बोर्ड के पास कुल कितनी जीपें थी और वे कितने रुपयों में खरीदी गई थीं ?

(ख) चुनाव से कुछ पहले उनमें कितनी जीपें किसे और कितने में बेची गई ?

उपमन्त्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (क) कुल २१ जीपें थीं तथा खरीदने में कुल १७४१३४।१५ लगे थे। जिनसे खरीदी गई उनकी सूची संलग्न है।

(ख) १६ जीपें कीमत १२६५५० रुपयों में बेची गई। जिनको बेची उनकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री तनसिंह : जो जीपें बेची गई वे क्या ओक्सन द्वारा बेची गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि न तो सरकार का पैसा इसमें लगा है और न नीलाम के बाद सरकार के पास पैसा आया था, इसलिए उसका हिसाब सरकार के पास नहीं है; क्योंकि आपने जानकारी चाही इसीलिए इस सम्बन्ध में जितनी जानकारी आई वह बता दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरकार का पैसा नहीं लगा तो किसका पैसा लगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वाटर बोर्ड का खर्चा लगा। प्राइवेट पार्टीज़ से ४ लाख रुपये चन्दा करके लाये थे। सरकार ने वितरण आदि का काम अपने जिम्मे नहीं लिया था। पब्लिक से पैसा आया और सीधा ही काम में लिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फरमाया कि पैसा सरकारी नहीं लगता है, आप अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी से दूर क्यों भागते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें रेस्पोन्सिबिलिटी हमारी नहीं थी। जीपें खरीदने, मेन्टेन करने आदि का काम हमारे जिम्मे नहीं था इसलिए हिसाब देने में हम मजबूर हैं।

श्री तनसिंह : क्या मन्त्रीजी यह बता सकते हैं कि रुपये राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने वसूल किया या निजी तौर से वसूल किया गया ?

Page No.28

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कलेक्शन करके लाया गया।

श्री तनसिंह : क्या कलेक्शन करने के लिए सरकार की तरफ से कोई गया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार द्वारा लोन लेने का निश्चित तरीका है, वह तो लोन फ्लोट करती है, बेग करना उसका काम नहीं है। यह तो प्राइवेट व्यक्तियों से आया था, लोगों ने चंदा दिया था।

एक माननीय सदस्य : जिला बोर्ड चालू है या बन्द हो गया ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जीप बेचने से जो रुपये आये उनका क्या हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके बारे में हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री तनसिंह : यदि आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो यह इन्फार्मेशन आपने कहां से पाई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वाटर बोर्ड से इतना सम्बन्ध तो हमारा है।

श्री तनसिंह : क्या उनके पास हिसाब रखने का तरीका नहीं है ?

श्रीपूनमचन्द बिश्नोई : उनके पास हिसाब का ठीक तरीका है। जो हमने उनसे पूछा उसका उत्तर इन्होंने दिया लेकिन हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कि ये बातें करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या वाटर बोर्ड के हिसाब की जांच ए० जी० के दफ्तर से होती है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बराबर होती है और उनका हिसाब सही निकला है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या प्राइवेट लोगों ने रुपये जल बोर्ड को दिये या प्राइवेट लोगों ने धर्म में दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनकी अलग कमेटी थी जिसने इकट्ठे किये।

श्री पुरुषोत्तमलाल : उस कमेटी का नाम क्या है ?

रावराजाश्री सरदारसिंह : जल बोर्ड की मोटरें जलबोर्ड के काम में आई थीं या जलबोर्ड के सेक्रेटरी यह कांग्रेस के इलेक्शन के समय काम में आई थीं ?

श्री अध्यक्ष : Please do'nt answer unauthorized questions.

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस कमेटी का क्या नाम है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री तनसिंह : समय कम है और सदस्य इसके बारे में जानकारी चाहते हैं लेकिन मन्त्रीजी के पास कंपलीट इन्फारमेशन नहीं है। इसलिए अच्छा हो कि मन्त्रीजी को मौका दिया जाय कि वे इस बारे में स्टेटमेन्ट दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट की डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसके मुतल्लिक सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा इसलिए उसका जवाब दिया गया।

एक माननीय सदस्य : क्या जल बोर्ड गवर्नमेंट बॉडी नहीं है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री तनसिंह : हमें मालूम नहीं कि सरकार का कितना सुपर्विज़न इस बोर्ड पर है और फाइनेन्शियल मेटर्स में किस हद तक जिम्मेदारी है, मेन्टेनेन्स किस हद तक है, खरीद-फरोख्त आदि का अधिकार किस तरह का है; ये सारी बातें हमको मालूम नहीं हैं। हम चाहेंगे कि डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दी जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट की तरफ से जो सवा करोड़ का लोन दिया गया है या जो रुपया गवर्नमेंट देती है उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। जीपों के बारे में बोर्ड का अपना इन्तजाम है।

श्री मदनसिंह (दांता) : क्या रुपये वापिस लिये जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार का इससे सम्बन्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार जलबोर्ड को समाप्त करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, शिव की ओर से रियायती मूल्य पर रेडियो देना

८३. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, शिव की ओर से किस किस गांव को रियायती कीमत पर रेडियो दिये गये हैं ?

(ख) रेडियो की खरीद और लाइसेंस के लिए क्या क्या सुविधायें सरकार की ओर से दी गई हैं ?

उप विकास मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, शिव से निम्नलिखित १२ गांवों को रियायती कीमत पर कॉम्युनिटी रेडियो सेट दिए गये :

(१) शिव
(२) गाडर रोड
(३) सुन्दर
(४) भीयोड़
(५) गुंगा
(६) हरसानी
(७) मेहुसर
(८) आरंग
(९) उन्डु
(१०) आलेवा
(११) गिराव
(१२) जेसल्वर

(ख) रेडियो की खरीद और लाइसेन्स के लिए निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं :

(१) इन रेडियो सेट्स की कुल कीमत का ५० प्रतिशत खर्चा केन्द्रीय सरकार द्वारा एवं २५ प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा बर्दाश्त किया जाता है। शेष २५ प्रतिशत खर्चा ग्राम वासियों द्वारा दिया जाता है।

(२) जो रेडियो विस्तार खंड द्वारा खरीदे जाते हैं उन पर ५० प्रतिशत राजस्थान सरकार खर्च करती है और ५० प्रतिशत ग्रामवासियों द्वारा दिया जाता है।

(३) लाइसेन्स के हेतु लाइसेन्स फॉर्म विकास अधिकारी द्वारा पोस्ट ऑफिस से रजिस्टर करवा दिया जाता है, जिसकी फीस पंचायत विकास मण्डल द्वारा दी जाती है। कॉम्युनिटी रेडियो सेट्स के लिए लाइसेन्स फीस में काफी रियायत है।

श्री तनसिंह : क्या यह सुविधा है कि ये रेडियो साल भर में खराब हों तो उनकी रिपेयर की जिम्मेदारी उस कम्पनी की है, जिसने सप्लाई किये हैं ?

Page No.30

श्री सम्पतराम : कम्पनी से जब खरीदे जाते हैं, तो प्रोपर आर्डर में देख कर खरीदे जाते हैं। यदि प्राइवेट आदमियों के रेडियो खराब हो जायेंगे तो उनको रिपेयर करने की जिम्मेदारी फर्म्स की तो नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिकली बता दीजिये कि क्या ऐसी शर्त है ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या जो रेडियो सरकार कम्पनी से खरीदती है उनको ६ महीने में रिपेयर कराती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जवाब तो देना चाहिए।

श्री सम्पतराम : हमारे पास तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं।

श्री अध्यक्ष : Please do'nt answer questions which are not allowed.

मंडी सूरजगढ़, जि० झुंझुनू में आयत व निर्यात माल पर कर वसूली

श्री लच्छूराम (मंडावा) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या झुंझुनू जिले के अन्तर्गत मंडी सूरजगढ़ में आयत व निर्यात होने वाले माल पर कोई टैक्स वसूल किया जाता है ?

(२ अगर हां, तो कितना और क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसा टैक्स व्यापार संघ नाम की एक गैर सरकारी संस्था वसूल कर रही है ?

(४) अगर हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार का टैक्स न देने वाले किसानों के माल, असबाब व ऊंट आदि रोक लिये जाते हैं और नीलाम तक कर दिये जाते हैं ?

(६) क्या सरकार इस विषय में जांच करा कर सख्त कदम उठाएगी ?

(७) अगर हां तो कब तक ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) झुंझुनू जिले के अन्तर्गत मंडी सूरजगढ़ म्युनीसिपल बोर्ड की सीमा से बाहर है। इस विभाग को यह सूचना नहीं है कि मंडी सूरजगढ़ में आयात व निर्यात होने वाले माल पर कोई टैक्स वसूल किया जाता है या नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।
(३) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।
(४) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।
(५) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।
(६) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।
(७) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री लच्छूराम : क्या आपने जो यह जवाब दिया है किसी जानकारी के बाद दिया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो कुछ कहा है; वह जानकारी के आधार पर कहा है।

वन विभाग का जनता में बकाया

८५ **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) वन विभाग का कब से लोगों में कितना कितना बकाया है ?

(२) इनमें से उन लोगों के नाम और पते बतावें जिनमें १००० रु० या उससे अधिक रुपया बकाया है ?

(श्री तनसिंह)

(३) यह भी बताया जावे कि यह रकम कब से बकाया है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) उपरोक्त सूची में अंकित है।

(३) यह भी सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट ७ का उत्तर देखिये)

श्री तनसिंह : इसमें फारेस्ट डिपार्टमेंट, धौलपुर के नाम पर ४४ हजार रुपये बकाया लिखा है, जब कि धौलपुर फोरेस्ट डिपार्टमेंट आपके फोरेस्ट डिपार्टमेंट में शामिल हो गया है। फिर ४४ हजार रुपया बकाया किसलिए दिखाया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह डिटेल्स मैं फिर आपको दूंगा। आप मुझे अलग से पूछलेंगे तो बता दूंगा। जितनी सूचना मेरे पास थी वह दे दी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वनविभाग का बकाया किस किस्म का है ? क्या यह शिकार खेलने की फीस है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कहीं ठेके का है, कहीं कोयले का बकाया है, कहीं लकड़ी का बकाया है। कई तरह के बकाया हैं।

श्री तनसिंह : वन विभाग का बकाया १९३५, ३६, १९३३, ३४ से है, इतने लम्बे अर्से से बकाया पड़ा हुआ हैं, खासतौर से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, इसकी वसूली में क्या अड़चन पड़ रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत से तो बुक एडजस्टमेंट के बकाया हैं। वैसे जितने पुराने केसेज हैं, उनको क्लिअर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक उनका रिकार्ड बिखरा हुआ था, उसको इकट्ठा किया, अब उसकी फहरिश्त बनाई है और रिकवरी की कार्यवाही चल रही है। वे सब केसेज अलग अलग स्टेज पर हैं। जितना ध्यान देना चाहिये वह दे रहे हैं।

श्री तनसिंह : इसमें जो इन्डीविजुअल्स बकाया है और जो अदा नहीं कर रहे हैं, एक कारण से अथवा दूसरे कारण से, क्या उनको भविष्य में ठेका नहीं दिया जायेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें देखा होगा कि अलग अलग कई ठेकेदार हैं, कइयों की सिक्योरिटी हमारे पास डिपाजिट है, उससे एडजेस्ट कर सकते हैं। जो करेन्ट आउट स्टेन्डिंग है, उसको क्रेडिट फेसिलिटी ध्यान में रख कर देना पड़ेगा। बहुत से ऐसे कॉन्ट्रेक्टर हैं, उनसे हमेशा के डीलिंग हैं। जिन लोगों से वसूल होना चाहिए उनके लिये एप्रोप्रियेट स्टेप लिया जा रहा है और जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मदनसिंह : चुनाव के दौरान में जिन ठेकेदारों ने मिनिस्टरों को मदद दी, उनको कर्ज चुकाने में कुछ सहूलियत दी जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह गलत है।

श्री अर्जुनदास एक दफा तो मान लो, कौन सी बड़ी बात है ?

(हंसी)

१२-१० म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने उनके

(श्री अध्यक्ष)

नाम के आगे निर्देशित दिन अनुपस्थित रहने के लिए आज्ञा चाही है :

१. श्री बृजेन्द्रपाल, वि० सं० २३ ४. ११. ५७ से १५. ११. ५७ तक

२. श्री जयसिंह रानावत, वि० सं० ६६ ४. ११. ५७ से ८. ११. ५७ तक

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

१२.११ म. प.

राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ विधेयक १९५७

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : Now Lgislative Business राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल क्लॉज बाई क्लाज डिस्कस होगा। क्लाज़ २।

श्री जगदीशप्रसाद : एक एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया था।

श्री अध्यक्ष : बहुत लेट आया था। श्री जगदीश प्रसाद का एक अमेंडमेंट क्लाज़ २ में है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम) Mr. Speaker, Sir last time when this Bill was being introduced and we had requested that the Bill be referred to the Select Commitee the Hon'ble Member-in-charge of the Biil had assured this House that he wili meet us in the Government Hostel, consult us and then each clause will be taken up on the floor of the House. I am very sorry to say that the Hon'ble Minister has not fulfilled his assurance that he gave on the floor of the House. I do'nt know if it is within his ordinary course to makeassurances and not to fulfil them. Here in this particular case he gave a categorical assurance but had not fulfilled it. As such this Bill may be deferred for a day before he is able to keep up his assurance that he has given to us, otherwise I will not be able to agree with the motion for taking the Bill into consideration clause by clause.

श्री बद्रीप्रसाद : (स्वायत्त शासन मंत्री) मैं स्पष्ट कर दूं। यह बात कही गई थी कि जो डिस्प्युटेड बातें होंगी उनके बारे में अलग बात करके उनको रिजोल्व कर लेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि सारा बिल ही डिस्कस होगा। वैसे मीटिंग कल से शुरू कर रहे हैं और जो डिस्प्युटेड बातें हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे और जो अनडिस्प्युटेड बातें हैं, उनको चलने दिया जाय। यह बिल सिलेक्ट कमेटी में होकर आया है, तो बात जरूर करेंगे The Government stands by the Commitment.

श्री अर्जुनदास : I understand that the Hon'ble Minister-incharge does not mean what he said.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I said then what I am saying now and I stand by it.

श्री अध्यक्ष : He says that only the disputed matters will be considered informally and not each and every clause.

Page No.33

श्री अर्जुनदास : Disputed clauses are those on which amendments have been tabled. There is an amendment on clause 2 and I am sure the Hon'ble Minister-in-charge will agree with us that he has never tried to meet us on the consideration of clause 2.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो डिसप्युटेड बातें हैं, we will discuss it here, ऐसा करने की कोशिश करेंगे और पहले भी किया था । आप अमेंडमेंट पेश कीजिये ।

श्री अर्जुनदास : We might refer to the proceedings of the last session when the hon'ble Minister-in-charge gave an unoonditional assurance on the floor of the House that he will meet us in the Government Hostel one night before this Bill will be taken into consideration on the floor of the house. But now he is going, let me say so, out of his commitment. Both things are quite contradictory. We are prepared to forgive him if he makes a request to that effect.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have made my poistion very clear. Last time when the Bill was being taken up some of the members desired that it should be referred to the Select Committee. Then I gave this assurance that all the matters will be brought before the House. The Government still stand to that, every clause will be considered separately.

श्री मदनसिंह दांता : अगर कोई गलती हो गई है, तो आप गांधीजी के सिद्धान्त को मानने वाले हैं, माफी मांग लीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह कन्ट्रोवर्सी तब हुई जब माननीय मंत्रीजी ने कहा कि एश्योरेन्स नहीं दी है, उन्होंने एश्योरेन्स दी थी । हमारे सम्माननीय मित्र यह कहते हैं कि दी थी । मैं समझता हूं कि असेम्बली प्रोसीडिंग हैं, उनको दिखवा लिया जाय, कि एक्चुअली क्या बात है और क्या पोजीशन है ?

श्री अध्यक्ष : This controversy should not hold up the discussion on the Bill. Shri Jagdish Prasad to move his amendment.

आप बोलिये । The amendmeut is taken as moved.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक नया बिल आया है....

श्री नरोत्तमलाल जोशी : We have not been able to follow what the amendment is? Although I tried to go into the clauses and the amendments but I could not find which is the fourth line of the clause. So he should make us understand this. The amendment copies are with us.

श्री अर्जुनदास : I fully agree with what the Hon'ble member has said just now. Before he (Shri Jagdish Prasad) tries to explain I will request that he should be permitted to read out the amendment for the benefit of those who have not been able to get the copies of the amendment lists.

Page No.34

श्री जगदीशप्रसाद : The Hon'ble Speaker has said that my amendment has been taken as read.

श्री अध्यक्ष : अमेंडमेंट की लिस्ट सर्कुलेट हो गई है। माननीय सदस्य चाहें तो अमेंडमेंट रिपीट करें। लेकिन ठीक यह होगा कि अमेंडमेंट रिपीट न करें। यदि रिपीट न करने से असर पड़ता हो तो क्लॉज़ से स्पष्ट कर दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बहुत से सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते हैं। अगर ये अमेंडमेंट बोल देंगे तो उन्हें भी मालूम हो जायगा।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ दो का जो पार्ट 'बी' है, उसकी चौथी लाइन इस से प्रकार।

"uuder this Act and all municipalities constituted, members nominated, appointed or elected..."

इसके अन्दर मेरा इस प्रकार से सुझाव है कि जो शब्द 'Members nominated, appointed or' 'limits defined' should be deleted.

अध्यक्ष महोदय, इस बिल की यह मंशा है कि आयन्दा जो म्युनिसिपेलिटीज़ बनें उनके अन्दर सदस्यों के नोमिनेशन की प्रणाली है, जिसके कारण से आज तक सरकार इस प्रकार के अधिकारों द्वारा, सरकारी पक्ष द्वारा इस प्रकार की धांधली की गई है, कान्स्टीट्यूशन के अन्दर उसको समाप्त कर दिया जाय। इस बिल के आने से यह तय हो रहा है कि इस प्रकार के नोमिनेशन की प्रणाली खत्म कर दी जायगी तो पहले की जो म्युनिसिपेलिटीज़ चली आ रही हैं उनमें नोमिनेटेड एण्ड अपोइन्टेड किस प्रकार रखा जा रहा है ?

अभी इस प्रकार के उदाहरण हमारे पास आये हैं कि किशनगढ़ में म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन्स हुए उसमें ६ विरोधी दल के सदस्य आये और ६ सदस्य कांग्रेस दल के आये। अब यह सरकार के हाथ में रह गया कि किसको सत्ता सौंपे और जब तक कि वे इलेक्शन्स नहीं हो जायं, तब तक के इस म्युनिसिपैलिटी के अवधिकाल में यही बोर्ड कार्य करता रहे। सरकार के हाथ में यह सत्ता रहने से, इस प्रकार के नोमिनेशन के अधिकार रहने से सरकार ने इस प्रकार के लोगों को नोमिनेट कर दिया कि उससे विरोधी पक्ष अल्पमत में आ गया। तो इस प्रकार के शब्दों का इस एक्ट के अन्दर रहना सरकार को अधिकार देता है कि कुछ दिनों के लिए धांधली चलावे। इस एक्ट की मन्शा से, इस एक्ट के बनने के बाद जो व्यक्ति म्युनिसिपेलिटीज़ के सदस्य नहीं रह सकते वे इस एक्ट की मंशा के विपरीत इस प्रकार का अधिकार सरकार के हाथ में देने से, केवल सरकारी आदेश से आयन्दा आने वाले समय में सदस्य रह सकेंगे।

इसके आगे लिमिट डिफाइन की है, यह बिलकुल गलत है। लिमिट से म्युनिसिपल-लिमिट का मतलब भी निकल सकता है और लिमिट के माने यह भी हो सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना हो, तो यह सारी एम्बिग्युअस टर्म है। इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाना चाहिये।

इस प्रकार मैं अपने ये दो अमेडमेंट्स रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपके दो अमेडमेंट्स और हैं उनको भी पेश कर दें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एक का उत्तर मिल जाय तो ठीक रहेगा।

Page No.35

श्री पूनमचन्द (उपमन्त्री) : एक क्लॉज पर जितने अमेंडमेंट्स हैं उनको एक साथ पेश कर दें तो ठीक रहेगा।

श्री अर्जुनदास : Do you want to reject them whole-sale ?

श्री अध्यक्ष : He wants to reply to them whole-sale.

श्री अर्जुनदास : The only idea in moving the amendments as a whole appears to reject them wholesale, otherwise there cannot be any idea.

श्री अध्यक्ष : He can accept if he finds them acceptable.

श्री अर्जुनदास : I do not think so.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इसके ऊपर जितने मेम्बर हैं सब बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : जो सपोर्ट में बोलना चाहें वह बोल सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो क्या सारे मेम्बर्स एक साथ अपने-अपने अमेंडमेंट्स पेश कर दें?

श्री अध्यक्ष : एक क्लाज् पर जो आपके अमेंडमेंटस हैं वे सब आप पेश कर दें। इस क्लाज् पर जिनके और अमेंडमेंटस हैं वे सारे मेम्बर्स अपने अमेंडमेंट्स मूव कर दें, सपोर्ट में जो बोलना चाहें बोल दें और फिर एट सीरियेटम मिनिस्टर इन्चार्ज जवाब दे दें और फिर डिसीज़न हो जाय। कई अमेंडमेंटस हैं........

श्री अर्जुनदास : that we can take the amendments one by one and if possible the Minister-in-charge may agree. If they are replied together, we will not be able to understand the whole thing.

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य सपोर्ट करना चाहें, तो हर एक के ऊपर अलग अलग, इससे यह अच्छा है कि, जितने अमेंडमेंटस एक क्लाज् पर हैं एक साथ पेश कर दें, जो सपोर्ट में बोलना चाहें बोलें और फिर सब का जवाब दे दिया जाय। इससे सदन का टाइम भी बचेगा और सहूलियत भी होगी।

श्री अर्जुनदास : We will not be able to do proper justice to it.

श्री अध्यक्ष : I do not think so.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक साथ मूव होते हैं इससे सहूलियत भी रहती है, नहीं तो एक एक को मूव किया जायगा, उसका जवाब दिया जायगा फिर उस पर बोलेंगे....

श्री अर्जुनदास: Each amendment is separate by itself. One amendment may have anything to do with the other amendment. If the two amendments are identical they may be taken together. If they are on the same subject and on the provision they may be taken together, otherwise they are altogether separate.

श्री अध्यक्ष: I think it will be better if we take all the amendments together.

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद।

Page No.36

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस प्रोविज़न में मेरा दूसरा संशोधन इस प्रकार है कि ये शब्द : "so far as may be, unless the State Government directs otherwise" डिलीट कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष : यह तो इसमें है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) इसी में है। इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा पिछले जितने कानून हैं उन्हें रिपील कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पॉवर्स सौंपते हैं:

"so far as may be, unless the State Government directs otherwise."

इस प्रकार के डिस्क्रिशनरी पॉवर्स दे रहे हैं कि सरकार चाहे तो, ये इस प्रकार के शब्द हैं कि इस प्रकार के अधिकार वर्तमान सरकार के हाथ में रख दिये जायं तो.... what it will do ?

न मालूम क्या कर देगी। इस प्रकार के अधिकार मिलने पर सरकार, जिन म्युनिसिपैलिटियों में विरोधी दल का बहुमत है, वहां इस प्रकार के स्क्रिशनरी पॉवर्स को बिलकुल विरोध में काम में लायेगी। कुचामन से आये हुए माननीय सदस्य ने जैसा कि बताया, इसका कोई एक उदाहरण नहीं कि एक म्युनिसिपैलिटी में विरोधी दल और कांग्रेस में एक सदस्य का कम्पीटिशन चल रहा था और सरकार को मालूम था कि एक साथ चूंकि उसके खिलाफ इलेक्शन पिटिशन चल रही है, वह हारेगा ही, एक साल तक उसे बगैर शपथ दिलाये चलाती रही। इस प्रकार सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं। तो जिन म्युनिसिपैलिटीज़ में विरोधी दल के सदस्य बहुमत में आयेंगे उनके खिलाफ अधिकांश रूप से वह पॉवर इस्तेमाल में लाया जायगा। इसलिये इन शब्दों को तुरन्त ही इस एक्ट से हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपके अमेंडमेंट सीरियल नं० २ और तीन हैं, वे भी मूव कर दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बहुत जरूरी हैं, वे तो कर दिये।

श्री अध्यक्ष : एक क्लॉज़ के सब एक साथ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरे अब सब क्लॉज़ (बी) पर हैं।

श्री अध्यक्ष : और कितने अमेंडमेंट्स हैं इस पर ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्री तनसिंह जी का है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट है कि क्लॉज़ २ के प्रोविज़ो में इस प्रकार कर दिया जाय :

"Insert the words 'or assessed fees fixed' between the words taxes imposed' and 'contracts entered' occurring in line 7 of part (b) of the proviso" और दूसरा अमेंडमेन्ट मेरा इस क्लाज़ में यह है, 'May' के बजाय 'Shall' कर दिया जाय।

मेरा पहले एमेन्डमेंट का अभिप्राय यह है कि सरकार ने इस कानून को लागू करने के साथ यह प्रोविज़न किया है कि पहले की म्युनिसिपैलिटीज़ के जो कानून हैं, वे सब रीपील हो जावेंगे और उसके साथ जो उस समय काम किया गया वह सब जायज माना जावे। यह इस क्लॉज़ का मतलब है।

(श्री जनसिंह)

जब यह सारी बातें जो उसके अन्तर्गत की गई हैं जायज मानी जावेंगी, तो टैक्सेज़ इम्पोज्ड वे तो जायज माने जावेंगे; ठीक है और जो एसेस कर दिये गये, खर्चा करके मकानों की लिस्ट बनाई और वेल्यूएशन किया और एजुडिकेशन (Adjudication) किया और एतराज सुन लिये वह सारा प्रोसेस दुबारा करना पड़ेगा। जो एसेस किया गया है वह जायज नहीं माना जावेगा और वह दुबारा करना पड़ेगा और उसकी फीस फिक्सड, फीस की कोई बात नहीं आई है। यह कानून के अन्तर्गत है, कोई भी इस कानून के खिलाफ नहीं है, ऐसी जो फीस है वह जायज मानी जावे, यही मेरे संशोधन का अभिप्राय है।

दूसरा मेरा अमेंडमेंट क्लॉज़ डी में है। यदि इस क्लॉज़ के अन्तर्गत कोई लोग नहीं आते हैं और कोम्युनिटीज़ जिसके लिए सीटें रिज़र्व हैं और जिनकी आवश्यकता है, तो ऐसी हालत में सरकार की इच्छा पर बोर्ड बदल दिया जा सकता है और सरकार इसका पुनर्गठन कर सकती है। अतः अगर 'May' की जगह 'Shall' लगा देते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि जितने नोमिनेटेड सदस्य हैं उनका चुनाव करा दें। क्या सरकार इस बात को छिपाना चाहती है? यदि सरकार की यही मन्शा हो कि 'नोमिनेटेड' की जगह 'इलेक्टेड' करवाया जावे तो ऐसी स्थिति में यह बात कुछ ही बोर्डों के लिए क्यों लागू रहे और दूसरी जगह क्यों न रहे? इसलिये मैंने 'May' की जगह 'Shall' रखा है और इससे सरकार पर यह आवश्यक हो जावेगा।

अभी मेरे मित्र ने जो अमेंडमेन्ट मूव किया उससे मेरा मतभेद है। आपने जो अमेन्डमेंट मूव किया और उसके सपोर्ट में जो दलीलें दीं, वे जिस इन्ट्रेस्ट को हम देखते हैं, उसके विरुद्ध पड़ती हैं। आपने कहा कि "लिमिट्स डिफाइन्ड" को हटा दिया जाय। क्या इससे आपका यह मतलब है कि सारी लिमिट्स को रद्द कर दिया जावे और लॉ में जो 'डिफाइन्ड' है उसको रीपील कर दिया जाए। ऐसा करने से म्युनिसिपैलिटीज़ को दुबारा मेहनत करनी पड़ेगी और म्युनिसिपैलिटी ने जो पहले काम किया है वह दुबारा करना होगा और म्युनिसिपैलिटी में हैं उनको अनावश्यक परेशानियां होंगी और कई बातों को करने का मौका मिलेगा और अनावश्यक पचड़ा ही होगा जो टाला जा सकता है। 'टाइम लिमिट' से मैं समझता हूँ कि बाउन्डरी का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये यह अनुचित साबित होता है।

"Unless the State Government otherwise directs."

इससे जो अभिप्राय मौजूदा निकलता है उससे तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी करेगी वह इस कानून के अन्तर्गत जो चीज है, जो भावना है, वही करेगी और जब कोई गलती होगी उसी समय करेगी। इसी प्रकार दूसरा एमेन्डमेंट है वह भी मेरा खयाल है, जिन माननीय सदस्य ने रखा है, मैं विरोधी पक्ष की बात कह रहा हूं; उनके कहने का कारण है, वह ठीक हो सकता है और मैं समझता हूं कि उन्होंने उसको पढ़ने में ठीक तरह से न पढ़ा हो या कोई गलत फहमी हो गई है।

जब बोलना ही है तो इसके आगे भी जो संशोधन regarding nominations, का है, इस पर जो एमेन्डमेंट इसको हटाने का रखा, हटादिया जाता है तो जितने भी नोरमल बोर्ड हैं, वे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। यदि अभी मैंने

Page No.38

(श्री तनसिंह)

जो 'May' की जगह 'Shall' का एमेन्डमेंट रखा है, मंजूर हो जाता है तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि रिज़र्व सीट के अलावा चुनाव कराऐं। जो सीटें रिजर्व हैं, वे रिजर्व रखनी चाहिये। रिकॉन्सटीच्यूशन के लिये (डी) में प्रोविज़न है। ऐसी स्थिति में मैं इसका भी विरोध करता हूं।

श्री अर्जुनदास : (अजमेर-पश्चिम) Sir, from this present Bill it is very clear that the policy of the Government is that hereafter they will have no nominated member on any Municipal Board. It is clear from this Bill. Of course this point is such that on it there cannot be any two opinions. We can quite agree that there should be no Municipal Commissioner or members anywhere in Rajasthan who should be nominated. But the position so far as the other Committees which have been constituted, before this Act will come into force is not clear legally' I think. The present clause 2 deals with only those Committees which have been constituted before this Act comes into force i. e. Committees, the elections where of have already taken place before the coming into force of this Act. What is really the position with regard to those Committees, I think, is not clear by this clause 2 at all. At least I would like to request the Hon'ble Minister in charge of this Bill to make himself clear as this clause is not clear at all. If the position is, what I have stated now, there should be a change in the phraseclogy so that we might understand it more clearly. Let the Minister concerned consult the Legal Department and tell us clearly what he really means by it. I will put him two questions. There is a certain Committee the life whereof is 3 years. They have been elected about a year or two before this Act comes into force. Let me put it more clearly. The Ajmer Municipal Board exists for the last three years. Will the life of this Board continue after the coming into force of this Act ? Would the life be extended for four years ? The position should be clear in law.

Secondly, what will be the position of the nominated members. Those Committees, the elections whereof have already taken place, will they continue to function as nominated members or will they cease on the day when this Act comes into force ? Now the Policy of the Government seems to be to quit all those members who have been nominated so far, as soon as this Act comes into force. Exactly that is the suggestion which is being made by the Hon'ble Member from here and I think we should agree and I expect that every Hon'ble Member will agree on this point at least that the moment this Act comes into force all the nominated members of every

(श्री अर्जुनदास)

Committee in Rajasthan or every Municipal Board in Rajasthan shall stop or should cease as Municipal Commissioners thenceforth. If that is the idea, of course it will be better to change the phraseology, but if the Hon'ble Minister means to suggest something else, of course let him make us understand as to what he really means before we proceed further? To me it is not clear according to law. So we ask the Hon'ble Minister as to what he means by it? If he says that the nominated members ought to go then there does not remain any dispute. Here they don't mean what they say.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री) : I shall explain all this in my reply.

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दें तो क्लेरीफिकेशन हो जायेगा, नहीं तो कहाज का मतलब क्या है, यह स्पष्ट नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The fact is that the Hon'ble member is misplacing the entire thing. Nomination shall be dealt with in other clauses. This is a continuance clause so that the work may not be dislocated. In each and every clause there is a continuing and repealing provision so that the work may not suffer on account of the introduction of the new legislation and it may not disturb the entire system. So a change-over is provided. When the continuing body comes to the end of its term, automatically the new system will come into being.

श्री अध्यक्ष : यही तो पूछना चाहते हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Ordinarily it should continue.

श्री अर्जुनदास : The period of the Ajmer Municipal Committee will be four years or three years, What shall be the position?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is a question of interpretation. The continuance is according to the old law because the remaining term shall be counted and thereafter it shall be according to the new law.

श्री अर्जुनदास : You are trying to evade the issue.

श्री अध्यक्ष : He says it will not be four years.

श्री अर्जुनदास : The period shall be three years.

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री अर्जुनदास : How can that be possible, Sir? As soon as you say that the old committee shall be deemed to have been constituted under the new Act then the position changes. Please consult your legal department officers before you are asked to answer my question.

(श्री उपमंत्री के पुन: खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : No further discussion, you have already clarified.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल और तनसिंह साहब ने और दूसरों ने जो अमेंडमेन्ट मूव किया है, उस सिलसिले में मैं बोलना चाहता हूं। मेरे ख्याल से जिस पर्पेज़ से वह अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं उनका अमेंडमेंट उसी पर्पेज़ को डिफीट करता है, याने उसको कमजोर बनाता है। एक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि अजमेर म्युनिसिपैलिटी का क्या होगा ? अजमेर म्युनिसिपैलिटी के इस एक्ट के आने के बाद में चार साल तक इसी रूप में रहेगी या नहीं। इस क्लॉज़ में जो अमेंडमेन्ट लाया गया है, इसको डिलीट करने के लिये, तो इस बात से हम उसको सेफ कर सकते थे। यह जो हम कानून पास कर रहे हैं, इसके मुताबिक अजमेर म्युनिसिपैलिटी का रीकॉन्सटीट्यूशन होना चाहिये। तो जो वहां लिखा है 'so far as may be' & 'unless the State Government directs otherwise' यानी जो हम यह इनेबलिंग क्लॉज़ बनाते हैं तो उसमें यह प्रोवीज़न रखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझेगी तो इसके अन्दर हेर-फेर कर सकती है। यानी म्युनिसिपैलिटी के स्टेटस को मेन्टेन करने के लिए हेर-फेर कर सकती है। अजमेरम्युनिसिपैलिटी जो कि पुराने कानून के अनुसार बनी हुई है और इस एक्ट के अमल में आने के साथ साथ उसका पीरियड तीन साल का खत्म हो जाता है और री-कांस्टीट्यूशन का प्रोवीज़न रखते नहीं इससे जो यह क्लॉज़ था 'unless the State Government directs otherwise'. Now if the State Govt. directs otherwise तो फिर उनकी लाइफ यानी रूल्स एन्ड रेग्युलेशन्स के अनुसार वह स्टेटस को मेन्टेन नहीं करता है। इसलिये जो चीज आप चाहते हैं वह तभी हो सकती है जब कि जो क्लाज़ 'बी' है उसको वैसा का वैसा ही पास कर दें। जैसा कहा गया है, इस तरह का क्यों रखा जाये ? नोमीनेटेड मेम्बर्स वगैरह हैं। आज इस क्लॉज़ में इस म्युनिसिपेलिटी बिल में हम जो प्रोवीज़न बना रहे हैं, उसमें इसका इन्तजाम किया है कि ये सब के सब इलेक्टेड हों, लेकिन अगर सेविंग क्लॉज़ नहीं होता है तो जब तक उसका इन्तजाम करेंगे और जिस तारीख से यह कानून अमल में आयेगा इसके बीच में एक चीज वैड क्रियेट होती है। जब हम कानून बनाते हैं, लेजिस्लेशन पास करते हैं तो इसकी तरफ हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि उस कानून की वजह से किसी किस्म का....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय अध्यक्ष, यह गैलरी में क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आप ऑफिसर्स से गैलरी में बात नहीं करें तो अच्छा हो।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : Something is still going on.

श्री पी.के.चौधरी (जारी) : मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो क्लॉज़ है नोमीनेटेड या इलेक्टेड, इसको देखने से मेम्बर्स लोग चौकेंगे। पहले नोमीनेशन का कानून रहा है। हो सकता है, ऐसी भी म्युनिसिपैलिटियां हों जहां थोड़े से ज्यादा सदस्य नोमीनेटेड हों और कहीं अपोइन्टेड हों, या फिर नोमिनेटेड और अपोइन्टेड मेम्बर्स की तादाद इतनी हो कि उनके नहीं होने से आपके कानून के माफिक आपके म्युनिसिपेलिटी का काम पूरा नहीं होता हो। उसको हम क्लॉज़ के अन्दर इनेबलिंग पावर्स नहीं देते तो उस बोर्ड का फंक्शन इल्लीगल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति इसके लिये कोर्ट में जा सकता है, रिट ला सकता है और हम नहीं चाहते कि इस सभा

(श्री पी० के० चौधरी)

से हम ऐसा कानून बनायें या ऐसा लेजिस्लेशन पास करें जिसके अन्दर कोई लेक्युना रह जाये या कोई टेक्नीकल फ्लॉ रह जाये। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह जो अमेंडमेंट था और इसमें लिमिट डिफाइन के लिये कहा है कि यह नहीं होनी चाहिये तो लिमिट डिफाइन का जो क्लॉज् है उसको डिलिट नहीं किया जाना चाहिये। एक म्युनिसिपैलिटी है उसकी लिमिट तीन साल की है और उसको आपने उड़ा दिया तो उसकी शक्ल क्या होगी ? क्या वह दो मील में रहेगी या चार मील में रहेगी? क्या उसका एरिया डिस्ट्रिक्ट भर में फैल जायेगा ? जो लिमिट डिफाइन की गई है यह इसी वजह से की गई है कि यह उसका पीरियड ऑफ वर्किंग भी हो सकता है। इसको हम मंजूर कर रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रियेट न हो। मान लीजिये कि इसमें से 'लिमिट डिफाइन' को हटा दिया जाता है, तो जो आदमी दूदू में रहता है तो वह कहेगा कि मैं जयपुर म्यूनिसिपैलिटी में रहता हूँ। आपके आक्ट्रोय का क्या होगा ? वह किस जगह ली जायेगी ? इस तरह से आप "लिमिट डिफाइन्ड" को हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि किस चीज के तहत हमको टैक्स देना चाहिये ? मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। देखूं कौन लेता है टैक्स मुझसे ! इसलिए यह जरूरी है कि जो 'लिमिट डिफाइन' का क्लॉज् है इसको तो रखना ही चाहिये, इसको मैं मंजूर करता हूं। पहले बोर्ड में गड़बड़ी रही है, यह मैं मानता हूं। यह तो मैं जानता हूं कि राजस्थान का जितना भी लोकल बोर्ड है, म्यूनिसिपैलिटी है, उसका इन्तजाम सबसे ज्यादा खराब है और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अगर किसी की है तो उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर की खुद की है। वे जो भी बातें करते हैं उनको कभी अमल में नहीं लाते हैं। काम उनका डिपार्टमेंट कुछ करता है और टेलीफोन से और कुछ ही हुक्म हो जाते हैं, इस तरह की जब बातें होती हैं तो लोगों के दिल में शंका पैदा हो जाती है। दुबारा लिमिट्स का डिफाइन होना, नोमीनेशन चालू रखकर धांधली करना, जहां अपोइन्टेड मेम्बर्स हैं उनको इनेबल कर रहे हैं, only for the time being until the existing period expires.

लेकिन इससे पहले खत्म करके नये कानून को बना रहे हैं, उसके मुआफिक अमल करने के लिये यह क्लॉज् है "Provided that... so far as may be, be deemed, unless the State Government directs otherwise, to have been respectively constituted, elected, formed......"etc.; etc. मतलब इसका यह होता है कि दूसरे एमेंडमेंट के अनुसार 'so far as may be' and 'unless the State Government directs thetrwise' इस क्लॉज् को उड़ा देंगे। उसका नतीजा यह रहेगा, आज अजमेर की म्युनिसिपैलिटी है जो मान लीजिये छः महिने पहले बनाई गई है, वह तीन साल तक चालू रहेगी इस एक्ट के अन्तर्गत ही। अगर इस डिपार्टमेन्ट के इन्चार्ज मिनिस्टर महोदय ईमानदारी से काम करेंगे तो इस क्लॉज् का सहारा लेकर, फौरन इस कानून के जरिये उसको रद्द करवा सकते हैं, उसका दुबारा इलेक्शन करवा सकते हैं, बशर्ते उनका विभाग ईमानदारी से काम करे। इस क्लॉज् का सदुपयोग करें न कि दुरुपयोग। आज जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज् हैं, उन सब में एक प्रकार की यूनीफोर्मिटी हमें लानी है, और हमें इस तरह से चलना चाहिये कि इस कानून के लागू होने के चार महिने या छः महिने के भीतर-भीतर सभी

(श्री पी० के० चौधरी)

म्युनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन करवा लेने होंगे अगर उसके मुआफिक रिकॉन्स्टीट्यूट म्युनिसिपैलिटीज़ को करना है तो यह जो क्लॉज़ है, उसमें 'so far as may be' and 'unless the State Government directs otherwise' दोनों फ्रेज़ेज को रखना पड़ेगा। जैसा कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तीन साल की जो म्युनिसिपैलिटीज़ की लिमिट है वह तो चलेगी उसको रद्द नहीं कर सकते, रिकॉन्स्टीट्यूट नहीं कर सकते। जिस मकसद से, जिस ध्येय से यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है, it will defat its purpoes इसलिये इस क्लॉज़ को रखा जाना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मिनिस्टर महोदय से कहूंगा कि इस क्लॉज़ का उपयोग इसी काम के लिये करें कि इस एक्ट के पास होते ही छः महिने के भीतर भीतर सभी म्युनिसिपैलिटीज़ को रिकॉन्स्टीट्यूट किया जाय। सबसे ज्यादा अच्छा यह होगा कि यह अमेन्डमेन्ट जो लाया गया है उसको ज्यादा प्रेस नहीं करें और इस बिल के पास होते ही सदन में इस प्रकार का रिजोल्यूशन लाया जाय कि इस कानून के मातहत तमाम म्युनिसिपैलिटीज़ का चुनाव छः महिने या चार महिने के भीतर भीतर हो जाय।

दूसरी बात जो श्री तनसिंहजी ने अपने अमेन्डमेन्ट में कही उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने जो "taxes imposed" तथा "Contracts entered into" के बीच में जो "or assessed, fees fixed" रखने का संशोधन रखा है वह मैं समझता हूं, जो असेस या रेट्स पहले फिक्स्ड हो गये हों उनको मान लेना ठीक नहीं है। जिस बोर्ड को हम नोमीनेटेड मानते हैं, अपोइन्टेड मानते हैं अगर हम उसके रेट्स, जो फिक्स कर दिये, उनको मान लेते हैं तो एक प्रकार से टेक्निकल डिफीकल्टी हमारे सामने पैदा होगी। एक तरफ तो हम कानून बनाते हैं, नोमीनेटेड और अपोइन्टेड जो भी म्युनिसिपैलिटीज़ हों उनको भंग करके नये सिरे से चुनाव कराते हैं, दूसरी तरफ उनकी रेट्स आदि को मान लेते हैं तो ये बातें मन्जूर करने के काबिल नहीं हैं। जो कुछ भी असेसमेन्ट किया, जो कुछ फीस फिक्स की, जो भी प्रोपोर्शन फिक्स किया उसको हम आगे के लिये भी इन्ट्रोड्यूस करते हैं, तो वह ठीक नहीं होगा, गलत होगा। हम अगर वेअर और मिनीमम चेन्ज और एक्शन्स हैं उनको कुबूल कर लेते हैं तो एक प्रकार से लीगल डिफीकल्टीज़ होंगी। आज हमको जो फन्डामेन्टल राइट्स मिले हुए हैं कोई रिट न कर दे इसी वजह से वेलीडेट कर रहे हैं और इसीलिये इनेब्लिंग क्लॉज़ रखा है। इसके साथ साथ जो फ्युचर कमीटमेन्ट्स हैं, जो रेट्स फिक्स कर दी, उनको अगर मान लेते हैं तो यह बिल्कुल गलत होगा और जिस मकसद को लेकर यह कर रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ जल्दी से जल्दी रिकॉन्स्टीट्यूट हों और उनके बाद असेसमेन्ट हो। मान लीजिये किसी ने अपने रिश्तेदारों की ज्यादा रेट फिक्स कर दी है, उसको हम चालू रखें, यह हम नहीं चाहते ! मुझे पता नहीं कि किस आइडिया से माननीय सदस्य ने असेसमेंट फिक्सड को कायम रखने के लिये अमेंडमेंट रखा है, यदि यह रखा जाता है तो इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार का अमेंडमेंट न रखा जाय और यह जो क्लॉज़ है, जैसा रखा गया it has been don...in a perfect manner इन तमाम के लीगल इम्लीकेशन्स क्या होंगे ? सबको सोच-समझकर नहीं करेंगे तो

Page No.43

(श्री पी० के० चौधरी)

काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और लोग रिटें करेंगे और कानून का सहारा लेंगे। हम देखते हैं कि जब कभी हम लेजिस्लेशन पास करते हैं और इलेक्शन पिटिशन्स के सम्बन्ध में जब कभी वकीलों से मुलाकात होती है, तो वे हम से कहते हैं कि आप कैसे कानून बनाते हैं, जिसमें सैंकड़ों तरह की खामियां रह जाती हैं, आपके यहां लीगल ब्रैंच नहीं है इसलिये आप ऐसे-वैसे ही कानून पास कर देते हैं। हमें चाहिये कि हम कोई भी लेजिस्लेशन पास करें उसमें यह ख्याल नहीं होना चाहिये कि सत्ताधारी लोगों को फायदा होजाय बल्कि हम कानून इस लिये बनाते हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट का प्रोपरली फंक्शन हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाना चाहिये। लेकिन आज जो मेनेजमेंन्ट चलता है, जिसके हाथ में मेनेजमेन्ट है, उनमें नेपोटिज्म और फेवरटिज्म चलता है इसलिये कानून भी प्रोपर्ली नहीं बन सकते। अगर हम अच्छी तरह से कानून बनाते हैं तो They will stand self Condemned. इसलिये जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है अगर हम उसको पास कर देते हैं तो जिस प्रकार हमने सेल्स टैक्स बिल पास किया था, उसमें जिस प्रकार की दिक्कतें आयी थीं वही इसमें भी होंगी। जब सैल्स टैक्स बिल सदन के सामने आया था, उस समय हमारे वित्त मंत्री महोदय, यह चाहते थे कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाय। उस पर माननीय सदस्य ने यह भी कहा था, इसका रिट्रोसपेक्टिव इफेक्ट कैसे हो सकता है? क्या कोई दुकानदार किसी कन्ज्यूमर से जाकर यह मांग करता है कि मुझे पहले का सैल्स टैक्स दे? उस समय तो वित्त मंत्री महोदय को जंचा नहीं था, उनके दिमाग में यह बात आई नहीं थी लेकिन उसके बाद उन्हें अमेन्डमेन्ट लाना पड़ा था कि it will come into force with immediate effect. जब हम किसी भी कानून को पास करते हैं तो हमें किसी भावनावश या किसी एक आसपेक्ट को लेकर कानून नहीं पास करना चाहिये। हमें ऑल साइड्स को एग्ज़ामिन करके कानून को पास करना चाहिये, ताकि किसी प्रकार की खामी न रहे। मेरी समझ में यह जो क्लॉज़ रखा गया है वह काफी सोच-समझ कर रखा गया है और वह करीब परफेक्ट सा है। इस पर जो छोटे-मोटे अमेन्डमेंट लाये गये हैं वे ठीक नहीं हैं, अगर आप इसको बदलाना ही चाहते हैं तो it should be rewritten इसके अन्दर आप लिख सकते हैं और इसके बाद सब बातों को खयाल में रख कर रिराइट कर सकते हैं। पर वर्ड का इधर-उधर हेर-फेर करना चाहेंगे तो इससे तो डिफेक्ट रह जावेगा। इतना कह कर मैं इसका विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मदनसिंह (दांता) : दोनों ही पक्षों में इस प्रकार का विवाद हो गया है। दोनों पक्षों की बात कुछ समझ में भी आ रही है और कुछ नहीं भी आ रही है। इसलिये इसे डिस्प्युटेड पोइन्ट समझ कर रोक दिया जावे और अगले किसी दिन के लिये मुल्तवी कर दिया जावे। इस तरह से माननीय मंत्रीजी ने फरमा भी दिया था कि अगर कोई डिस्प्युटेड आइटम आ जाए तो उसको मुल्तवी करके बाद में उनके साथ बैठ कर कन्सीडर कर लिया जावेगा। इसलिये इस क्लॉज़ २ को डेफर करके आगे क्लॉज़ ३ पर चला जावे तो अच्छा होगा। इसलिये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लॉज़ २ को अगली सिटिंग के लिये रख दिया जावे।

श्री भीमसिंह : Clause 3 is also very disputed, Sir.

Page No.44

श्री पुरुषोत्तमलाल : जिस जिस क्लॉज़ में अमेन्डमेन्ट आया हो उसे डिस्प्यूटेड गिन लिया जाय, क्योंकि अगर डिस्प्युटेड नहीं होता तो अमेन्डमेन्ट ही क्यों आता ? बाद में इन पर मंत्री महोदय और वे आपस में बैठ कर बहस कर लें, जैसा कि मन्त्री महोदय ने वादा किया था।

श्री मदनसिंह : बहस शुरू होने से पहले यह रिक्वेस्ट की गई थी।

१.३ म० प०

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : Sir, some of the provisions of this Act are very necessary or very material and important from various points of view and I believe the important provisions in this law are just few and not many. Clause 2 happens to be one of those few provisions in which many of us are interested not only legally but even from the political point of view, and I think this clause 2 is so important from our angel that we will have to waste a good deal of time before we can lay out the pharaseology thereof. I will make myself very clear to the Miniser-in-charge of the Bill as to what difficulties we are experiencing,

In the Ajmer District; atleast the Chairman of the Municipality can be an outsider. There is one who is not a member of the Municipal Committee. After the coming into force of this Act, can an outsider be a Chairman of the Municipal Committee ? What will be the position of the extsiing Chirman who does not happen to be a member of the Ajmer Municipal Board? To put it more clearly, Hon'ble Shri Jwala Prasad, Hon'ble Member, is the Chairman of the Ajmer Committee, though he is not a member of the Ajmer Municipal Committee. Let us be sure, what we are going to lay down. Let us not allow people to go into writ petitions before the High Court and waste money. Let us be very clear so that people may not file such petitions and waste their time and money. What will be his position ? Does he continue to be a Chairman under this Bill at least ?

श्री अध्यक्ष : I do not think we should talk about hypothetical cases.

श्री अर्जुनदास : Right, Sir, but what will be the life of this Coommittee ? Whether it stands four years or three years ? What will be the position of nominated Commissioners or nominated members in places where there are such nominated memebrs, after the coming into force of this Act ? Therefore, as the Hon'ble Minister-in-charge made a suggestion this morning that so far as controversial clauses are concerned, he would like to discuss them with us and try to understand each other before the clauses are actually passed on the floor of the House. Therefore, I will also suggest, let these clauses be deleted for some time.

(हंसी)

(श्री अर्जुनदास)

Let them be deferred for some time so that we are able to meet outside and then we can pass them.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : May I say something, unless it is deferred.

श्री अध्यक्ष : Let us hear.

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : इसमेंडेफर करने की कोई बात नहीं है। कई माननीय सदस्यों ने भी इसे सपोर्ट नहीं किया।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनू) : Mr Speaker, Sir, I feel very hesitant to speak in this August House. I heard the debate and the amendments moved by the various members regarding clause (b) of the provison to clause 2. The main controversy hinges about the word 'nominated', the words 'assesment' and the words 'limits defined'. I fail to reconcile myself with the arguments which have been advanced in support of these amendments. It is true that the member who has moved these motions and amendments may have got some background behind them of some political nature, of instances of nepotism about nomination etc. I come from a district where all these things are very obvious in the Municipalities.

श्री अर्जुनदास : Thank you very much.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : (जारी) We are in the elected body of 6. The ratio of the elected members of the parties was 4 : 2. Government nominated two persons who were in favour of the two persons, which made our strength in the municipality 4 : 4, and one more member was drawn to the minority side, and the majorty was changed into minority.

Now, sir, in another Municipality, in my home municipality, the situation is very curious and I think the Hon'ble Members of this House will hear it with great curiosity. The Municipal elections took place a year ago and the strength of the parties was 9 : 7. Two members were to be nominated. A request was made to the Government and two members were nominated in support of the majority party. But for reasons best known to those who nominated those members, their names were not out. They were not intimated to the returning officer evens after the General Election took place to effect the election of the President. It was, if my memory does not fail,-the elections were effected on the 29th. July. 1956 and the election of the Municipal Chairman took place in July, 1957.

Then one year after. the names of those nominated members were not published in the gazette what happpened after that ? It was considered to change the minority into majority, to mancuvre in such a way that the minority may go into majority. So the Munici-

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

pal Chairman, as I will come to it afterwards when the relevant clause comes, sent an intimation to the Government that a municipal member who was nominated has resigned. As a matter of fact there was no resignation from the nominated member; there was nothing provided in the rules that the resignation should be put before the Municipal Committee, It was all a secret affair and when another nomination was demanded from the Collector by the Government, it came to the notice of the member-concerned; he moved the State Government; he moved the Collector; he came to me, he filed an affidavit, swore before a Magistrate that the signatures were not his, he never tendered resignation. What the matter was that the member concerned moved a No-confidence motion against the Chairman and the Chairman, in order to victimise him, forged a resignation with forged signatures.

श्री ज्वालाप्रसाद : On a point of information, is the Hon'ble Member speaking in favour of the amendment or......

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I am in possession of the House.

श्री ज्वाला प्रसाद : The Hon'ble Member is giving a specific instance about......

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I seek protection of the Chair.. I am in possession of the House.

श्री अध्यक्ष : Ooder-please !

I have requested earlier also that the Hon'ble Members should not refer to hypothetical cases and I will make the same request again.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Thank you.

श्री अर्जुनदास : Was it a point of order or a point of disturbance.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : If the Hon'ble Member would have had the patience of hearing me, Mr. Speaker, Sir, he would have come to the relevant matter. But I think the shoe pinches not with my speech, but with the speech of some other member.

So I wanted to press before the House that in those municipal boards in which such nominations are made in which minority was turned into majority, the Hon'ble Members have sufficient grievance.

Even then it is no remedy by itself if we delete this clause of nomination. If we delete the provision of nomination there will be chaos, there will be no municipal board existing. Some of the members who have been nominated are as, good members as elected under the law and if that continuity is not maintained, then I am afraid, there will be provisions to manage the local affairs of the various municipal boards. I do not see any good reason to delete

Page No.47

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

this clause. It is true that we will have to tolerate those municipal boards or those members who have been nominated but I fail myself to agree with the view expressed by an Hon'ble Member that even after the passing of this Act many of those municipal boards which. under the old Act would have been three years will go to four years. I doubt this. We are not legal experts but even the matter can be authoritatively set aside by those who are experts in legal affairs. But so far as I remember there must be one thing. My view definitely is that the elections to all municipal boards which are more than 100, of which the number is about 150, they must have their elections just on the time of general elections in one particular month or in one particular year. It should not be in one particular month in one district and in another particular month or year in another municipal board or district. It must be uniform. All elections to the municipal boards must be held in the same month or same year. If we can lay down this in this Act by inserting a clause, I think it will be a great service to the pnblic.

There are other things also in this Act. One thing is regarding realisation of taxation. It is said that taxation cannot be levied with retrospective effect. I am afraid in the same way and with the same argument we can say that a tax which has been levied cannot be unlevied with retrospective effect. Once a tax has been levied or assessed or limits defined we cannot undo the same by this enactment. Of course we can do so by this legislation, but if we do so I am afraid we will not help the public for which we have come here.

This is my humble submission and with these remarks I do not agree or rather protest the amendments which have been tabled by the Members of the Opposition.

१.१० म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,..... ...

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २ में संशोधन प्रस्तुत किया गया है तथा उस सिलसिले में बहस हुई है उसमें मुझे तीन मुद्दों पर कुछ बोलना है ।

पहला मुद्दा जो उठ खड़ा हुआ है वह यह है कि आज जो नगरपालिकाएँ मौजूद हैं उनमें नोमिनेटेड मेम्बर्स हैं, वे इस बिल के पास होने के बाद नोमिनेटेड मेम्बर्स रहने चाहिए या नहीं, अथवा जो मेम्बर्स अभी नगरपालिकाओं में नोमिनेटेड हैं उनको इस बिल के पास हो जाने के बाद विथड्रॉ कर लेना चाहिए अथवा उनको विड्रा नहीं करके रहने देना चाहिए ।

श्री अर्जुनदास : That is not the point whether "chahiye" or not "chahiye". The point is, whether

Page No.48

(श्री अर्जुनदास)

they shall continue or they shall not continue ?

रहने देना चाहिए या नहीं रहने देना चाहिए, that is not the point.

श्री चन्दनमल वैद : "shall" means "chahiye". Any way I will say my own way and not in the way in which the Hon'ble Member wants.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will not intervene the debate.

श्री चन्दनमल वैद : This is your outlook, Sir.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Intervention sometimes accelerates the debate. I will request the Chair not to discourage intervention, because the debate by intervention becomes lively.

श्री उपाध्यक्ष : Provided it is rightly accelerated.

श्री चन्दनमल वैद : Any way, Sir, सारा बिल पढ़ने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि आगे से नोमिनेटेड मेम्बर्स का सिलसिला जारी रखा जाना चाहिए। जब सरकार एक दफा इस सिद्धान्त को मान लेती है तो फिर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि अब तक नोमिनेटेड मेम्बर्स म्युनिसिपेलिटीज़ में क्यों रखे गये ? यह तो एक सिद्धान्त की बात है, यदि इस सिद्धान्त को सरकार नहीं मानती है तो या तो बिल में इसके लिए क्लॉज़ रखना चाहिए और यदि सिद्धान्त को मानती है और जब इस प्रकार का क्लॉज़ नहीं रखती है तो सरकार की यह मंशा है कि आगे से नोमिनेटेड मेम्बर्स रहे। जब नोमिनेटेड मेम्बर्स नहीं रहें तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जिन नगरपालिकाओं में १, २ या ३ महीने पहले चुनाव हुए हैं और यदि उनमें नोमिनेटेड मेम्बर्स हैं, तो उस स्थितिमें इस बिल के पास हो जाने के पश्चात वे यदि ४ साल तक जारी रहे तो यह तो अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहले या तो सरकार को यह अपना दृढ विश्वास बना लेना पड़ेगा कि नोमिनेटेड मेम्बर्स रहने चाहिए। लेकिन अगर सरकार यह मानती है कि नोमिनेटेड नहीं रहने चाहिये तो प्रोविज़ो (बी) में जो प्रोविज़न है उसको हटा देना चाहिए और यदि यही मंशा है कि नोमिनेटेड मेम्बर्स रहने चाहिए, तो सरकार को हाउस के सामने बताना चाहिए और इसके लिए स्पष्ट रूप से सदन से अधिकार लेने चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हम कानून बना रहे हैं, हमेशा के लिए ही बना रहे हैं यह खयाल नहीं रहना चाहिए, देखना होगा कि इस समय की सरकार क्या कर रही है और उसके पॉवर्स कट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए ? माननीय उपाध्यक्षजी, दो बातें आई। हम कानून बनाते हैं। विधान सभा को अधिकार जनता ने दिया है और उन अधिकारों में से कुछ अधिकार कानून के लिए देते हैं। हमें यह देखना पड़ता है कि मौजूदा सरकार अधिकारों का सदुपयोग या दुरुपयोग किस माने में कर रही है और विभिन्न जगहों से जहां से हम चुन कर आते हैं, हमें छोटे-मोटे उदाहरणों की ओर ध्यान खींचना पड़ता है, अर्थात् हमें यह देखना पड़ता है कि सरकार सदुपयोग कर रही है या दुरुपयोग कर रही है जिससे कि माननीय सदस्यों को पता लग जाय कि सरकार को आगे से अधिकार ज्यादा देना चाहिए या कम देने चाहिए ?

Page No.49

(श्री चन्दमल वैद)

आज तक की जो स्थिति रही है जिसके बारे में सारे सदस्य बता रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है कि सरकार के अधिकारों का कुछ लिमिटेशन करना चाहिये और उन अधिकारों को कुछ कम करना चाहिए। यहां खास तौर पर म्युनिसिपैलिटियों के बारे में माननीय सदस्यों ने बताया है कि सदस्यों के नोमिनेशन्स के बारे में सरकार ने धांधली की है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और बेजा फायदा उठाया है। इसलिए यहां ये शब्द लिखे हुए हैं कि कानून पास हो जाने के बाद जो नगरपालिकाएं पिछले कानून के मातहत बनीं हुई हैं, वे इस कानून के मातहत मानी जांय और उनका कार्यकाल तीन साल के बजाय चार साल का हो जाय, इसके साथ ही साथ यह भी अधिकार लेना कि जिसकी सरकार चाहे उस नगरपालिका की अवधि तीन साल करदे और जिस नगरपालिका की सरकार चाहे चार साल की अवधि कर दे। मैं समझता हूं कि यह अधिकार देना ठीक नहीं होगा। आपकी मंशा है कि नगरपालिका का चुनाव हो चुका है तो उसकी अवधि चार साल हो जावेगी, लेकिन सरकार को यह अधिकार है कि जिस नगरपालिका की अवधि की लिमिट करना चाहे तो कर सकती है यानि चाहे तो तीन साल कर सकती है और चाहे तो चार साल कर सकती है। इस प्रकार के अधिकार सरकार को देना न तो उचित ही होगा और न न्यायसंगत ही। जिस पर सरकार की मर्जी हो जाय उस नगरपालिका की अवधि वह चार साल करदे और जिस पर सरकार की मर्जी न हो उस नगरपालिका की अवधि वह तीन साल की सीमित कर दे। जैसा कि पहले भी सरकार करती रही है कि जिस नगरपालिका के लिए मर्जी हुई सरकार की, उसकी अवधि बढ़ा दी और जिसके लिए मर्जी हुई उसकी अवधि समाप्त कर दी। अगर इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेट पावर्स सरकार लेती है कि अपनी मर्जी के अनुसार चाहे जिस नगरपालिका की अवधि घटा दे अथवा बढ़ा दे, मैं समझता हूँ कि विधान सभा को ऐसे अधिकार नहीं देना चाहिए। इन शब्दों को "Unless the State Government directs otherwise," डिलीट करने के लिए माननीय सदस्य जो सीकर से आये हैं उन्होंने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : माननीय उपाध्यक्ष,:....

श्री उपाध्यक्ष : ओनरेबल मेम्बर, प्लीज़, मेरी दृष्टि उन (श्री सतीशचन्द्र) माननीय सदस्य पर पहले गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उनके फेवर में बैठ जाता हूं, फिर बोल लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : That is a matter of compromise between the two members.

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : अभी क्लॉज़ बी के ऊपर जो एमेंडमेंट आया है, उसके बारे में मेरा यह कहना है कि एक तो नोमीनेटेड मेम्बर के लिए। जहां पर जो नामीनेटेड मेम्बर अभी हैं, यह एक्ट पास होते ही वे कन्टीन्यू रहें। लेकिन अब यह देखना है कि जिस म्युनिसिपैलिटी में जहां एक वार्ड में ४ मेम्बर खड़े होते हैं डबल मेम्बर कान्स्टीटुएन्सी से, वहां पर क्या हाल होगा इस तरह से अगर करेंगे तो। कहीं पर १२ मेम्बर तो 'इलेक्टेड हैं और २ नोमीनेटेड हैं, और अब दो नोमीनेटेड मेम्बर को उस

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

जगह से आप हटाते हैं उनके लिमिटेशन के टाइम से पहले ही, एक्ट लागू होने से पेश्तर ही, तो देखना है कि जो रिर्जव्ड सीटें औरतों और शिड्यूल्ड क्लॉसेज़, बेकवर्ड क्लासेज़ के हैं उनके लिए क्या आधार होगा ? क्या आप फिर उनके लिए नये चुनाव करायेंगे। यदि चुनाव करायेंगे तो डिफिकल्टी आयेंगी या नहीं ? जहां पर कि ३, ४ मेम्बर एक साथ एक वार्ड से खड़े होते हैं वहां पर वे मेम्बर पहले से इलेक्ट होकर आये हैं उनका खातमा हो जायगा। तो इन सब बातों को मैंने आपके सामने रखा है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इस पोलिसी के खिलाफ हूं कि नोमीनेशन सरकार करे, लेकिन जो हो चुके हैं उनका क्या हो ? आप एक तरफ कहना चाहते हैं कि इलेक्टेड जो हैं उनको रहने दिया जाय और नोमीनेटेड को हटा दिया जाय ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत पड़ती हैं और उसमें बड़ी डिफिकल्टी आयेंगी। इसलिए इस क्लॉज़ को इस तरह से एमेन्ड कराया जाय कि जहां पर नोमीनेटेड मेम्बर्स हों, वहां पर उन नगरपालिकाओं को भंग कर दिया जाय और नया एक्ट लागू होते ही नये चुनाव कराये जायं। लेकिन केवल नोमीनेटेड मेम्बर्स को हटाया जाय और उनकी जगह नये इलेक्शन कराये जायं तो यह बिल्कुल ही गलत बात हो जायगी। बहुत से बेकवर्ड क्लासेज़ के व्यक्ति थे वे खड़े नहीं हुए इस विचार से कि हम तो नोमीनेटेड हो जायेंगे, ऐसी स्थिति में यह जो संशोधन क्लॉज़ है कि नोमीनेटेड को एक एक्ट लागू होते ही सभी को हटा दिया जाय तो उससे बड़ी डिफिकल्टी आ जायगी। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरा संशोधन यह ३-४ साल के बारे में जो है, उसके लिए यह प्रार्थना करूंगा कि हमारा स्पष्ट लक्ष्य यह होना चाहिये कि जिन नगरपालिकाओं के पुराने एक्ट के मुताबिक चुनाव कराये हैं वे पुराने एक्ट के मुताबिक उनका समय खत्म होते ही नये एक्ट के मुताबिक खत्म हो जायं। यह सरकार की मर्जी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये कि सरकार चाहे तो उनका समय बढ़ा दे और सरकार चाहे तो समय कम कर दे। यह बात बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि आप अगर प्रजातांत्रिक तरीके पर आते हैं तो सरकार की मन्शा पर यह नहीं छोड़ना चाहिए। हमें तो एक्ट के आधार पर रहना चाहिए। जब कि पुराने एक्ट के तहत जिन म्युनिसिपेलिटियों में इलेक्शन हुआ है उनको उसी एक्ट के तहत भंग कर दिया जाना चाहिए और नया एक्ट लागू हो तो नये एक्ट के मुताबिक चुनाव हो जाने चाहिए। इसको सरकार की मर्जी पर न छोड़ा जाना चाहिए। इस तीन-चार साल के बारे में जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं और नोमीनेटेड मेम्बर्स को, सब को निकालने का है उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon 'ble Member has waived his right when it was conferred upon him but still I would like to make a departure. He may assert it even now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I did not waive it.

श्री उपाध्यक्ष : You were given the right and you waived it but I would not insist on that.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका विधेयक पर सीकर से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, उसके दो भाग हैं और उन दो भागों के संबन्ध में माननीय सदस्यों ने जो यहां पर विचार प्रकट किये हैं, मैं समझता हूं कि वे किन्हीं तथ्यों पर आधारित हैं।

सर्व प्रथम आपत्ति की जो बात है वह है नोमीनेटेड मेम्बर्स के बारे में, जिसका प्रोवीज़न क्लॉज़ २ सब-क्लॉज़ (डी) जो है उसमें डील करने के बारे में है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार विधान सभा के सामने प्रकट किये हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिकाओं में जिन जिन सदस्यों की नियुक्तियां सरकार की ओर से की गई हैं, उन नियुक्तियों में कितना पक्षपात था और वे नियुक्तियां कितने गलत तरीकों से की गई हैं। इसीलिए आज विधान सभा में यह प्रश्न इतना जोरदार बहस का विषय बना हुआ है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, सदन के माननीय सदस्यों का अधिक समय न लेते हुए जयपुर की नगरपालिका के सम्बन्ध में एक बात बताऊंगा। जयपुर नगरपालिका में ४४ सदस्य हैं जिनमें से ४० इलेक्टेड मेम्बर्स हैं और ४ नोमीनेटेड। माननीय उपाध्यक्ष, सदन के माननीय सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि ४ सदस्य जो सरकार के द्वारा नोमीनेट किये गये हैं उनमें दो सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने नोमीनेशन फॉर्म्स भरे थे। वे दो महिलाएं जिन्होंने नोमीनेशन फार्म्स भरे थे, वे कांग्रेस के टिकिट पर चुनाव लड़तीं, परन्तु पता नहीं कि क्या हुआ, संभवतः उनको कहा गया कि तुमको नोमीनेट कर दिया जायगा। इसलिये नोमीनेशन फार्म विद्ड्रॉ करलो और नोमीनेशन वापिस कर लिया गया इसी आश्वासन पर कि बाद में आपको नोमीनेट कर दिया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी नोमीनेशन की भूमिका है। यह बात सारी राजस्थान की नगरपालिकाओं में पाई जाती है कि लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है कि तुमको बेकडोअर से एन्ट्री दे दी जायगी नोमीनेशन पेपर वापिस ले लो। नोमीनेशन योग्यता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि पोलिटिकल रीज़न्स के आधार पर उसको मेन्योवर करके यह नोमीनेशन किये गये हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर माननीय सदस्य राजस्थान के हर हिस्से से आये हैं और मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा कड़ा अनुभव यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों को है जिन्होंने यहां पर बताया है।

इसीलिये जिस प्रकार की भूमिका में जिन सदस्यों को राज्य सरकार ने मनोनीत किया है, उन सदस्यों की स्थिति इस विधेयक के लागू होने के बाद में लीगल्ली कॉंस्टीट्यूटेड म्यूनिसिपेलिटीज़ में न्याय संगत नहीं होगी। इसलिये एक बार जब यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि आगामी नगरपालिकाओं के चुनाव में इस विधेयक के अनुसार कोई भी नोमीमीनेटेड मेम्बर्स नहीं होंगे। तब, माननीय उपाध्यक्ष, यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार की ओर से, मंत्री मंडल की ओर से क्यों इस तरह का आग्रह किया जा रहा है, क्यों इस बात का हठ किया जा रहा है पुराने नोमिनेटेड मैम्बर्स हैं जिनके नोमिनेशन की भूमिका मैंने सदन के सामने रखी है, जो बेकडोअर से आये हैं उन सारे सदस्यों को लीगली कॉन्स्टीट्युटेड म्युनिस्पिल बोर्ड्स के मेम्बर्स मान कर कन्टीन्यु करने का अधिकार दें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदस्य जो बेक्डोअर से आये हैं, जो सही ढंग से चुनाव लड़ कर नहीं आये हैं, जिनका नोमीनेशन राज्य सरकार ने गलत ढंग से और पक्षपात के ढंग से किया है उन नोमीनेटेड मेम्बर्स को किसी प्रकार से लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड म्युनिसिपल बोर्ड्स में किसी प्रकार से भी कन्टीन्यु नहीं करना चाहिए और न करने देना चाहिए। यही इस संशोधन की मन्शा है, इसलिए मैं इस संशोधन के इस भाग का बड़े जोरदार शब्दों के साथ समर्थन करता हूं।

आगे दूसरी बात जो इस बिल में आई है, 'unless the State Government directs otherwise,' माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार ने जहां एक ओर अपने हाथ में यह अधिकार रखा है वहां दूसरी ओर यह भी अधिकार रखा है कि यदि राजस्थान सरकार चाहे तो किन्हीं भी नगरपालिकाओं के संबंध में दूसरे प्रकार का आदेश दे सकती है। एक नगरपालिका अभी एक साल भर और चलने वाली है और इस एक्ट के अनुसार, जैसा कि मैं समझता हूं, इस एक्ट के आने के बाद जो नगरपालिकाएं हैं जिनका कि समय पूरा होने को है या पूरा नहीं हुआ है वे चार साल की इसकी अवधि चाहेंगी। मेरे कई माननीय मित्रों ने विचार प्रकट किये हैं और माननीय मिनिस्टर महोदय ने भी इस प्रकार के विचार प्रकट नहीं किये हैं कि उनका कार्यकाल २ साल या ३ साल का माना जायगा, परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इस एक्ट के आने के बाद सारी नगरपालिकाएं had been deemed to have been constituted under the provisions of this Act. जनरल क्लॉज़ेज़ और लिमिटेशन एक्ट्स के अनुसार उनका कार्यकाल ज्यादा समय का है। मैं समझता हूं कि वे चार साल तक काम करेंगे, यह इन्टरप्रिटेशन लीगल है और सही है। मेरी मान्यता है कि ऐसी स्थिति में कई नगरपालिकाएं चार साल तक कार्य करेंगी जब कि कार्य काल ३ साल का है और आज से साल भर बाद जब कि यह नगरपालिका विधेयक राजस्थान में लागू होगा तब मैं समझता हूं कि राजस्थान भर के माननीय सदस्य इस सदन में उपस्थित होकर अपने विचार प्रकट करेंगे। जब विचार प्रकट करने का मौका आयगा तो यही बात होगी कि अमुक नगरपालिका का समय चार साल का था और उसके चुनाव ३ साल में करा दिये गये, व अमुक नगरपालिका में चुनाव कराने के अधिकार का उपयोग नहीं किया गया। नतीजा यह होगा कि जो नगरपालिकाएं विरोधी पक्ष के हाथों में होंगी, जिन नगरपालिकाओं की जिम्मेदारी विरोधीपक्ष के लोगों के हाथ में होगी या जो लोग विरोधी पक्ष में तो नहीं हैं लेकिन वे मंत्री महोदय के कृपा-पात्र नहीं होंगे, उनकी गुडबुक में नहीं होंगे, वे मंत्रियों के हाथ के इशारे के अनुसार कार्य नहीं करते होंगे। मैं समझता हूं कि वे नगरपालिकाएं राज्य सरकार द्वारा इस क्लॉज़ के अन्दर तोड़ी जा सकेंगी और इस क्लॉज़ को इसीलिए रखा है और इसमें प्रोविज़न रखा है: "unless the State Government directs otherwise." इसलिये यह जो प्रोविज़न है वह सरकार को ऐसा छुरा देता है जिसको चलाने के बारे में सरकार पर कोई अंकुश नहीं है। मैं समझता हूं, स्टेट गवर्नमेन्ट यह चाहती है कि जैसा चाहे वैसा इस छुरे का उपयोग करे और म्युनिसिपेलिटीज़ के कार्यकाल के अधिकारों का वह इसके द्वारा हनन करेगी, इसलिये मैं समझता हूँ दोनों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रश्न मूल भूत हैं। जो संशोधन है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और ये सारी बातें, मंत्रीजी ने जैसा आश्वासन दिया है, उन पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, लिमिटेशन और टैक्सेशन के बारे में जाने दीजिये लेकिन युनेनिमसली, unless the State Govt. directs otherwise and' 'nominated members'; इन दोनों प्रश्नों पर सदन के माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं वे सब एक मत हैं, इनमें दो राय नहीं है। मैं समझता हूं, उनकी भावनाओं का मंत्री जी आदर करेंगे और सदन उन्हें स्वीकार करेगा।

श्री नारायणसिंह : Mr. Deputy Speaker, Sir,......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो शंकाएं और जो एप्रिहेन्शन्स जाहिर किये गये हैं, वे इसमें नहीं हैं लेकिन फिर भी क्योंकि सदन के सदस्यों की ऐसी राय है, ऐप्रिहेन्शन्स हैं इसलिये मैं समझता हूं, इस क्लॉज़ को डेफर कर दिया जाय। हम आपस में बैठकर बातचीत करेंगे।

(करतल-ध्वनि)

हालांकि मेरी खुद की राय ऐसी नहीं है, पहले भी इस पर डिस्कशन हुआ था, बातचीत करके निश्चय किया था लेकिन और एप्रिहेन्शन है इसलिये इसको डेफर कर दिया जाय और इस पर डिस्कशन खत्म होना चाहिये। अब जो कुछ होगा वह गवर्नमेन्ट की रिप्लाई होगी।

श्री श्रीभानसिंह : There shall be fresh discussion if the Government brings an amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत शासन मंत्री) : अमेन्डमेन्ट के बारे में बोल लिये हैं, और बोलना चाहें तो क्लाज़ पर बोलने में आपत्ति नहीं है, लेकिन अमेन्डमेन्ट के बारे में, जो कुछ कहना था कहा जा चुका है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : If it is to be deferred, then there is no occasion for discussion any further.

श्री उपाध्यक्ष : Probably the hon'ble member means that as we will not be able to arrive at a decision......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा मतलब यह था कि जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उस पर हाउस में जो कहना था कहा जा चुका है और व्यूज़ मालूम हो चुके हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Outside discussion if they come to a decision I have the right to raise a discussion on the amended clause.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : But not on these amendments which have been moved.

मेरा कहना है कि अमेन्डमेन्ट पर डिस्कशन कर चुके हैं, यह मेरी मंशा थी। दुबारा आवे तो you have a right to say anything you like; अभी जो अमेन्डमेन्ट आया है उस पर कहा जा चुका है।

श्री चन्दनमल वैद : मान लीजिये, डिस्कशन के बाद क्लॉज़ ही नये रूप में आता है तो फिर डिस्कशन का अधिकार हो जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं सिर्फ अमेन्डमेन्ट के बारे में कह रहा हूं।

Page No.54

श्री अर्जुनदास : I have one grievance. Every now and then they say, "In the last Assembly we had discussion on the floor of the House and therefore we must abide by it." It is an insult of the House as a whole and of us atleast.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा पहले जो डिस्कशन हुआ था, we should abide by it.

श्री अर्जुनदास : याद दिलाने का क्या मतलब है ? You want to force upon us to abide by it. I take it as an insult. He means to say that we should abide by the decisions taken by the last Assembly, and we have no business to discuss it over again.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I never said to abide by it.

श्री अर्जुनदास : We must abide by it, why ? We have better brains than what they had before.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : You can use your brains. I have the right to say what I have said.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री अर्जुनदास : Now I think the clause stands deferred as the Hon'ble Minister-in-charge has conceded.

श्री उपाध्यक्ष : We want to conclude the debate over this issue.

१.४५ म० प०

श्री श्रीभानसिंह : It cannot be deferred. We can discuss it. Those who have not discussed they can discuss it now.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the main controversy seems to centre arround nominations today and some of the Hon'ble members who have suggested amendments have expressed their definite feelings against nominations. They seem to feel that nominations have to be ruled out. Why should they be given this chance to be kept here. My own feelings run riot against nominations. My own feelings seem to suggest that when we cannot conceive of nominated legislature, at any stage how can we conceive of any nominated body at any level of democrasy. Today we may better be reminded that our democracy is on test. That the totalitarians have given it a big challenge and we have to find a suitable answer. Suitable answer can only be accorded through a proper system of decentralized democracy: through a proper system of local self Government. There was a Conference of International Local Self Government Bodies in Brussels and those people who had collected there, those great people who had a vast experience of local self government at their bank they expressed that indeed if the democracy is to succeed it shall have to be felt by the people on the street and men in the fields. Those people in the fields and streets they, have to feel that they are directly working a democracy. If we have to achieve

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

that ideal we shall have to be very cereful in evolving the feeling for democracy at the lowest ladder of it. I am of course very much against nominations at any stage but here looking to the present structure of the clause and looking to the intention behind it that the continuity may not be broken, it is permissible that these things may be permitted here. But here again it is very necessary to consider that along with permitting certain kinds of nominations to continue, there will be a time limit. A time limit should be provided in the Bill itself that after a year or so those nominated members will be re-elected even though the time for the Municipality or the Board itself does not expire because we should make a hurry that the nominated people go out and really elected people come in. For the benefit of continuity it is quite proper that we may keep up the line as it is but a provision for time limit is very necessary to my mind.

Then again while dealing with this clause certain members had suggested that certain words 'or assessed, fees fixed' may also be added after the words 'taxes imposed' and before the words 'contracts entered into,' I feel that 'taxes imposed" implies that they will first be assessed and the objective is automatically carried out by the words which are already there. I do'nt think it is necessary that there should be any further definition to that.

There are certain objections to the retaining of the words 'so far as may be' and 'unless the State Government directs otherwise.' I can quite understand these words. Members feel that these words should be deleted, members seem to have a strong feeling that the State Government should not at any stage of events be able to arbitrarily interfere in the working of the Local Self Governmens and due to that feeling alone probably they want to suggest that these words may be deleted. But for the time being when we allow the old municipalities to continue it does not very much matter whether these words are kept or these words are deleted. Only we may be cautious that such interference by State Government, such powers of the State Government which allow us to supersede the municipalties, to defeat the purpose of the municipalities should be checked. The State Governments should keep it in their mind; our legislatures should keep it in their mind that the monopolistic attitude towards democracy should die. It is not enough that we are elected, that we 176 members of Rajasthan are elected to this Legislature. We are elected for the benefit of the people. It is very necessary today that at every level there should be effective

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

democracy. Even at the lowest ladder; where we conceive of panchayats and local-self-Government for the cities and urban areas, even there the democracy must be effectively implanted as members it has been done by our constitution in the case of this Legislature. Then alone we shall be able to make our democracy a success, otherwise it will be a self-deception in which we will be harbouring.

I would, therefore, stress that all such clauses and such things which appar in this Bill should be scrutinisingly examined, should be properly seen and chiselled out, rubbed out if they are improper, and kept if they are proper. Some more things have to be added and some to be discarded. In fact the whole bill requires re-casting, re-examination in the light of the experience which we have before us of our nation and of the nations abroad. There arecxa mples of America where the local self-Government institutions enjoy quite a lot of autonomy. They have a sort of city councils and they are run on a sort of corporation basis. They have got autonomy. At other places like Cuba, I have studied it in the Cuban Constitution, it has been definitely provided that local self-Government will have a definite place of there own. and the State shall only interfere constitutionally, not otherwise by rules or regulations or anything. We should have that ideal as our own for evolving a new structure for local self governance. The local self-government was given to us, of course, by the British political thinkers, by the Britishers who ruled us. They had their own interests, and it is not necessary that we may go on tracking the same line. We have much wider experience now, the experience of the whole world before us and we can mark a different course. If we just only worry about uniform laws in this respect, it will be defeating our own purpose. We should think more widely, ponder over it more deeply, as to how the new law should be more composite, which would give more autonomy and will widen the sphere of activity of our local self-government. If we only go on repeating the laws of local self-government which are given to us readymade which we get from U. P. and elsewhere they will actually not serve the purpose. We would not really conscientiously do our duty. That is why I would have thought it much better if the whole Bill would have been referred back to the Select Committee. But today when we are passing this Bill I would necessarily think it most essential that this Bill is not hurried through; that this Bill is considered over and over again; we should devote two or three months, even more because it is of vital importance and it is most important that we consider it

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

carefully as that will give strength to the democracy from the lowest ladder.

Today we might be interested in parties, in this party and that party, may be the party in power; but tomorrow there might develop a position when we may have to ignore our set patterns of thinking in a parti cular posi tion of power. If we have not considered very deeply the things that should have been done and tomorrow we might have to regret it. We have to chisel out and mark a fresh trail of our own, which will be novel, one of its own kind; which would make democracy a great success.

With these words, I think, that though the sentiments of the members who have put forward the amendments are sound, though we might have to incorporate certain things and delete certain other things, still we have to be cautious of it and we have to do things which may not allow others to feel that our democracy is not working in a proper order of things and suffers self deception.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have not heard such irrelevance talked with distinction as on this clause. Just now one Hon'ble Member talked about sentimental democracy, democracy in local self-government and some conference, to which he alluded, which of course had nothing to do with sub-clause (b) of clause 2. However, though most members, who have put forward this amendment claim one fundamental thing for the local bodies, for the municipal boards that they have a certain inherent sovereign right to be free, which is not the possible thing. They have not the inherent sovereign power to be free like the legislatures or the Parliament. All over the world, municipal boards and local bodies are creations of or subordinate to the Parliament or the Legislatures. If we create another sovereign body, a municipal board with sovereign rights and delegate powers, administrative, judicial and financial, in that case the legislature will not be the supreme authority in Rajasthan. Supremacy will be divided in urban areas between municipal boards and in rural areas between district boards and panchayats and that will be no democracy but a chaos. And what they claim as decentralisation is nothing but a slogan which unfortunately they do not understand. Everywhere, not one single instance they can give today that local bodies are working in this particular country on these lines. No doubt that we have got a back-ground, we do not lack organisation; but there are people who oppose nomination; they say there should be no nomination. I certainly disagree. Today,

(श्री श्रीमानसिंह)

even the Mother of Parliaments, though it may not be a Mother of Democracy, yet there the local bodies are organised so that they have nominated members. There are nominated members there. They do not go, but they remain. There, a certain element of nomination is there.

The Hon'ble Member talked about the idea of local self-governments and municipalities undergoing a revolutionary change. I certainly agree, but it is undergoing a revolutionary change in what direction ? The House must know in what direction it is undergoing a change ? Today they are not taken as bodies who are to formulate policies. but as bodies, you see, who have to execute certain works, certain programmes, certain plans, and therefore, everywhere, increasing decisions are bing taken to associate experts with local opinions in local bodies. This is the latest suggestion. I will refer for the information of the Hon'ble Members to the latest thinker late Harold Lasky has recommended on this issue and his suggestions are worth implementing but we have a bad impression, we have a bad knowledge, bad-background of the nominated members and since Government policy is clearly in this Bill that there should be no nominated members, even then I would request, I would like that the Government, must make it clear whether if the nominated members are to stand, then there must be successive provison in the Bill. If there are no provisions, then we must go by it, so that there must be no ambiguity as soon as the Bill comes into force.

Then, the argument may be given that there should be continuity; if we formulate certain law we must maintain a certain continuity, so that there may be no dislocation of work. This can be the argument. But this can be counteracted. Certain maximum period can be fixed for all boards, not only those who are appointed by the government, but all boards whether elected or nominated, all boards constituted under the previous Act must go and new boards must be elected, but then there will be a cry of 'no, no, no'. We will not want this. They are against nominated members, they are against appointed members. If I say why not change all boards which were elected by the previous Act and let new ones start afresh from 1st April when all acts begin they will not agree to this. Why not ? After all there must be some reason behind it. If you do not want that they should not exercise the powers though the Boards may continue, why not have fresh elections, so that both the purposes may be served. The nominated members will also go and new boards will be reconstituted with

(श्री श्रीमानसिंह)

fresh powers. There the continuity will also not have to be maintained.

So far as the sovereignty is concerned, if you demand sovereign right for local bodies, certainly there will be no such democracy in the world which will make the local bodies sovereign. Then there will be no sovereignty with the legislatures and it will not be decentralisation but chaos.

Another point that was raised by the Hon'ble Member was that we must frame legislation with party point of view. Today we are in power. Next day some other party may come......

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : On a point of information...

श्री श्रीमानसिंह : I am giving all information to you, my Hon'ble friend, that you need. Party in power! We have remained six months. We have fought elections. We have formulated our policies. We will carry it out. We will carry it out to its logical end. This is the position. Even as a congress-man I say this is the position. You say, why do you have nominated members? I say this is our political policy and we are entitled to it. We will make these decisions and we will give them to the public. If the public recoils, if there are repercussions, it is we as a party who have to suffer. Why should the Opposition be afraid of it? We have to face the public. We frame the policy. We have our political policy. I will always request the Hon'ble Members never to agree with the Opposition, never to reconcile with the Oppsition, for there is no reason. Good or bad we place the policies before the public. Why should we reconcile with you? That means you are not prepared to give any alternative to the public. You want to ditto what we want to do! Reasonableness! Where is reasonableness? When you have contested against us, you have criticised our policies, and today you claim reasonableness? Therefore, we have to place the policies and measures with whatever decisions we take. We must understand today that the Congress wants to implement socialims and you have come to safeguard vested interests, property rights, certain vested institutions. Today the very fundamentals of the State, the fundamental institutions are being challenged by us and if we compromise with you, the public will be bewildered as to what is this. We will destroy vested interests, vested institutions. No compromise with them. After all where is the reason, where is the rationale? Therefore; I will request you never to compromise with the Opposition. This is a political decision and a political decision must be passed and must be carried out; whatevar their repercussions, bad or good if they recoil we will

Page No.60

(श्री श्रीमानसिंह)

sutfer, we will face the public, not you, the Hon'ble Members of the Oppositions.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : On a point of order, Sir, I would ask, when a federal structure has been granted to us, where the State Governments have been given autonomy, does it interfere with the Central sovereignty ? So granting of certain type of autonomy to local bodies will not interfere with the sovereignty of the legislatures.

श्री श्रीमानसिंह : I am not a Minister to answer questions and answers. I have made my remarks, The Hon'ble Member may set them aside.

श्री उपाध्यक्ष : Let there be a dicsussion, outside the House when the Hon'ble Members meet.

श्री अर्जनदास : In the beginning I thought that the whole House...

श्री श्रीमानसिंह : On a point of order, I think the Hon'ble Member has spoken already.

श्री अर्जनदास : Not on this, please remember. I have not spoken on this point.

I thought and I certainly expected that this House could have got advanage from the Hon'ble Member in charge of the Bill before we continued discussion beyond this clause 2......

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Deputy Speaker. Sir, the proceedings may be looked into. I am certain the Hon'ble Member has expressed his views on this clause.

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मिनिटबुक देखने के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : The proceedings reveal that Shri Arjan Das has delivered his speech at the very outset.

श्री अर्जनदास : Not about merits. We have only been discussing what we should do.

श्री उपाध्यक्ष : I can further consult the proceedings.

(विराम)

Any way, I allow the Hon'ble Member to resume his debate.

श्री अर्जनदास : (अजमेर सिटी पश्चिम) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have just now said that I have requested the Hon'ble Member-in-charge of the Bill to make himself clear as to what he really means to lay down in this clause 2 so that we might also know what the position of the Government is and we might suggest the phraseology accordingly, but unfortunately for me and the people on the opposition side—there exist a good many of us here-the Hon'ble Member has successively evaded himself as to what the Government intends to say in clause 2 and we have really to grope in darkness and to suggest something

Page No.61

(श्री अर्जुनदास)

which I do not know, whether the Hon'ble Member may himself be meaning or may be meaning otherwise about it.

Anyway there are only two amendments at present, by the Hon'ble Shri Mathur on this side and one amendment which seeks to delete the phrase "unless the State Government otherwise directs." I, at least, cannot find out the reasons for the existence of this phrase in clause 2. If we try to think over it coolly I think the necessity of having this clause would not be felt at all. If the old Municipal Committees and Boards and by-laws have got to be continued as if they have been reconstituted, they have been constituted under the present Act coming into force, then why to have this clause "unless the State Government otherwise directs." I believe the only significance of a clause like this in clause 2 can be that the Government wants to keep powers, that is whether they should supersede any municipal committee which has been constituted under the old law or to continue; that seems to be the idea. Thus the Hon'ble minister-in-charge calculates or at any rate expects that every municipal committee in the whole of Rajasthan should be at his mercy rather than be independent of him. If you want every municipal committee to be at your mercy then certainly you are entitled to have a clause like this; but if you want to give them independence to continue to work without any fear or apprehension at the hands of the Government, then why have a clause like this? Presuming that there are ten municipal committees, why should the Government apply one standard for one committee and another for another committee? If you want to be away with one do away with all. If you want to continue, continue all. Why should you keep them at your mercy? Therefore, my submission is, let us accept this amendment moved by Hon'ble Mathur (Jagdish Prasad); that from this clause these words be deleted viz. "unless the State Government directs otherwise" Let there be one scale or measure for all the municipal committees. I request the Hon'ble Minister to choose one thing for all, one standard for all and he should not be discretionary. Let us not use any other words. Let him not continue one committee and dissolve another committee. If you want to continue all, continue all or dissolve all. Let us be straight and frank between ourselves at least.

The other amendment suggested is that the provision regarding the continuance of nominated members should be dropped from clause 2. I believe the other amendment which has been proposed, though could not actua-

(श्री अर्जुनदास)

lly be moved by the Hon'ble Mathur about sub clause (c) is also on the same subject. That has been circulated to all the Hon'ble Members of this House. The amendment suggested in clause (c) is that the word 'may' should be substituted by the word 'shall', All that the hon'ble Mathur suggests is that the nominated Municipal Boards should not be allowed to continue for a day more. I think that suggestion is rather a healthy suggestion and there should not be any difficulty in accepting it because the Hon'ble Minister-in charge of the Bill has himself conceded or accepted in this very Bill-no more doing with nominated members. Once you aocept the principle, why not also accept that all the nominated members that have been nominated so far shall cease to be nominated members form the date this Act or Bill comes into force. If anything is intended for the whole of Rajasthan State after two years why not have it today when you can easily have it ? But if you don't want to have it I will have my own inferences to draw. At least my inference will be that most of the nominated members of the municipal boards are all members of the congress party'not all of them but most of them are members of the congress party and the Hon'ble member-in-charge of the Bill does not want to drop them. He wants to continue them because he belongs to that party. It is a favour to the Congress party and not for the whole State. We should favour the State and not the party to which you belong. You can favour your party but not with these laws. You can later on give certain advantages to the Congress party but so far as my information goes, and I believe that my information is correct, that almost all the nominated members that you h ve got in the whole of the State today belong to one single political party i. e. Indian National Congress. If that is so the hon'ble Minister-in-charge expsoes himself to this charge that he wants to continue them in office because they happen to be congresmen. Let us be above these small things. after all you have passed that stage when these things mattered. Our Hon'ble Minister-in-charge of the Bill should not think of these small things. I shall say that all the municipal members who used to be nominated or had been nominated should cease to be nominated in the Municipal Boards as soon as this Act comes into force. Of course the other argument will be only a legal argument and that we will perhaps have to discuss between ourselves. Only after having the views of the Government on the question of fact as to how they would like to have the law we will look to the legal phraseology, adjust among ourselves and put

Page No.63

(श्री अर्जुनदास)

it in such a manner that it will be acceptable to all. Let everything be clear. What you mean to say, say in clear terms and not in ambiguous terms. I request the Hon'ble Minister-in-charge to please accept both the amendments moved by Hon'ble Shri Mathur.

२.६ म० प०

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लाज़ २ पर काफी देर से बहस चल रही है। मैं यह समझता हूँ कि लेजिसलेशन का मकसद साफ होना चाहिये। मामला यह है कि राजस्थान में बहुत सी म्युनिसिपल कमेटियां हैं, कुछ एक्ट हैं जिनका रेफरेन्स इसमें दिया गया है, वे एक्ट चल रहे हैं उन सब एक्टों को एक दिन खत्म करना है, या वे चलते रहेंगे जब तक म्युनिसिपल कमेटियां बनी हुई हैं उसका समय खत्म हो, उसके बाद उनको (कानून को) उन पर लागू किया जाए।

मैं समझता हूं कि यहां पर एक प्रोविजन "Provided that— (a) such repeal shall not affect the validity" यहां जो लिखा है, अगर इतना ही रहने दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसके जो डिटेल्स बी. सी. और डी. में दिए गये हैं, मैं समझता हूँ (ए) में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इस पर जनरल डिस्कशन हो चुका है और जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्रश्न है जिस समय जनरल डिस्कशन हुआ उस समय बहस कर चुके हैं। उसके बाद नोमिनेटेड और दूसरी बातें कही जा रही हैं और अगर कुछ भी करना है तो उसके इस तरह से कोई भी दो शब्द निकाल देने से काम नहीं चलेगा। मैं इतना जरूरी समझता हूं कि जो डिटेल्स दी गई हैं, वे इस एक्ट की सारी बातों को कवर अप करती हैं या नहीं उसकी जांच करनी चाहिये, नहीं तो आखिर में बी. सी. डी. में जो डिटेल्स हैं और कवर अप नहीं होने वाली हैं उन चीजों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जावेगा। इसलिये यह देखना चाहिए कि कोई चीज रह न जाए, अगर कुछ रह गया तो वह लागू करने के लिए क्या होगा, यह सोचने की बात जरूरी है। यह एक सेविंग क्लॉज़ है जैसा कि इसके हैडिंग से मालूम होता है। इससे जो मकसद लेजिस्लेशन का है उससे यह साफ मालूम होता है कि एक चीज लागू होती है। म्युनिसिपैलिटीज़ चल रही हैं, उनके रोजमर्रा इलेक्शन्स हो रहे हैं और अब तक वे एक्ट्स चालू हैं और कल ही अलवर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ है। क्या यह समझा जाय कि जो इलेक्शन्स हो चुके हैं इस एक्ट के लागू होने के बाद एक महीने में उनकी लाइफ को खत्म कर दिया जायगा? यह मेरे ख्याल से गलत होगा और यहां पर राजस्थान में मैं महसूस करता हूं कि जितने भी एक्ट्स बने हुए हैं वह सब के सब यू० पी. या दूसरी जगह से लिए गए हैं और राजस्थान में जो स्वायत्त शासन का इतिहास है वह बहुत पुराना नहीं है। हां, अजमेर के लिए तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर म्युनिसिपल कमेटी पिछले ६५ साल से है। इसलिए इस एक्ट में देखना यह है कि हमारा मकसद यह होना चाहिए कि उन एक्ट्स को जिनको कि हमने दूसरे प्रान्तों से लिया है, उनमें जो खराबियां हैं और उनके वहां रहने से वहां की जनता को जो तकलीफें हैं, उनको हमें यहां देखना चाहिये और उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें देखना यह चाहिए कि उन

(श्री ज्वालाप्रसाद)

एक्ट्स में हमारे यहां राजस्थान में इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं । यह जो मकसद है, यह तो आगे के सैक्शन्स में है । इसलिए मैं कोई कारण नहीं समझता कि इसके ऊपर किसी तरह की कोई चीज है । मैं देखता हूं कि हर क्लॉज़ में सेविंग क्लाज़ है और वह इसलिए रखा जाता है कि जिससे कोई गलती न रह जावे । यह इसलिए ही रखा जाता है कि कोई कमी रह गई हो तो दूर की जा सके ।

नोमीनेटेड मेम्बर्स का सवाल है । इस बिल में से इस "नोमीनेटेड" शब्द को ही हटा दें, मगर नोमीनेटेड हों तो नोमीनेशन के खिलाफ अगर आपको कोई चीज कहनी है तो फिर आधा घण्टे की बहस रख ली जावे और उसमें फिर यह तय कर लिया जाय कि नोमीनेटेड मेम्बर्स होने चाहिए या नहीं ? इस एक्ट में से नोमीनेशन चीज को हटा दिया जाय तो सब चीज ही गलत हो जायगी। हां, जिन पॉवर्स की बात कही गई और इसमें जो जनरल पॉवर्स हैं वे इस बात की हैं कि वह किसी भी दिन इस एक्ट को लगा दें । फिर जनरल पॉवर्स इस बात की भी हैं कि मानलीजिए कि कोई म्युनिसिपैलिटी अपने तमाम फंक्शन्स करने में असमर्थ हो तो उसको सुपरसीड कर लें याने उसमें कोई हेर-फेर कर दें, तो जो ये चीजें हैं और पावर्स हैं ये तो उन एक्ट्स में भी हैं । अगर उन एक्ट्स में से भी नोमीनेटेड मेम्बर्स के शब्द को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं । अगर गवर्नमेंट आज इस बात को मान ले कि नामीनेटेड मेंबर्स की जरूरत नहीं है और सभी मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए तो उन एक्ट्स में से भी इस नामीनेटेड मेम्बर्स के शब्द को हटाया जा सकता है । इस एक्ट में से इस समय इस नामीनेटेड शब्द को हटाने से गलतफहमी होगी । इसलिए मैं तो यह सजेस्ट करूंगा कि यह जो सेविंग क्लाज़ है इसमें सिर्फ इतना देखा जाय कि जिस तरह से सब म्युनिसिपल कमेटीज़ के एक्ट्स हैं उनके फंक्शन्स के बारे में कोई चीज छूट तो नहीं गई है । अगर कोई चीज छूट गई है तो उसको इसमें शामिल कर दिया जाना चाहिये ताकि लोग अचानक अदालतों में न चले जायें । अगर कोई चीज रह जाये या गलत तरीके से हो जाय तो ठीक नहीं । शहरों के अन्दर जिस तरह से वकील लोग बाल की खाल निकालते हैं उस निगाह से सरकार को कौंश्यसली और लॉ डिपार्टमेंट को इसको देखने की जरूरत है । इसलिए उन्हें डेफर भी कर दिया । मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि इस क्लाज़ को डेफर कर दिया है । मैं यह नहीं कहता कि माननीय सदस्य इस पर बहस न करें । जो सदस्य इस पर अपने विचार रखना चाहें रख सकते हैं, उसके बाद में जो चीज इसमें निकले उसको तय कर लें । लेकिन इसमें तो मैं एक ही बात के लिए कौंश्यस रहने को कहता हूं कि उन एक्ट्स के अन्दर जो कि एक्ट्स रिपील स्टेन्ड करते हैं उनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं रही है जो कि इस सेविंग क्लाज़ से कवर-अप नहीं होती तो इसकी वजह से सारी स्कीम खराब हो जायेगी । यह सेविंग क्लॉज़ हर एक एक्ट में रहता है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि इसकी जरूरत है । इसको डिलीट कर देने से या 'नोमीनेशन' शब्द के हटा देने से कुछ नहीं होगा । इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री **मदनसिंह** (दांता-रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लाज़ दो पर अभी जो अमेन्डमेन्ट रखे गए हैं उन पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । वैसे सदन के सामने इस

(श्री मदनसिंह)

क्लाज़ पर काफी बहस हो चुकी है और माननीय मिनिस्टर महोदय ने इस पर फिर विचार करने के लिए इसको रोक भी लिया है। इसके उपरान्त भी शायद इसके आगे बहस न कर मैं कांग्रेस की क्या पॉलिसी है उसके बारे में कुछ कहूंगा। आज कुछ मेम्बरों ने अपना भाषण दिया और उस भाषण के दौरान में मैं जानता हूँ कि कॉन्सटीट्यूशन आफ इन्डिया पर भी उसकी थोड़ी सी खिलाफत की और कहा गया कि माइनोरिटी की कुछ नहीं सुनना चाहिए। हमारे हाथ में सत्ता आ गई है और हमने जो तय कर लिया है वही होना चाहिए। अगर इस तरह की मंशा यहां हाउस के मेम्बरों की रही तो मैं यह समझता हूं कि ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी बात कहना फिजूल सा है। लेकिन जो यह सोचते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में है और माईनोरिटी की हमें कुछ नहीं सुनना चाहिए तो मेरे ख्याल से उन सदस्यों को पता नहीं कि वोट किसको ज्यादा मिले हैं। अगर वह यह पता लगा लें कि वोट किसको ज्यादा मिले हैं तो उनको मालूम होगा कि वोटों की संख्या इधर के लोगों की ज्यादा है। इसका मतलब तो साफ यही है कि उनको हर बात का जवाब पब्लिक में ही दिया जाय, यानी पब्लिक को तैयार किया जाय और उनको बताया जाय कि इस तरह से माइनोरिटी की हालत असेम्बली में है और यह इन कांग्रेसियों की पॉलिसी है। जैसा कि हम कह रहे हैं, गवर्नमेन्ट हर कानून को अपने हाथ में लेकर माइनोरिटी यानी जो जनता की आवाज है उसको इस तरह से दबाने की कोशिश कर रही है तो जो सदस्य उधर बैठे हैं वे आराम से सुन लें कि हर बहस के उपर आज जनता जवाब देने के लिए तैयार है। यह तो राजस्थान की जनता है, आप इसको किस तरह भी कुचलो तो यह बरदाश्त कर लेगी। दूसरे देशों में ऐसी बातें नहीं होती हैं। माननीय सदस्य ने विलायत की मिसाल दी, हमें आज उन मिसालों के ऊपर विचार नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हमें मालूम हो कि राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान की म्युनीसिपैलीटीज़ में गलत चीज हो रही है। जो नामीनेटेड मेम्बर्स हैं और जो जनता के चुने हुए नहीं हैं उनको नहीं रखना चाहिये। मैं तो यह जानता हूँ कि किसी भी बोडी में जनता के चुने हुए नहीं हों तो वे सही अधिकारी नहीं हैं और इस बिल में भी साफ है कि आगे के लिए नहीं रखे जायेंगे तो अगर नोमीनेटेड रख दें तो यह साफ जाहिर है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हम तो जीते हुए हैं इसलिये जो माइनोरिटी में हैं उन पर हमारा अधिकार होना चाहिए, यह साबित करता है। हो सकता है कि जिस समय एक माननीय सदस्य ने यह कहा तो ऐसी चिलम भरी हो। उस समय मैंने यह भी देखा कि मिनिस्टर महोदय बहुत खुश हो रहे थे कि चलो इतने सदस्यों में से एक तो पक्ष में बोला। इसलिए ऐसी चीजों को कुछ इशारों से भी प्रोत्साहन दिया जाता है तो....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके बोलने पर भी मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। आप तो बोले जाइये।

श्री मदनसिंह (दांता) : मेरे बोलने पर तो खुश नहीं हुए होंगे। हां, मेरे एक्शन्स पर खुश हुए हैं तो ठीक है। अगर आप कानून के अन्दर रख कर भी फिर आप नोमीनेटेड रखते है तो कानून बनने के बाद हर सिटीज़न को अधिकार है कि ऐसे बिना कानून के थोपे हुए आदमियों को चेयर पर बैठने दें या नहीं

(श्री मदनसिंह)

आप कानून पास कर दें, हम भी इसका इलाज कर देंगे।

श्री सोहनलाल भटनगार (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सिद्धान्त को न लेकर एक छोटी सी चीज को लेकर विवाद हो रहा है। प्रश्न यह है कि ऐसी संस्थाओं में नोमीनेटेड मेम्बर्स रखे जांय या नहीं ? अगर इस पर विवाद होता तो सम्भव है यह विवाद बढ़ता तो ठीक था लेकिन सवाल इतना है कि जो लोग पहले से चले आ रहे हैं, वे रहें या नहीं रहें। इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि नोमीनेटेड मेम्बर्स इसलिए रखे जाते थे कि स्पेशल इन्टरेस्ट जैसे शिड्यूल्ड कास्ट या दूसरी जातियां हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब जैसे कि अपना देश प्रगति कर रहा है और जैसी आम भावना है उसके अनुसार नोमीनेटेड मेम्बर्स रखे जाना ही ठीक नहीं है। इसके साथ ही जब क्लॉज़ दो को देखें तो विदित होगा कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जो रिज़र्वेशन रखने के लिए प्रोवीज़न रखा है और साथ ही लेडीज़ के लिए भी रिज़र्वेशन किया है। तो यह स्पेशल इन्टरेस्ट नोमीनेशन से नहीं आये और इलेक्शन से आये तो ऐसी सूरत में यदि नोमीनेटेड मेम्बर्स को इस एक्ट के आते ही हटा देते हैं तो जो स्पेशल इन्टरेस्ट शिड्यूल्ड कास्ट के लिए था वह हटा दिया जायगा, उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। क्योंकि दफा ६ के अन्दर यह इनक्युबेन्ट रखा है कि उसमें कुछ प्रोपोर्शन होगा कि एक आदमी तो कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट का होगा ही और बोर्ड की पूरी सदस्य संख्या के दसवें हिस्से से ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्वेशन नहीं होगा। तो जो दफा ६ है उसके इस प्रावीज़न को कार्यान्वित करने के लिए जो स्पेशल इन्टरेस्ट का रिप्रेजेन्टेटिव चला आता था वह समाप्त हो जायगा।

दूसरा जो निवेदन करना है वह यह है कि खाली 'नोमीनेटेड' शब्द या 'अपोइन्टेड, शब्द हटा देने से माननीय सदस्यों ने जो अमेंडमेंन्ट मूव किया उसका मकसद हल नहीं होगा। शब्द ये हैं कि म्युनिसिपल कोन्स्टीच्यूट इसका साफ मतलब यह होता है पहले एक्ट के अन्तर्गत जो म्युनिसिपैलिटीज़ कोन्स्टीच्यूट हुई थीं किसी में आठ आदमी होते थे, इलेक्टेड और दो नोमीनेटेड होते थे। दस मेम्बरों का म्युनिसिपल बोर्ड कोन्स्टीच्यूट होता था। अगर हम नोमीनेटेड मेम्बर्स को हटा देते हैं और म्युनिसिपैलिटी कोन्स्टीच्यूट यह शब्द रह जाते हैं, तो इसके मायने यह हुए जितने भी पहले के मेम्बर बने हुये हैं, वे रहेंगे। जहां दूसरी ओर हम यह कल्पना कर रहे हैं कि इस एक्ट के आते ही दुबारा म्युनिसिपैलिटीज़ का चुनाव होना चाहिये कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ जो अभी चुनी हुई हैं उनका भी चुनाव वापिस होगा अगर स्पेशल रिप्रेज़ेन्टेशन हटा दिया जाता है। तो मेरा निवेदन यह है कि जब हम मूल नीति को मान लेते हैं तो फोर दी टाइम बीइंग जो प्रोवीज़न है, उसे वैसा ही रखा जाय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ दो के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद दोनों पक्षों की तरफ से हुआ उसको मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुनती रहीहूं। वाद-विवाद से मालूम यह पड़ता है। कि मूलभूत बातों में किसी का कोई मतभेद नहीं है। सवाल सिर्फ छोटी छोटी बातों का है, यह तो निश्चित है कि हम सभी यह चाहते हैं कि स्थानीय संस्थाओं का नई तरह से पुनर्गठन हो। हम इतिहास को नहीं भूल सकते कि

(डॉ० चन्द्रकला)

हमने किस प्रकार से आजादी पाई और इसके बाद जनतन्त्र के आधार पर प्रान्त के राज्य संचालन के लिये इस विधान सभा का गठन हुआ। उसी तरह की परम्परा रीति–नीति हम स्थानीय संस्थाओं में भी लागू करना चाहते हैं, इसीलिये यह विधेयक हमारे सामने रखा गया है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं, जिसको जो जंचा वह कह दिया, यह मेरी नम्र राय में ऐसा लगता है कि हरेक व्यक्ति तत्कालिक दृष्टि से सोच रहा है। हम जब कि विधेयक पर विचार कर रहे हैं और कानून बनाने जा रहे हैं, वह एक साल के लिए नहीं, दो साल के लिए नहीं, तीन साल के लिए नहीं, बल्कि हम स्थानीय संस्थाओं के लिए उनकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की होगी, उनका विधान कैसा होगा, उनके अधिकार क्या होंगे, उन सब को समान स्तर पर लाने की चेष्टा हम इस विधेयक द्वारा करने जा रहे हैं। इस तरह के कार्य में हो सकता है हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्या हमारे सामने यह बात साफ नहीं है कि हमें समूचे राजस्थान को एक इकाई के रूप में करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कितने सालों के बाद धीरे धीरे करके अभी कुछ ही दिनों पहले समूचे राजस्थान को एक इकाई के रूप में ला सके हैं। इसी तरह स्थानीय संस्थाओं को म्युनिसिपैलिटीज़ को एक समान स्तर पर लाने में, उनको समानता देने में कुछ समय लगेगा, उसमें कठिनाइयां भी आयेंगी ही लेकिन जब किसी मूलभूत सिद्धान्त को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमें छोटे मोटे झगड़ों को त्याग देना चाहिये। आज छोटा सा झगड़ा है नोमीनेशन का, जिन माननीय सदस्यों ने नोमीनेशन की बात कही उनको मैं कह देना चाहती हूँ कि थोड़े समय बाद न तो नोमीनेशन रहने वाले हैं और न रिज़र्वेशन ही। आज म्युनिसिपल बोर्ड में दो लोगों का नोमीनेशन है, एक तो महिलाओं का और दूसरा हरिजनों का....

श्री अर्जुनदास : We do not envy them, but what about others ?

डॉ० चन्द्रकला : (जारी) कल भी जब यह बात चली कि 'men and women are one' उस पर भी एतराज किया गया। मैं सदन से निवेदन कर देना चाहती हूं, महिला समाज के लिए कुछ दिनों के बाद रिज़र्वेशन नहीं चाहिये। जहां तक नोमीनेशन का सवाल है आप बाकायदा नोमीनीशन खत्म कर सकते हैं और यदि नोमीनेशन खतम न भी हुआ तो मैं यह आप लोगों को आश्वासन दे देना चाहती हूँ कि महिला समाज बहुत दिनों तक नोमिनेशन का इच्छुक नहीं रहने वाला है। मैं हरिजन समाज के लिये कह सकती हूँ कि जो रिज़र्वेशन उन लोगों को दिया गया है वह बहुत थोड़े दिनों के लिये है। इसलिये इन छोटी छोटी बातों को लेकर उसमें मतभेद खड़ा करके अपनी भावनाओं को बिगाड़ने से और उनको तरह तरह से प्रगट करने से लाभ नहीं होगा। जो विधेयक हमारे सामने है उसकी जो मूलभूत बातें हैं उनमें हम सब एक हैं, तो वैसी हालत में हमें सद्भावना पूर्ण वातावरण में इस पर विचार करना चाहिये, प्रान्त के हित की दृष्टि से, जनता के हित की दृष्टि से इस पर खूब अच्छी तरह सोच-समझ कर हमें विधेयक को बनाना चाहिये। अमुक शब्द रहें या नहीं रहें यह विवाद क्यों? संशोधन दो अंग्रेजी शब्दों के सम्बन्ध में हैं जिनके तरह तरह के अर्थ निकलते हैं। यह तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिये न तो विरोधी पक्ष को आग्रह करना चाहिये और न हम लोगों को ऐसी

(डा० चन्द्रकला)

बातों पर अड़ना ही चाहिये। मेरा खयाल है कि हम बहुत शान्ति के साथ सब मतभेदों को भुलाकर इस विधेयक पर विचार करेंगे और जन तन्त्री आधार पर इसको पास करने की व्यवस्था करेंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से इन सब छोटी छोटी बातों को भुलाकर बड़ी सद्भावना के साथ, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में इस बिल को देखेंगे और इसको पास करने की कोशिश करेंगे।

श्री अर्जुनदास : If the nomination of the ladies continues we have no objection, we can agree; otherwise not. But I am afraid the Hon, ble lady member does not know much about it, most of the nominated members are not ladies.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी खास तौर से ऐसे वर्ग से आया हूं जिस वर्ग को म्युनिसिपैलिटीज़ में नोमीनिशन मिलता है। अभी यह वाद-विवाद चल रहा था कि म्युनिसिपैलिटी में जो नोमीनेशन होता है, उस नोमीनीशन को इस बिल के पास होते ही खत्म कर दिया जाय। यह तो इस प्रकार की बात हुई जैसे कोई शिकारी है वह शिकार करने जाता है, अगर उसको कोई बड़ा शिकार नहीं मिले तो वह छोटे छोटे बकरों को पकड़ कर ले आता है। इसी प्रकार की बात हरिजन और महिलाओं के साथ हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप हरिजनों के लिये कह सकते हैं, महिला समाज के लिये नहीं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह तो वे भी मानते हैं कि गरीब दोनों ही हैं। परन्तु आज आप नोमीनेशन को खत्म करके एक पत्थर से दो शिकार करने जा रहे हैं। यह तो बात ऐसी है कि "जिसके न फटे बिवाई वह क्या जाने पीर पराई"; जो लोग नोमीनेट होकर नहीं आये उनको क्या पता? भारत को आजाद हुए आठ साल हो गये किन्तु हरिजनों की आज जो स्थिति है वह वैसी की वैसी बनी हुई है, इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी में भी जो मेम्बर्स हरिजनों की ओर से लिये जाते हैं, वे भी अनपढ़ लिये जाते हैं ताकि वे कुछ भी काम नहीं कर सकते। महिलाओं के नोमीनेशन का जहां तक ताल्लुक है वह भी इसी प्रकार का नोमीनेशन होता है, लेकिन अब जब हमने यह बात सुनी कि वह नोमीनेशन ही खत्म किया जावेगा तो हमारा धीरज नहीं रहा। तो इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं... ...

(शोरगुल एवं कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : No cross-talks.

श्री जगदीशप्रसाद : रिज़र्वेशन है साहब।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : आप धीरज नहीं छोड़िये। नोमीनेटेड मेम्बर्स जो होते हैं, वे ऐसे तो होते ही नहीं कि जो जनता को कोई नुकसान पहुंचाए। वे तो वहां भी बैठे रहते हैं। उनको पूरे अधिकार भी नहीं होते। चौकड़ियों में जाते हैं बिचारे। उनके पास ऑफिस की फाइल तक नहीं आती, केवल मीटिंगों में जाते हैं और अपनी समय समय राय देते हैं। इतना सा भी जो कुछ किया जा रहा है उसको भी खतम करने जा रहे हैं। देश के लाखों शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों

(श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री)

में से कुछ आदमियों को नोमिनेट किया जाता है। यदि नोमीनेशन इस नये बिल के पास होते ही खत्म कर दिया गया तो उनके प्रति इससे अन्याय होगा और खास तौर से जो लोग सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़े चले आ रहे हैं, जिनको आज कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, और खास तौर से महिलाओं और हरिजनों को जो थोड़ा सा प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है, उनके प्रति अन्याय होगा, उनके थोड़े बहुत अधिकार जो मिले हैं वे भी छिन जायेंगे, चले जावेंगे। वे किसी तरफ के भी नहीं रहेंगे और नतीजा यह होगा कि पिछड़ी जातिवालों को खास तौर से हरिजनों और महिलाओं को काफी नुक्सान होगा।

डॉ० चन्द्रकला : नहीं होगा।

श्री अर्जुनदास : Ignorance is bliss.

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी कहूँगा कि आप महिलाओं का प्रश्न न लें। वे हैं यहां अपना पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिये।

(हंसी)

श्री अर्जुनदास : Does the Hon'ble Member propose to represent both the scheduled castes and the ladies ?

श्री उपाध्यक्ष : I think the Hon'ble Member represents only one.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I think he represents none!

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, क्या हरिजनों में महिलाएं नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble lady member has been opposing him all right.

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : हम बता देना चाहते हैं कि हरिजनों में भी महिलाएं हैं, वे आम तौर पर काफी पिछड़ी हैं।

उपाध्यक्ष : वे काफी बलशाली हैं। आप अपना ही प्रश्न रखिये न। why to create a conflict ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मेरी इस बारे में एक प्रार्थना है कि आज तक जो नोमीनेशन चला आ रहा है, उसको जब तक अवधि समाप्त न हो जावे तब तक बराबर जारी रहने दें और इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप न करें।

श्री किशनसिंह बट्टड (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर दो शब्द मुझे भी कहने हैं। चन्द्रकला बहिन ने कहा कि हमको रिज़र्वेशन की जरूरत नहीं है। परन्तु मैं अर्ज यह करूं कि जो कुछ पढ़ी-लिखी महिलाएं हैं वे तो चुनाव में भी आ सकती हैं, लेकिन हम देहातों में बहुत पिछड़े हुए हैं और इन पिछड़ी हुई महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व कुछ थोड़ी-पढ़ी लिखी महिलाएं बखूबी कर लेंगी, इससे हमको सन्तोष नहीं है। चन्द्रकला बहिन ने कहा कि हम तो हमारे अधिकार छोड़ देंगी, अच्छी बात है, आप छोड़ दीजिये।

डॉ० चन्द्रकला : मांग कर नहीं, लड़कर लेंगी अपने अधिकार।

श्री किशनसिंह बट्टड़ : आप देहात के हरिजनों को और महिलाओं को देखें। उनकी हालत को आप जाकर देखें तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि अभी उनको यह अधिकार देना नोमिनेशन के द्वारा ही होगा।

Page No.70

(श्री किशनसिंह)

इसके साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि अगर उनको ये अधिकार देंगे तो जनता नाराज होगी, नाखुश होगी। पर यह बात नहीं है, वह तो बड़ी खुश होगी यह जानकर कि रिज़र्वेशन में किसी प्रकार की रुकावट न आवे और जिस तरह से यह चल रहा है उसी तरह से चलता रहे। रुकावट आने से हो सकता है जनता में नाराजी आवे। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बारे में ज्यादा बहस न करके जो रिज़र्वेशन के अधिकार चल रहे हैं हरिजनों के लिये वे चालू रहें और चन्द्रकला बहिन माफ करेंगी, अगर मैं यह कहूं कि महिलाओं के लिये भी चालू रहें तो कोई बात नहीं। बाद में अगर नहीं रहती है तो उस दिन देखा जावेगा, पर फिलहाल तो उनका भी नोमीनेशन रहे तो कोई बेजा नहीं है। ऐसा मैं महसूस करता हूं।

जनता का बार बार नाम लिया जाता है कि अमुक प्रस्ताव पास हुआ तो जनता नाराज हो जावेगी। जनता ऐसे प्रस्तावों से नाराज नहीं होती, वह तो खुश होती है। जनता उस वक्त और भी खुश होती है जब जनता के पक्ष के प्रस्ताव यहां पास होते हैं। कल यहां एक प्रस्ताव पास हुआ था। किसान को कितनी खुशी हुई होगी उस प्रस्ताव से, वह किसान ही जानता है। किसान कान लगाये बैठा रहता है। पूछता है, जानना चाहता है कि तुम्हारी असेम्बली में कोई हमारे पक्ष का बिल है क्या, कोई हमारे पक्ष का प्रस्ताव आता है क्या? कल का दिन किसान के लिये बड़ा अच्छा था कि वह प्रस्ताव पास हुआ; जागीर रिज़म्प्शन में रही सही जगीरें भी अब जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यहां आज के दिन का ही प्रश्न लिया जावे तो अच्छा है।

श्री किशन सिंह बटड़ : इस तरह से आज का दिन उनके लिये खुशी का दिन नहीं होगा, अगर इनके ये नोमीनेशन के अधिकारी घटा दिये गए तो। इन अधिकारों को चलने दिया जावे।

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir, whether the present Hon'ble member...

(बाधाएं)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Let me hear what the Hon' ble Member's point of order is?

श्री अर्जुनदास : समझ में नहीं आया साहब। On a point of information, does the Hon' ble Member represent either of the two categories, the scheduled castes or the ladies?

श्री उपाध्यक्ष : Order! order please! I thought it must have been the very point.

२.३२ म. प.

श्री अर्जुनदास : Does he represent either of the two?

श्री किशनसिंह बटड : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंग्रेजी को नहीं समझ पाता हूँ।

(हँसी)

इसलिये मेरे लिये कठिनाई है।

श्री अर्जुनदास : और मैं हिन्दी नहीं जानता हूँ, मैं क्या करूं तो।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पैरवी कर ली है।

श्री किशनसिंह बट्टड : इसलिये वे हिन्दी में बोलें तो बड़ी खुशी होगी। आपकी योग्यता के बारे में तब हमें मालूम भी हो सकेगा और आप क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, उन सबका जबाब भी दे सकेंगे। आप हिन्दुस्तान में रहे नहीं, ज्यादा इंगलैंड में रहे हैं, इसलिये आपके लिये अंग्रेजी जरूरी है

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! वे स्वयं हिन्दी नहीं जानते, यह मुश्किल है उनकी।

श्री किशनसिंह बट्टड : वे हिन्दी नहीं जानते, पर हिन्दी जानने वाले को उसका खमियाजा भोगना पड़े, यह तो अच्छा नहीं है।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से रिज़र्वेशन चला आ रहा है वह वैसे ही जारी रहे। इस बारे में हमें बहस न करनी पड़े। इतना ही कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री रामचन्द्र (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज म्युनिसिपल एक्ट के दूसरे क्लॉज़ के विषय में जो अमेन्डमेन्ट पेश हुआ है उस पर बहस चल रही है और इस सदन के तमाम सदस्यों ने अपने अपने अधिकारों की विशेषता दिखाते हुए बड़ी शांति के साथ और बड़े जोरों के साथ अपने अपने अधिकारों को मांगने की चेष्टा की है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब भाई सिद्धान्तशास्त्रीजी ने हरिजनों का सवाल खड़ा किया कि यदि उनके नोमीनेशन के अधिकार को खतम कर दिया जावेगा तो हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिये म्युनिसिपल कमेटियों में कोई नहीं रहेगा, तो किसी ने उनको उत्साह नहीं दिलाया। यह विषय बड़ा गम्भीर विषय है और मैं हाउस से अपील करूंगा कि इस हाउस का प्रत्येक सदस्य इस विषय पर बड़ी गम्भीरता से विचार करे और साथ ही अपने उन वादों पर विचार करे जो उन्होंने इलेक्शन के दिनों में हरिजनों के घर घर जाकर किये थे। उस समय उन्होंने बार बार वायदे किये थे कि हम तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे। पर आज जब हरिजनों के अधिकारों का प्रश्न सामने आया तो हर सदस्य उनके अधिकारों को जो उन्हें मिले हुए हैं उनकी रक्षा न करके उन पर कुठाराघात कर रहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख है। मुझे तो खुशी इस बात की होती अगर हरिजनों के अलावा कोई सवर्ण सदस्य हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़ा होता, लेकिन ऐसा न करके उल्टे हम लोगों में से जब कोई खड़ा होता है तो हमारी मजाक उड़ाई जाती है। यह उनको शोभा नहीं देता। रहा हमारी महिला समाज की ओर से भी जब हरिजनों के साथ उनका प्रश्न आया है तो उनकी तरफ से भी यहां अछूतपन का प्रश्न आ गया। हम महिलाओं को क्यों हरिजनों के साथ जोड़ते हैं ? वह ऐसा कहती हैं हम हरिजन वैसे अछूत माने जाते हैं किन्तु हमको इस हाउस में भी क्यों अछूत माना जाता है ? लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके प्रति समाज की चाहे कितनी ही तगड़ी भावना हो किन्तु याद रखिये कि अगर नोमीनेशन हटा दिया गया तो आपके लिये भी बड़ी मुश्किल हो जावेगी। यह बात ध्यान में रखिये कि आपका और हमारा जोड़ा तो कई वर्षों से चला आ रहा है और आगे भी...

(हंसी)

सम्बन्ध रहेगा। आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कुछ और विश्लेशण करियेगा, नहीं तो गलतफहमी हो जावेगी।

श्री रामचन्द्र (डग) : क्योंकि हम बहनों से चाहते हैं कि वे हमारे साथ ही रहें....

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे ही चाहता था।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र (डग) : इसलिए मैं रामायण की चौपाई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर दूं कि महात्मा तुलसीदास ने क्या कहा है :

"ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी।"

(हंसी)

ये तो आज से नहीं किन्तु वर्षों से हमारे साथ रह कर इन्होंने हमारे समान ही दुखों को भोगा है। इसलिए इन्हें हमसे इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। रहा अपने अधिकारों का सवाल; तो आप अवश्य अधिकार लीजिये, हमें एतराज नहीं ...

(हंसी)

हमारे अधिकारों पर कुठाराघात देखकर मैंने ये दो शब्द हाउस के सम्मुख कहने की हिम्मत की।

डॉ० चन्द्रकला : नोमिनेशन में हमारा अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष : इस चौपाई में भी आपका अपमान हुआ है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अलहदा करिये आप।

(हंसी)

(श्री रामचन्द्र से) आरम्भ रखिये।

श्री रामचन्द्र (डग) : अब जब कि म्युनिसिपल बिल सदन के सम्मुख पेश हुआ है तो इस समय भी जो हरिजनों के अधिकार हैं वे भी छीने जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह तो आपको याद ही होगा कि म्युनिसिपल बोर्ड्स को चलाने वाले हैं कौन लोग ? वे हरिजन ही तो हैं, यदि ये तमाम हरिजन आपकी भावनाओं को देख कर आपसे असहयोग कर जावें, तो आपका म्युनिसिपल बोर्ड एक दिन भी ठीक तरह से नहीं चल सकेगा। लेकिन वे अपनी सद्भावना से और आपकी सद्भावना लेते हुए, चाहे आप कितना ही अन्याय क्यों न करें, फिर भी आपकी सेवा करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे। इसलिए मैं आपसे और इस हाउस से अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष महोदय), आपके द्वारा गवर्नमेंट से यह प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों को अधिकारों को कम नहीं करें और उनका जिस प्रकार से सदा से नोमीनेशन होता रहा है उसी प्रकार नोमीनेशन होता रहे। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री गोकुलचन्द (लक्ष्मणगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं इस बारे में कहूं, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पहले अधिवेशन में एक प्रार्थना-पत्र विधान सभा के पूर्व सेक्रेटरी के सामने पेश किया था, उसमें २५ सदस्यों के हस्ताक्षर थे, और यह उस समय जब कि खास तौर पर म्युनिसिपल बिल पहले सेशन में प्रस्तुत हुआ, उस समय २५ सदस्यों ने रिक्वेस्ट की थी कि बिल को हिन्दी में पेश किया जाय तो अच्छा रहेगा। अभी मेरे साथी सदस्य ने कहा था और मैं भी उनमें से एक हूं, कि जो अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखता।

Page No.73

श्री उपाध्यक्ष : हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में है।

श्री गोकुलचंद : जो कुछ मिला है वह यह है। मुझे पूरा बिल नहीं मिल पाया है।

डॉ० चन्द्रकलाः केवल दो चेप्टर्स की ही हिन्दी हो पायी है।

श्री उपाध्यक्ष : आगे के चेप्टर्स आवेंगे तब दे दिये जावेंगे।

श्री गोकुलचंद : चूंकि मेन बिल को पूरा स्टेडी करने में मैं असमर्थ था, इसलिए क्लॉज़ २ पर जो वाद-विवाद चल रहा है उसके सम्बन्ध में मेरे कुछ अनुभव और सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और वे ये हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी नहीं हैं, कुछ अनुभव और सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं लेकिन फिर भी I wish if the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill were here,

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहें तो उनको आह्वाहन किया जाय ?

श्री गोकुलचन्द : अच्छा तो यही है ?

श्री पूनमचन्द : (उप मंत्री) I am here.

श्री उपाध्यक्ष : He is here.

वे हैं इसलिए इत्मिनान रखिये, आरम्भ करिये।

श्री गोकुलचन्द : नोमिनेशन के बारे में कुछ मेरे ख्याल हैं और उसूल हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अलवर म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव हुआ। उपाध्यक्ष महोदय मैं सदन से और आपसे निवेदन करूंगा कि महिला प्रतिनिधि के लिए नोमिनेशन करना जरूरी है क्योंकि फोड़-तोड़ की नीति ठीक नहीं है। उनकी और हमारी शक्ति मिल कर ठीक हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला इस प्रश्न को तय करें। नहीं तो खामख्वाह की यह बहस चल रही है।

डॉ० चन्द्रकला : तोड़-फोड़ का सवाल ही नहीं है। सबको मिल कर चलना है। जैसी कि कहावत है कि हर एक पुरुष ४० प्रतिशत स्त्री और ६० प्रतिशत पुरुष होता है और हर एक स्त्री ४० प्रतिशत पुरुष और ६० प्रतिशत स्त्री होती है। समन्वय तो है ही।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !
अगर इस रेश्यो को मान लिया जाता है तो झगड़ा समाप्त हो जाता है।

(हंसी)

श्री गोकुलचन्द : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अलवर म्युनिसिपल बोर्ड में एक बहिन नामजद सदस्या थीं। उन्होंने और मैंने एक लेख प्रकाशित किया था कि म्युनिसिपल बोर्ड में नामजदगी प्रथा हटा दी जाय और गवर्नमेन्ट को चाहिये कि रिज़र्वेशन की व्यवस्था करदे। उस वक्त कोई कानून नहीं आया था। सौभाग्य से वह बहिन पहले ही से थीं। जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी उसमें हार गई और दूसरे सदस्य जो प्रजा के थे पॉवर में आ गये। एक प्रश्न उठा कि कांग्रेस की हुकूमत है राजस्थान में और देश में। चूंकि राजस्थान से इसका सम्बन्ध है इसलिए मैं राजस्थान के लिए

(श्री गोकुलचन्द)

कहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है और वहां कांग्रेस पार्टी को जनता ने पसन्द नहीं किया और हटा दिया तो प्रश्न यह उठा कि नोमिनेशन किस पार्टी से किया जाय ? वाद-विवाद चला लेकिन गवर्नमेन्ट को अधिकार था, इसलिए गवर्नमेन्ट की ओर से मैं और वह बहिन नामजद किये गये। कुछ अनुभव सामने आये । भलाई की बातें हम चाहते थे, कहीं सड़कें बनाना चाहते थे, कहीं नालियां बनाना चाहते थे, कहीं क्या होना चाहिये और कहीं क्या । तो उस समय यह प्रश्न पैदा होता था कि मैं किसका प्रतिनिधि माना जाऊं । आखिर यह हुआ कि मैं जिस वार्ड से आया वहां का प्रतिनिधि माना जाने लगा और इसी तरह वह बहिन भी । एक दलील आयी, कहां और किसका प्रतिनिधित्व करें । खैर हरिजनों का प्रश्न आया उस पर मैं और वे बोलीं । महतरों को क्या दिया जाय, उनको छुट्टियां कैसी दी जायं, कितनी दी जायं, इस पर बोलने के अलावा कोई भी पोलिसी प्रश्न ही नहीं आया । किसी तरह से रिक्वेस्ट करके जनता में काम करवाते लेकिन आखिर सोचा जाने लगा कि यहां बैठना उपयोगी होगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : हम इस क्लॉज़ २ के संशोधन पर काफी चर्चा कर चुके हैं । मेरा निवेदन है कि सीधा संशोधन के विषय में ही कहें । बाकी जो म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में इधर उधर की चर्चायें करेंगे तो ये अत्यधिक हो जावेंगी और इस तरह से समय खत्म होता जावेगा । फिर जैसा आप उचित समझें ।

गोकुलचन्द : नामजदगी का प्रश्न है, रिज़र्वेशन का प्रश्न है । एक बात यहां नहीं बैठती है कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया और उसके अनुसार रिज़र्वेशन मिला और अलवर जिले में और किसी जिले में जनसंख्या के आधार पर रिज़र्वेशन दिया और जहां जैसी जन संख्या थी उस हिसाब से, किसी डिस्ट्रिक्ट में १ सीट और किसी डिस्ट्रिक्ट में २ सीट्स हरिजनों को मिलीं । इस बिल में यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि कितनी सीटें कुल होंगी और उनमें से कितनी सीटें किस आधार पर हरिजनों को दी जावेंगी और उसके लिए क्षेत्र कौनसा होगा और चुनाव कैसे होंगे ?

आप देखिये अभी हमारे यहां अलवर जिले में तिजारा टाउन कमेटी का चुनाव हुआ । उसमें कुल ८ सीटें थीं जिनमें २ नामजद, ८ सीटें का चुनाव हुआ मगर वार्ड नहीं बनाये गये । एक आदमी ने ८ वोट डाले और इस प्रकार से उसका चुनाव किया गया । ऐसी जगह में हरिजनों के लिए रिज़र्वेशन होगा । तो कौन से एरिया से होगा ? ८ सीटें हैं जिन्हें सारे के सारे शहर वाले चुनेंगे । अलग अलग वार्ड बनें इसकी व्यवस्था होना जरूरी है ।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि उसके लिए नगर की जनसंख्या हो, जिस आधार पर सीटें नियुक्त होंगी और उसी के अनुसार हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए उस लिहाज से उनका रिज़र्वेशन होना चाहिये यही मैं कहना चाहता था । रिज़र्वेशन जरूर होना चाहिए ।

एक बात यह थी नोमीनेशन बिल पास होने के बाद क्या पोज़ीशन होगी उन सदस्यों की जो कि नामजद कर दिये गये हैं । मेरा विचार यह है कि जब यह बिल पारित कर दिया जाय और जिस तारीख से यह लागू हो उसके बाद में आने वाले चुनाव में रिज़र्वेशन लागू करना चाहिए........

Page No.75

श्री उपाध्यक्ष : आप किस क्लाज़ पर बोल रहे हैं ?

श्री अर्जुनदास बट्टड : We want a number of seats reserved for schebuled castes. I do'nt know whether they want reservation for ladies also. provision may be made for the reservation of seats for ladies as well as for scheduled castes.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! प्लीज़,

श्री गोकुलचन्द : मैंने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : उसका प्रश्न अब उपस्थित नहीं होता है। बहस का समय हो चुका है।

श्री गोकुलचन्द : "नोमीनेटेड" शब्द रहे, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! अब श्री मुक्तिलाल मोदी कुछ कहेंगे।

(हंसी)

श्री मुक्तलाल मोदी (बैराट) : माननीय उपाध्यक्ष, यह जो बिल फिर दुबारा म्युनिसिपैलिटी का हाउस के सामने आया है, उस पर करीब १२ महिने पहले काफी बहस करके तथा एक प्राइवेट कमरे में असेम्बली में विचार करके हमने पास किया था। समझ में नहीं आता कि सरकार किस तरह की नीति चला रही है कि अभी भी उसी पुराने ढांचे को, फिर साल भर के बाद हमारे इस हाउस के अन्दर इस बिल को ला रही है ? उसमें सरकार के ऑफिसरों की गलती है या सरकार में जो काम करने वाले है उन लोगों की ? यह नहीं समझ पाते कि दो करोड़ जनता राजस्थान की है, उन्होंने हमको अपने नुमायन्दे बना कर भेजा है और हम लोग यहां का शासन चलाते हैं, तो इससे सरकार का कितना नुकसान होगा और असेम्बली के जो सदस्य हैं उनका कितना समय जायेगा जब कि दूसरे कई बिल, जो कि काफी जरूरी हैं असेम्बली में आने वाले हैं।

इस बिल के लिए पहले करीब डेढ़ महिने तक काफी बहस हुई, उसके बाद में पास हुआ था, लेकिन फिर यह हाउस के सामने आगया। मेरे सामने मेरे दोस्तों ने बताया कि यह प्रश्न चल रहा है कि नोमीनेटेड सीट नये बिल में सरकार ने हटा दीं उसके लिए बड़ी खुशी की बात है, परन्तु उस वक्त भी यह चीज़ आई थी कि सरकार अपने हाथ में पावर न ले कि म्युनिसिपैलिटीज़ को बगैर तरीके या कोई चीज़ देखे हटा दिया जाय या उनको खत्म कर दिया जाय। ऐसी चीज़ इस बिल के अन्दर आनी चाहिए कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट जज को यह पॉवर्स देदें कि म्युनिसिपैलिटी की सारी चीजें देखने के बाद वह म्युनिपैसिलिटी को हटा सकते हैं। परन्तु सरकार ने अपने हाथ में पूरी जिम्मेदारी ले रखा है। माननीय उपाध्यक्ष कल भी एक बिल के ऊपर इस तरह की बहस हो रही थी, परन्तु उस बिल का इस बिल के साथ संबंध था। परन्तु मेरे मन में मैं समझता था कि उस बिल के पास होने से म्युनिसिपैलिटीज़ के मेम्बर्स जो बनते हैं उनमें बाधा पहुँचेगी। मैंने तो कल यह कहा था और आज भी कहने को तैयार हूं कि सरकार अगर उस बिल को पूरी तरह से लेती है तो मैं इस बिल क आवश्यकता नहीं समझता। सरकार अधिकार अपने हाथ में लेती है तो सरकार रे

Page No.76

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज़ को चला ले ताकि जो म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर्स खराब होते हैं एक एक वोट के पीछे, जिन को एक-एक वोट के पीछे गुलाम बनना पड़ता है, हर आदमी को जैसा कि अभी एक दोस्त कह रहे थे कि एक वोट के पीछे क्या-क्या करना पड़ता है। परन्तु यह प्रजातन्त्र का जमाना है। आगे लोगों को बढ़ाना है तो मेरा यह कहना है कि जनता को ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए और मिलने की बात लोग समझ गये हैं। वे समझ गये हैं कि वोट उनका कितना कीमती है और किस आदमी को देना चाहिए........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, हम क्लॉज़ के ऊपर आये हुए संशोधन पर विचार कर रहे हैं, और आप प्रिन्सीपल पर चले जा रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उदाहरण के तौर पर बताना पड़ेगा, साहब !

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ करिये, आरम्भ करिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कल भी काफी बहस हुई है और आज भी इस पर बहस हो रही है। इसलिए सारी चीजों को उदाहरण देकर बता रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, कल जो चीज चल रही थी वह आज इस बिल में आनी चाहिए थी। वे अधिकार इस म्युनिसिपल एक्ट में मिलने चाहिए थे। तभी म्युनिसिपैलिटीज़ राजस्थान में चल सकती हैं। आज इतना मोटा बिल पेश कर दिया। मेरी कान्स्टीटुएन्सी की हालत अर्ज कर रहा हूं। वहां म्युनिसिपैसिटी के चुनाव हो जाते हैं। उनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। वह म्युनिसिपैलिटी काम नहीं कर पाती है। उन म्युनिसिपैलिटीयों में न किसी तरह के साधन है और न वे किसी तरह का प्रबन्ध कर सकती हैं। सिर्फ उन्होंने चुनाव का तरीका अपना लिया है जब कि राजस्थान सरकार की तरफ से अर्बन इम्प्रुवमेंट बोर्ड के जो अधिकार हैं उनको भी सरकार इन म्युनिसिपैलिटीज़ को नहीं देगी तो फिर म्युनिसिपैलिटी की क्या आवश्यकता है ? म्युनिसिपल एक्ट सरकार को हाउस के सामने नहीं लाना चाहिए था। अगर लाये हैं तो म्युनिसिपैलिटी के अधिकार दोनों के अन्दर लिये हैं। सरकार अपने हाथ के अन्दर नोमीनेट करने का पॉवर रखा है, म्युनिसिपैलिटी को हटाने का पॉवर रखा है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं हाउस के सामने यह बात रखना चाहता हूं, जैसा कि आज मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि अगर सरकार इस बात का ध्यान नहीं रखती है तो जो नोमीनेट होकर आते हैं उनको त्याग करना चाहिए और वे जो मेम्बर नोमीनेट हैं वे हट जावें। जब सरकार की यह नीति है और आज सरकार ऐसे बिल पास करती है, तो हमको उससे उल्टा काम करना चाहिए जो कि इसका विरोध करने वाले हैं उनको, तो यह अपने आप ही बन्द हो जायगा। लेकिन यदि यह चीज नहीं कर सकते तो आज सरकार को चाहिये कि जब म्युनिसिपैलिटीज़ के नये चुनाव होंगे और दोनों म्युनिसिपैलिटीज़ में मतभेद होगा तो आपस में मतभेद होने से एक कांस्टीट्युएन्सी में, एक तहसील में और एक डिस्ट्रिक्ट में ही दो तरह की म्युनिसिपैलिटीज़ होंगी तो अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि सरकार जब कोई कानून पास

Page No.77

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

करती है तो उसमें दो तरह की चीज नहीं होनी चाहिये। या तो सरकार को यह करना चाहिये था कि जितनी म्युनिसिपैलिटीज़ राजस्थान में हैं उनमें जो नोमिनेटेड मेम्बर्स लिये गये हैं उनको हटाना चाहिये था लेकिन यदि नये एक्ट में इन्हें हटाया है और पुराने एक्ट में नोमिनेटेड मेम्बर्स रखे हुए हैं तो एक ही तहसील और एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो तरह की चीजें होंगी, यह कहां तक उचित होगा? इस पर सरकार फिर एक अमेन्डमेन्ट लायगी। क्योंकि सरकार के दिमाग में बाद में यह आयेगा कि एक तहसील में दो चीजें कैसे हो सकती हैं। जब कि एक ही तहसील में इसी तरह की पंचायतें बनी हुई हैं और म्युनिसिपैलिटीज़ बनी हुई हैं और आपस में चुनाव लड़ते हैं, इस गांव के उस गांव में और उस गांव के इस गांव में, तो यह समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या नीति है? कानून एक होना चाहिये। राजस्थान के लिये दो तरह का कानून नहीं रहना चाहिये जब यह म्युनिसिपल एक्ट पास होगा तब तक माननीय उपाध्यक्ष, बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज़ का टाइम, भी खत्म हो रहा है। अक्टोबर नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में काफी म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हो रहे हैं। मैं समझता हूं एक-डेढ़ महीना इस एक्ट को पास होने में लग जायगा और फिर दस्तखत होने में टाइम लगेगा तो मार्च तक यह बिल एक्ट के रूप में पास हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप सारे बिल पर बोल रहे हैं या संशोधन पर ?

३. २ म० प०

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, संशोधन पर बोल रहा हूं और जनरल भी बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा आपसे निवेदन है कि जनरल पर नहीं बोलिये, केवल क्लॉज़ २ के संशोधन पर बोलिये। मुझे उम्मीद है, आप मेरी बात मानेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आपका हुक्म है तो....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! संसदीय परम्परा के अनुसार जब अध्यक्ष बोलता है तो आपका कर्त्तव्य है कि आपको बैठना चाहिये।

३. २ म० प०

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, सरकार ने इस बिल में जो नोमिनेटेड शब्द रखे हैं, उनको हटाना चाहिये और नये एक्ट के अनुसार ३ वर्ष के बाद फिर नयी म्युनिसिपैलिटीज़ बनने का नम्बर आयगा और जनता के चुने हुए मेम्बर हैं, वे समझेंगे। कम से कम २ करोड़ जनता में से १ करोड़ जनता के अंदर म्युनिसिपैलिटीज़ हैं और १ करोड़ में पंचायतों को समझ लें। हाउस के मेम्बर्स को मालूम है कि १ करोड़ जनता के अंदर म्युनिसिपैलिटीज़ होंगी। उसमें भी करीब ६० लाख म्युनिसिपैलिटिज़ का चुनाव हो जायगा।

(हंसी)

६० लाख जनता में म्युनिसिपैलिटीज़ अभी कायम हैं उनका चुनाव हो जायगा और ४० लाख जनता की म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव बाकी रहेंगे तो ६० लाख जनता का ३ वर्ष के बाद नम्बर आयगा। तो माननीय उपाध्यक्षजी, यह सोचना चाहिये कि ६० लाख जनता इससे महरूम रह जायगी। ६० लाख और ४० लाख को मिलाने से १ करोड़ होता है या कितना होता है.......

Page No.78

श्री उपाध्यक्ष : असंख्य होता है ।

श्री मुक्तिलाल (जारी) : तो सरकार को देखना चाहिये कि आज कितनी जनता परेशानी रहेगी इस बीमारी से ? आज ४० लाख जनता का आप इस एक्ट से फायदा करते हैं और १ करोड़ का वैसे ही फायदा करते हैं, सब मिलाकर १ करोड ४० लाख का फायदा हो जाय ।

(बाधा)

श्री सोहनलाल भटनागर : Wrong arithmetic.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will not disturb the debate.

श्री मुक्तिलाल मोदी : अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि ६० लाख जनता के प्रतिनिधि जो अभी चुनकर आये हैं उनको देखना चाहिये कि यह गलत है या सही है, उनको सोचना चाहिये । ६० लाख जनता महरूम रहेगी । पुराने एक्ट से ६० लाख जनता अभी चुनाव कर लेगी । आप यदि इसी तरह के चुनाव कराना चाहते हैं तो कराइये, हमारा इसमें हर्ज नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः निवेदन करूँगा कि आप संशोधन तक ही सीमित रहें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) ६० लाख व्यक्ति संशोधन में आते हैं, यदि नहीं आवें तो........

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और हाउस के मेम्बर्स से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को सोचें, उधर बैठने वाले भी, और मंत्री जी को बतावें कि मित्रों ने जो संशोधन रखा है वह आज नहीं पास हो तो कमरे में बैठकर अलग विचार कर लें और यह जो क्लॉज़ २ है उसको कल पास करने में भलाई है, लेकिन सोच विचार कर, ६० लाख जनता का क्या प्रतिनिधित्व होगा, उसको देख कर पास करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Would the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill like to reply ?

श्री पूनमचंद विश्नोई (उपमंत्री) : I shall reply after all the things have been discussed.

श्री उपाध्यक्ष : Should I seek the leave of the House for deferring the consideration of this clause 2 ?

(विराम)

Is it the leave of the House to defer consideration of this clause 2 ?

(विराम)

Leave granted ?

श्री अर्जुनदास : In the light of clause (b) you might have to say something ?

श्री उपाध्यक्ष : Should we take the whole clause ? the question is that the clause 2 may be deferred for Consideration.

(स्वीकृत)

It is deferred for consideration.

(विराम)

Then I take clause 3. Shri Shribhan Singh to move his amendment to clause 3

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में जो अमेन्डमेन्ट है कि "Sub-clause (1) be substituted by the followings.

'(2)"Capital value" means the value or price for which any building or land exclusive of furniture or machinery contained or situated therein or thereon, might reasonably be expected to be sold in the market from year to year,"

उपाध्यक्ष महोदय, ओरिजिनल बिल के अन्दर जो बेसिस ऑफ अ सेसमेन्ट रखा है हाउस टैक्स का वह है एन्युअल लेटिंग वेल्यू को डिफाइन करना । सिमिलरली इन दि एन्ड जो वर्ड्स यूज़ किये हैं वे हैं ।

"might reasonably be expected to be let from year to year." इसके अन्दर टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत इन्वोल्वड है और इसके पहले कि मैं बताऊं, मैं माननीय मंत्री जी को सूचना दे दूं कि एन्युअल वेल्यु की जगह केपिटल वेल्यु सब्स्टीट्यूट कर दिया जायगा, एज़ ए बेसिस ऑफ टैक्सेशन, तो नई बात नहीं होगी । यह जो एन्युअल लेटिंग वेल्यु है वह इंग्लैंड में बेसिस ऑफ असेसमेन्ट है और फ्रान्स में और दूसरे कुछ कंट्रीज़ में भी है । मगर मेजोरिटी ऑफ कन्ट्रीज़ है, उनके अन्दर केपिटल वेल्यू बिल्डिंग या लैंड की, बेसिस ऑफ असेसमेन्ट है । इसलिए मंत्री महोदय मेरे संशोधन को मंजूर करेंगे तो यह राजस्थान के लिए कोई एक नया एक्सपेरीमेंट नहीं होगा । यह वह चीज़ है, जिसे दूसरी कन्ट्रीज़ ने चालू किया है और ल्युक्रेटिव सोर्स माना है । अब एनुअल वेल्यु बेसिस रहने में क्या दिक्कत आती है ? सबसे पहले यह डाइरेक्ट टैक्सेशन है । एनुअल वेल्यु जो है, उसमें डिफाइन किया है " might reasonably be exfpected "

यह जो प्रोपर्टी टैक्स है, इसकी मन्शा यह है कि यह टैक्स एक प्रोपर्टी पर होना चाहिए, न कि इन्कम पर । मगर उस प्रोपर्टी की वेल्यु या इन्कम या वेल्यु ऑफ हाउस कैसे मेजर करें जायगी "might reasonably be expeeted "

टैक्सेशन का जो बेसिस होना चाहिए वह कॉन्क्रीट बेसिस पर होना चाहिए, हाइपोथेटिकल बेसिस पर नहीं होना चाहिए और एनुअल वेल्यु पर टैक्स चार्ज करना चाहिए । मगर उसका इन्डीकेशन क्या है, कौनसी चीज एन्युअल वेल्यु को इन्डीकेट करती है ? शायद वह एक्च्युअल रेट है, लेकिन एक्चुअल रेंट पर गवर्नमेंट का टैक्स असेस करना सही होगा । वह केलकुलेट करेगी एनुअल वेल्यु को इस प्रकार टैक्सेशन में एक एलीमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल नेस इन्ट्रोडयूस हो जायगा । लेकिन कोई यह पूछे कि annual वेल्यु क्या है, तो ऐसेसी नहीं बता सकता । मगर annual वेल्यु को केलकुलेट करने का बेसिस है "reasonably be let year to year"

अगर हाइपोथेटिकली एन्युअल वेल्यु को सब्सटीट्यूट करें केपीटल वेल्यु से तो जो दिक्कत आती है वह दूर हो जायगी । एन्युअल वेल्यु में एक दिक्कत आती है और वह जरूर । आयगी मान लीजिये कि कोई बिल्डिंग अन्लेट है और उसकी वेल्यु केलकुलेट की जायगी , तो उस पर जो टैक्स होना चाहिए वह म्युनीलिसिपैलिटी या गवर्नमेंट असेसी किस तरह लेवी करेगा ? इस में अनलेट में एक प्रिन्सिपल है जो यूज़ किया जायगा । जो बिल्डिंग अनलेट (unlet) है उसका Contractors एस्टीमेट पर रेंट असेस कर देते हैं,

Page No.80

(श्री श्रीभानसिंह)

उसके मुताबिक ही टैक्स लेवी करेंगे। इस तरह एक तरफ तो मन्शा है कि टैक्स फिक्स करें कॉन्क्रीट बेसिस पर, "reasonably be expected to let from year to year," दूसरी तरफ लेट बिल्डिंग है, उनका टैक्स रेंटल बेसिस पर करें, तो हाइपोथेटिकल एलीमेंट को कॉन्क्रीट एलीमेंट कर देंगे। अब प्रश्न रह जाता है केपीटल वेल्यु का। शायद केपीटल वेल्यु को न समझें। इसका मतलब है, एक बिल्डिंग की जो मार्केट प्राइस है, उस पर अकोर्डिंगली टैक्स लेवी किया जायगा। इसके आगे जो डेफिनिशन है, वह यह है कि लाइबिलिटी किस पर है ? लाइबलिटी के बारे में विलायत में क्या रखा है ? अपने यहां लाइबिलिटी ओनर पर रखी है, लेकिन विलायत के अन्दर लाइबिलिटी टेनेन्ट पर है। अगर ओनर पर लाइबिलिटी रखते हैं तो मतलब यह है कि गवर्नमेंट की मन्शा यह है कि यह इन्कम टैक्स नहीं है, मगर टैक्सेशन ओन दी पज़ेशन ऑफ दी पोपर्टी पर है। जब ओनर पर और उसकी इन्कम पर टैक्स रखते हैं, तो जो इन्कम उस बिल्डिंग को सब-लीज़ करने पर, या लेट करने पर ओनर को होती है, उसको टैक्स करते हैं। इस प्रकार यह प्रोपर्टी टैक्स नहीं हुआ। इसकी मन्शा यह है कि प्रोपर्टी पर टैक्स होना चाहिए। लेकिन यह प्रोपर्टी पर टैक्स नहीं हुआ, उसकी इन्कम पर टैक्स हुआ तो अगर केपीटल वेल्यु को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो ओनर को टैक्स करते हैं इसलिए कि वह प्रोपर्टी को पज़ेस करता है।

अब तीसरी चीज यह है कि अगर केपिटल वेल्यु सब्सटीट्यूट हुई तो for the possession of the property we are taxing the owner, not because of the income derived from it. फिर जो क्राइटेरिया रखा है, उस टैक्सेशन का, उसमें क्राइटेरिया एबिलिटी टू पे होना चाहिये। इसमें कुछ इन्डीकेशन होना चाहिये उस चीज का, कि जो आदमी टैक्स पे करता है, एक्चुअली वह आदमी 'एबल टू पे' है, उसकी टैक्सेबल केपेसिटी है, या उसकी केपेसिटी टू पे करने की है या नहीं ? यह इन्डीकेट हो जाय, मगर 'रीज़नेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रोम इयर टू इयर' से उस आदमी की एबिलिटी टू पे जाहिर नहीं होती। हो सकता है वेल्यु ऑफ हाउस ज्यादा हो और उसका रेंट कम हो, या उस बिल्डिंग की मार्केट प्राइस कम हो, रेंट ज्यादा हो। इससे ओनर की एबिलिटी टू पे इन्डीकेट नहीं होती, अगर एन्युअल वेल्यु को केपिटल वेल्यू से सब्स्टीट्यूट करते हैं, तो ओनर की एबिलिटी टू पे जाहिर हो जाती है। जो बड़ी बिल्डिंग रखते हैं, उनकी एबिलटी टू पे जरूर ज्यादा रहेगी। फिर आज तक सब टैक्सेशन के अन्दर बहुत से फाइनेन्शियल विज़ार्ड हैं, उन्होंने कहा है कि इस एन्युअल रेंटल वेल्यु के अन्दर किसी तरह एलीमेंट ऑफ प्रोग्रेशन लायें, जैसे किसी आदमी की इन्कम ज्यादा आती है, किसी आदमी की इन्कम कम है, तो उसको ग्रेजुएटेड बेसिस पर टैक्स करें। अगर यह बेसिस नहीं होगा तो एन्युअल लेटिंग वेल्यु के अन्दर किस तरह प्रोग्रेसिव एलीमेंट इन्ट्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह केपीटल वेल्यु हो जाता है, तो किसी बिल्डिंग को टैक्स करते हैं तो उसमें एलीमेंट ऑफ प्रोग्रेशन आ जाता है। जो बिल्डिंग की मार्केट वेल्यु होती है, वह प्रोग्रेसिव रेट पर हो जाती है। मैं मानता हूं कि टैक्सेशन असेस करने में दिक्कत आयेगी, इसके मेप बनाने पड़ेंगे, इसके चार्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, मार्केट प्राइस की असेसर को नोलेज रखनी पड़ेगी। यह दिक्कत एन्युअल लेटिंग वेल्यु

(श्री श्रीमानसिंह)

के अन्दर आती है। फिर जब टैक्सेशन की मन्शा यह है कि यह एम्फेसाइज़ करें कि पज़ेसर ऑफ प्रोपर्टी को टैक्स करें। लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं है। डेफीनेशन ऑफ एन्युअल लेटिंग वेल्यु है, उसमें पज़ेशन ऑफ प्रोपर्टी एलीमेंट है, वह कहीं पर एम्फेसाइज़ नहीं होता। तो अगर इसकी जगह केपीटल वेल्यु रखें, तो यह पूछा जा सकता है कि अगर असेसर एन्युअल वेल्यु असेस करेगा, तो उसका आब्जेक्टिव टेस्ट क्या है, वह किस तरह करेगा ? तो यह कहा जायगा कि सिवाय इसके कि अगर कोई पांच रुपया मकान से पाता है, तो यही उसका आब्जेक्टिव टेस्ट है। टैक्सेशन के लिए और कोई आब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। मगर केपीटल वेल्यु रखते हैं तो केपीटल वेल्यु और बिल्डिंग जो मार्केट की है, वह आब्जेक्टिव टेस्ट रहता है और उसके मुताबिक हर बिल्डिंग का टैक्स असेस कर सकते हैं और इस बिल्डिंग वेल्यु पर 'एबिलिटी टू पे होने से जो बिल्डिंग पज़ेस करता है, वह असेस करके टैक्स दे सकता है। फिर जब, उपाध्यक्ष महोदय, अगर केपीटल वेल्यु का और एन्युअल लेटिंग वेल्यु का कम्पेरिज़न करेंगे तो उससे हाउसिंग पर क्या एफेक्ट पड़ता है ? एन्युअल लेटिंग वेल्यु जो विलायत में लेनी की गई है, उसको काफी साल से टेस्ट करते आ रहे हैं। वहां पर इस टैक्सेशन से हाउसिंग प्रोग्राम पर एफेक्ट हुआ है। वहां नतीजा यह हुआ कि मिनिस्टर फोर हाउसिंग को गवर्नमेंट की तरफ से एड (aid) देनी पड़ती हाउसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए। इसलिए अगर हमको हाउसिंग प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना है, इसमें प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो एनुअल रेंटल वेल्यु को चेंज करके केपिटल वेल्यु को लाना पड़ेगा, जहां जहां हाउस टैक्स वगैरह हैं और एन्युअल लेटिंग वेल्यु लगाई है। इंगलैंड में भी यह है, अमेरिका का उदाहरण है। तो जहां पर यह केपीटल वेल्यु से असेस होता है, वहां पर म्युनिसिपैलिटीज़ की इन्कम बढ़ती है और प्रोग्रेसिव एलीमेंट इन्ट्रोड्यूस होता है। तो जो आदमियों को रिलीफ मिलना चाहिये, वह केपीटल वेल्यु को अडॉप्ट करने से रिलीफ मिल जाता है। आज हमारी म्युनीसिपल कमेटीज़ की जरूरत है कि ज्यादा आमदनी हो, तो अगर केपीटल वेल्यु रखें और इस टैक्स में प्रोग्रेसिव एलीमेंट हो, तो आदमी ज्यादा पे कर सकता है। जो बिल्डिंग ओनर्स हैं वे ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं। फिर उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन सिस्टम में एक चीज जरूर होनी चाहिए और वह है कि इज़ी (easy) असेसमेंट, इज़ी केलकुलेशन होना चाहिए। एन्युअल लेटिंग वेल्यु में लाएबिलिटी ओनर पर रखते हैं, तो फिर यह हो सकता है कि कभी हाउस अनलेट हो, और ओनर कहीं बाहर चला जाय, तो फिर नोटिस दिया जाय और नोटिस देने के बाद टैक्स ओक्युपायर से लिया जाय और अगर केपीटल वेल्यु रखते हैं तो easy असेसमेंट और easy केलकुलेशन आ जाता है और इसके साथ ही टैक्स के अन्दर भी चेंज जाता है और सब से ज्यादा लास्ट जो है सभी टैक्स की आय होनी चाहिये लोकल टैक्स और अदर टैक्सेज़ की, वह यह होनी चाहिये जो डेस्परेट है। जो इकोनोमिक इनइक्वेलिटी प्रिवेलिंग है, कहीं वह टैक्स इकोनोमिक इक्वेलिटी को रिड्यूस करता है या बढ़ाता है। एन्युअल लेटिंग वेल्यु ली जाती है तो कोई नहीं कह सकता कि इससे हम इकोनोमिक इनइक्वेलिटी को रिड्यूस करते हैं। जब क्राइटेरिया. ओफ लाएबलिटी

Page No.82

(श्री भीमसिंह)

नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि एन्युअल लेटिंग वेल्यु से टैक्स लेंगे तो इकोनोमिक इनइक्वेलिटी को कैसे रिड्यूस कर देंगे। एबिलिटी टू पे और एलीमेंट ओफ प्रोग्रेशन लगा देते हैं तो साफ जाहिर है कि यह इकोनोमिक इनएक्वेलिटी को रिड्यूस करता है।

सबसे बड़ा पोइन्ट जो केपिटल वेल्यु पर टैक्सेशन को अपील करता है वह यह है कि यह इनक्वेलिटी को रिड्यूस करता है। यह कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है जो हमें इससे डरना चाहिये कि यह हम नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, पर यह बहुत से देशों में सक्सेसफुली ट्राई हुआ है। इससे लोकल बोडीज़ की फाइनेन्शियल कन्डीशन सुधरेगी, इससे ईल्ड बहुत ज्यादा आता है। आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह है कि लोकल बोडीज़ के फाइनेन्सेज़ को किस तरह बढ़ाया जाय? जितने प्रोडक्टिव सोर्सेज़ हैं वे आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, उनसे जो छोटे प्रोडक्टिव सोर्सेज़ हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखा है, ऐसी सूरत में लोकल बोडीज़ के पास सोर्सेज़ ओक्ट्रॉय और टर्मिनल टैक्स रहते हैं, जो इन्डायरेक्ट टैक्सेज़ हैं, जो अल्टीमेटली इनएबल पीपुल पर, जो पूअर पीपुल हैं, जिन पर कि कम बर्डन पड़ना चाहिये उन पर ज्यादा बर्डन डालता है।

म्युनिसिपैलिटीज़ में पोलिसी ओफ balancing budget follow करना चाहिये। प्रधान मन्त्री ने वार्निंग दी थी कि आज deficit फाइनेन्सिग में central गवर्नमेंट के बजट को copy नहीं करना है, क्योंकि खर्चा ज्यादा और आमदनी कम है। यहां स्टेट बजट्स और सेन्ट्रल बजट्स की कॉपी की जायगी, म्युनिसिपैलिटीज़ बजट्स के अन्दर तो deficit financing perpetuate होगी जो harmful होगी।

सोशियल स्कीम्स को लाने के लिये तो इसका नतीजा यह होगा कि इकोनोमी इस तरह अपसेट हो जायगी कि हम उस पर कन्ट्रोल नहीं कर सकेंगे। यदि हम चाहते हैं कि लोकल बोडीज़ का बजट बेलेंस करें तो हमें यह करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव सोर्सेज़, ऐसे सोर्सेज़ ओफ इनकम इनको दें कि जिनसे जो गरीब हैं, उन पर बर्डन कम पड़े, ऐसे सोर्सेज़ देने पड़ेंगे जो इकोनोमिक इक्वेलिटी कर सकें। वह यह है कि केपिटल वेल्यु मार्केट वेल्यु बिल्डिंग्स की हैं उनका एसेसमेंट करके टैक्स रखें। विलायत से जो चीज आई है, उससे सेपरेट न होना चाहें, यही अगर दिल में हो तो मैं यह कहूँगा कि लोकल फाइनेन्शियल इन्क्वायरी कमेटीज़ कायम कीं, मैं यहां की नहीं कह रहा हूं, विलायत की कह रहा हूँ, वहां भी उन्होंने सजेस्ट किया कि इसमें अगर हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम की ओर ले जाना है, एरियर्स तरीके से देते हैं उसको रिड्यूस करना है तो एन्युअल लेटिंग वेल्यु पर असेस न करके कैपिटल वेल्यु पर असेस करना पड़ेगा। विलायत में टिनेन्ट पे करता है, यहां ओनर पे करता है। जब इन्डिया में ओनर की लाएबिलिटी मानी तो इसको इन्कम टैक्स नहीं माना है, इसको प्रोपर्टी टैक्स माना है और यह प्रोपर्टी टैक्स तभी हो सकता है जब कि केपिटल वेल्यु को असेस करके ओनरशिप को टैक्स किया जाय।

मुझे यह पता है कि हमारा टैक्सेशन कमीशन बैठा वह कन्ज़र्वेटिव है, इस मामले में सजेस्ट नहीं कर सका, मगर जो उन्होंने सजेशन दिया उसमें कहीं यह सुझाव नहीं

(श्री श्री भानसिंह)

दिया कि इस प्रिन्सपल को इस बेसिस पर अडोप्ट नहीं किया जाय। उन्होंने रीज़न्स नहीं दिये कि हमारे ये रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम केपिटल वेल्यु को असेस करके टैक्सेशन के मेथड् को रिकमन्ड नहीं करते।

लोकल बोडीज़ की तरफ से जिनकी कि फाइनेन्शियल पोज़िशन गवर्नमेंट को सुधारनी चाहिये मैं यह सुझाव रखता हूं कि केपिटल वेल्यु को असेस करने के टैक्सेशन का मेथड एडॉप्ट किया जाय।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट रखा गया है मैं उसके विरोध में बोलना चाहता हूँ। मेरे खयाल में यह जो केपिटल वेल्यु के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का तरीका सजेस्ट किया है, वह हो सकता है कि सिद्धान्त की दृष्टि से एक बहुत बड़ी सुन्दर चीज हो, लेकिन इसके सामने कुछ प्रेक्टिकल डिफकल्टीज़ भी कोमन सेंस से हमारे सामने आती हैं।

सबसे पहले आज तक हमने देखा है, सब म्युनिसिपैलिटीज़ में, बाहर की बात नहीं कह सकता, हिन्दुस्तान की म्युनिसिपैलिटियों में हाउस टैक्स एन्युअल रेंटल वेल्यु पर लगाया जाता है। इसका असेसमेंट इससे नहीं होता कि वाकई रेंटल अमाउन्ट उस मकान का क्या है, चाहे मकान हाउस ओनर के पज़ेशन में हो या खाली पड़ा हो। रेंटल वेल्यु का तरीका हमारा ट्राइड तरीका है, केपिटल वेल्यु से करने जायंगे तो सबसे बड़ी दिक्कतें हमारे सामने आयेंगी, वे पेश करना चाहता हूँ। मकान की वेल्यु है एट ए पोइन्ट ओफ टाइम तय करेंगे, They must select a point of time. किस तारीख को इसका केपिटल वेल्यु क्या है, एट ए पोइन्ट ओफ टाइम तय करेंगे। जिस तारीख से यह कानून अमल में आयेगा उस तारीख को उसकी जो वेल्यु है, उससे असेसमेंट होना चाहिये। आज एक मकान है, वह एक साल पहले कन्स्ट्रक्ट हुआ है, उसका आज के हिसाब से केपिटल वेल्यु एसेस होगा और एक दूसरा मकान है वह १० साल पहले बना है, उसका भी आज के हिसाब से एसेसमेंट होगा कि उसकी केपिटल वेल्यु क्या है। लेकिन एक मकान जो एक साल पहले बना है उसकी केपिटल वेल्यु में और दूसरा मकान जो १०–१५ साल पहले कन्स्ट्रक्ट हुआ है उसकी केपिटल वेल्यु में रात-दिन का फर्क है। १०-१५ साल पहले जो मकान बनाया उस पर आज की वेल्यु से चौथाई या इससे भी कम वेल्यु लगी होगी। आज इसी साइज़ का कोई नया मकान बनाया जाता है उसकी कोस्ट इससे काफी ज्यादा होगी। पर इस प्रिन्सिपल के आधार पर केपिटल वेल्यु असेस करते हैं तो दोनों की केपिटल वेल्यु बराबर होती है। शहरों के अन्दर रेन्ट कन्ट्रोल है, रेन्ट के ऊपर हमने कन्ट्रोल लगा दिया कि फलां तारीख से पहले या इतने वर्ष पहले जो मकान लेट आउट किया है उसका रेन्ट अमुक रहेगा, इससे नहीं बढ़ेगा। मुझे पता नहीं कि राजस्थान में रेन्ट कन्ट्रोल का कानून है या नहीं, मगर दूसरी सभी जगह रेन्ट कन्ट्रोल का कानून है और इसके लिये यह कानून है कि रेन्ट जो फिक्स है और जो पुराने टिनेन्ट हैं उन पर रेन्ट नहीं बढ़ाया जावे और कभी बढ़ाने की बात आती है तो भी गवर्नमेंट ५ प्रतिशत या १० प्रतिशत बढ़ा देती है। लेकिन आज हम केपिटल वेल्यु पर टैक्स लेने के लिये बात करते हैं। आज आप देखेंगे कि जो लोग पहले से मकानों में किरायेदार रह

Page No.84

(श्री पी० के० चौधरी)

रहे हैं उनसे वही पुरानी दर से किराया लिया जाता है, जैसे २५ रु० माहवार जो आज से १०-१५ वर्ष पहले लिया जाता था मगर आज आप उतना ही मकान लेने के लिये जायेंगे तो आपको मालुम होगा कि उतने ही मकान के २०० और २५० किराये के आपको देने पड़ते हैं। यदि आप टैक्स केपिटल वेल्यु पर असेस करेंगे तो उस मालिक को जिसने अपना मकान आज से १० साल पहले किराये पर दिया है, उस मालिक की बनिस्पत जिसने आज किराये पर दिया है आमदनी कम होगी और हाउस टैक्स उतना ही देना पड़ेगा जितना दूसरे को पड़ता है, They will be subject to the same taxation क्योंकि दोनों की साइज़ एक होगी और दोनों की केपिटल वेल्यु भी एक होगी।

श्री श्रीमानसिंह : I am just asking, by what logic their capital value will be the same ?

श्री पी० के० चौधरी : Because capital value will be the same. If you say capital value or market valne well, there is a distinct way in financial matters to assess the capital value of a particular thing. You can go to any financier. There is a particular standard for assessing the capital value of a thing. Capital value is determined by the present market value. The capital value of a house constructed 25 years back will almost be the same today which has got the same facilities and maintained at the same standard as the present day houses.

Of course I am open to argument but I think you can consult any expert about it. It is upto the House to accept it or not. Every member of this House is entitled to express his views. I am explaining according to my logic and if it appeals to your senses you can accept it and if it is idiotic you can reject it.

मेरे कहने का मतलब यह था कि केपिटल वेल्यु पर जो हाउस टैक्स लगता है तो यह गलत रहेगा और यदि आप ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत लोगों को हार्डशिप होगी। आगे आपकी मर्ज़ी है चाहे आप केपिटल वेल्यु पर लगावें, चाहे रेन्टल वेल्यु पर। लेकिन अगर लोजिक से चलें और सोच-समझ कर चलें तो रेन्टल वेल्यु पर ही हो तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रस्ताव के मूवर ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि इससे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है और रेन्टल रेट रिग्रेसिव होता है, मगर मैं यह कहूंगा कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन रेन्टल वेल्यु पर ही होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रेशन के एलीमेंट बराबर जारी रहते हैं और आज आप सोशियल पेटर्न की तरफ जोर दे रहे हैं तो सोशियल पेटर्न के जो एलीमेंट हैं उसमें ये बहुत आते हैं बनिस्पत केपिटल वेल्यु के; क्योंकि अगर आप केपिटल वेल्यु पर टैक्स, लगावेंगे तो उस आदमी को भी टैक्स देना होगा जिसने १० साल पहले किराये पर मकान दिया था और उस आदमी को भी वही टैक्स देना होगा जिसने आज बढ़े हुए किराये पर मकान किराये दिया है। मैं समझता हूं कि इससे कोई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं होगा और जो प्रोग्रेसिव टैक्स की बात कही गई है वह गलत है, वह तो रिग्रेसिव टैक्सेशन रहेगा।

(श्री पी० के० चौधरी)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ड्रॉबेक्स हैं। कोई भी जो कानून बनाते हैं उसमें एलिमेंट ऑफ जस्टिस रहना चाहिये और केवल भावनाओं के पीछे हमें बहना नहीं चाहिये। हमको पर्टिकुलरली ध्यान देना चाहिये कि कौनसी चीज ज्यादा अच्छी है। आप कहेंगे कि एसेसमेंट में सहूलियतें होती हैं। मैं कहता हूँ कि कोई सहूलियतें नहीं होती, मैं यह कहूँगा कि इससे काफी लोगों को दिक्कत पैदा होगी। सबसे पहले इस बात पर ही आपको बड़ी दिक्कत होगी कि आप वेल्युएशन किस बेसिस पर करेंगे? आज हमारा एस्टीमेट एक रूम के लिये कुछ वेल्युएशन का है जिसका पर्टिकुलर एरिया है। मगर मैं यह कहूंगा कि उस एरिया के रूम की केपिटल वेल्यु दूसरे उतने ही केपेसिटी के रूम के लिये उचित नहीं होगी, क्योंकि हमने उस दूसरे कमरे में अच्छा मेटीरियल काम में लिया है, टीक वुड के दरवाजे बनवाये हैं तथा और भी कई तरह का अच्छा सामान काम में लिया है। अतः उस कमरे की केप्टिल वेल्यु दूसरे उतने ही कमरे से कम होगी जिसमें इन्फीरियर टाइप का सामान लगा हुआ है। जो कमरा अप्टुडेट है उसमें और दूसरे में काफी फर्क रहता है। मगर जब आप रेन्ट पर टैक्स लेते हैं तो आपको उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अतः मैं समझता हूँ कि ओरिजनल बिल में जो रेन्टल वेल्यु है वही ठीक होगी और केपिटल वेल्युं किसी भी तरह से ठीक नहीं होगी और लोगों को इससे हार्डशिप होगी। मैं समझता हूं कि सदन केपिटल वेल्युएशन पर टैक्सेशन मंजूर करले तो काफी दिक्कत होगी। बस इतना ही कहते हुए मैं इस मोशन का विरोध करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ ३ में तो केवल परिभाषा दी गई है। इसमें तो यह दिया गया है कि वार्षिक किराया किसे कहेंगे। यह नहीं कहा गया है कि यह टेक्स प्रोपर्टी टैक्स होना चाहिये या रेन्टल टैक्स होना चाहिये। यहां पर कानून बनाने वालों ने रेन्टल वेल्यु पर टैक्स या प्रोपर्टी पर टैक्स को व्याख्या नहीं की है, बल्कि वार्षिक किराया किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा बताई गई है। अगर वेल्युएशन प्रोपर्टी पर टैक्स लिया जाएगा तो लोगों को बहुत परेशानी हो जावेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान की परिस्थिति और दूसरे प्रान्तों की परिस्थिति में बहुत फर्क है। राजस्थान में ऐसी म्युनिसिपैलिटिज् हैं, जैसे किशनगढ़ शहर में ही देखिये, वहां मदनगंज में एक प्रोपर्टी है १० हजार की, उसके किराये के १००) प्राप्त होते हैं और किशनगढ़ खास में दस हजार की प्रोपर्टी के १०) रु० महवार भी नहीं आते। आप इंग्लैन्ड, अमेरीका की बातें करने जा रहे हैं। आप राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज् की बात सोचें। जहां रूपनगढ़, सरवाड़, कुचामन सिटी जैसे स्थानों पर भी म्युसिपैलिटीज हैं, जो छोटे-छोटे टाउन हैं और वहां पर लोगों की बड़ी-बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं, जिनका यदि वेल्युएशन किया जावे तो लाखों रुपये होगा, मगर किराया देखा जावे तो १०) भी नहीं आता। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप सोच सकेंगे कि लोग कलकत्ते, बंबई आदि शहरों में रह कर और पैसा कमा कर नागौर, चूरू और फतहपुर आदि में मकानों पर रुपया लगावेंगे और जिन लोगों ने अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, बनाएंगे। उन लोगों ने जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनवाई हैं इसलिये नहीं

Page No.86

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

बनवाई हैं कि वे यो ही खत्म हो जाएं। ऐसी स्थिति में आपको सोचना है। आपको विदेशी कानून के अनुसार कानून बनाने की भावना में नहीं बहना चाहिये, बल्कि राजस्थान की परिस्थितियों पर सोच-विचार करना चाहिये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रेन्टल टैक्स की नीति, जो हमारे म्युनिसिपल एक्ट में अपनाई गई है, वह बिल्कुल ठीक है; क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक मकान एक हरिजन दस हजार रुपया लगाकर हरिजन बस्ती में बना लेता है तो उसका क्या किराया आयेगा ? मेरे ख्याल से उसका किराया दस रुपया भी नहीं आयेगा और जौहरी बाजार या मिर्जा इस्माइल रोड पर एक कोठरी का पचास रुपया महीना आ सकता है। इसलिए हमें इन सब परिस्थितियों को भी सोचना और समझना चाहिए। इसलिये जो वार्षिक रेन्टल वेल्यु पर टैक्स की नीति है वह बिलकुल ठीक है। यह नीति राजस्थान के लिए बहुत उपयुक्त हो सकती है। क्योंकि यहां तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज़ हैं। आप देखेंगे कि लाखों रुपयों की बिल्डिंग्ज़ हैं और उनका किराया कुछ भी नहीं आता और बेकार पड़ी हैं। इसी तरह से किशनगढ़ में एक दीवानजी की बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका किराया पच्चीस रुपया भी नहीं आता है। अगर उसका वैल्युएशन करेंगे और उस पर टैक्स लगायेंगे तो यह कहेंगे कि पत्थर भी आप ले जाओ; ऐसी स्थिति हमारे सामने आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में जो भी वार्षिक रेन्ट पर टैक्स लगाना निश्चय किया गया है वही ठीक है और जो प्रोपर्टी टैक्स के बारे में विचार है मैं उसके खिलाफ हूं और यह नहीं लगाना चाहिए।

श्री अर्जुनदास : Mr. Deputy Speaker, I think the amendment tabled by the Hon'ble Member is not worth accepting at all. The first flaw that I find in it is of course that he wants to amend sub-clause (1) of clause 3. Clause 3 is just a definig clause and it has got to define only those words which are used in this Act and none others. Within the body of the Act itself we use "annual letting value" and we cannot define any other phrase except "annual letting value". For that I just refer to clause 97. The words used therein in sub-clause (1) is "a tax on the annual letting value..." Unless and until the words here in clause 97 are amended, it will be no use amending the defining clause at all. I do not know if the Hon'ble mover of the amendment has suggested an amendment in clause 97-at least I do not have a copy of it.

श्री श्रीभानसिंह : You always talk in vacuum. therefore no need my answering you.

श्री अर्जुनदास : I do not follow.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member would like to hear what you have just said.

श्री श्रीभानसिंह : I do not repeat, Sir.

श्री अर्जुनदास : Only wise words are repeated, Sir.

So I do not konw if the Hon'. ble mover of the amendment has

(श्री अर्जुनदास)

also tabled an amedment to clause 97......

श्री श्रीभानसिंह : I would request the Chair to excuse his ignorance and then let him continue his argument.

श्री उपाध्यक्ष : I am not in a position to say whether there is ignorance, it is for the House. The Hon'ble Member should resume his debate.

श्री अर्जुनदास : (जारी) So there is no amendment suggested for clause 97 and. therefore, it is no use discussing the amendment. So long as we retain" annual letting value" in clause 97 we will be forced to define it in clause 3, whether we like it or not.

But when the Hon'ble mover of the amendment was trying to suggest an amendment in sub-clause (1) of clause 3, I presume he has also tried to suggest an amedment to clause 97. If he is trying to suggest that, I also think we should not agree with him. After all we have to put some tax on property, whether you take that tax in the name of rental value or capital value. It is just the same thing. We have got to tax building, whether by one name or another.

So now it remains how to collect that tax. I think the easiest way of collecting tax on a building is to know its rental value. As soon as we know the rental value, we can easily calculate, what will be the rent for it per-year.

The other thing that I could not follow from this suggested amendment is that it is suggested:-

"Capital value means the value or price for which any building or land exclusive of furniture or machinery contained or situated therein or thereon, might reasonably be expected to be sold in the market from year to year."

"From year to year"-I think this can apply only to rental value and not to the word 'sold". Therefore, I also suggest that looking to these things I think the annual rental value would be the correct basis and not the definition which is being suggested by the mover of the amendment.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन रखा गया है उसके सम्बन्ध में काफी विवाद हो चुका है और मैं समझता हूँ कि इसके हक में और इसके खिलाफ में काफी दलीलें दी गई हैं, उनसे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो ओरीजिनल बिल में प्रोवीजन रखा गया वही ठीक मालूम पड़ता है। सवाल यह है कि प्रोपर्टी का जो टैक्स लगाया जाय उसको इवेलुएट कैसे किया जाय? उसका वैलुएशन कैसे निकाला जाय? किसी आदमी की कोई प्रोपर्टी है तो उस पर टैक्स लगाने का बेसिस क्या है? उसमें सवाल यह आता है कि या तो उस बिल्डिंग की जो कीमत है उस पर

Page No.88

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

या जो उससे किराया वसूल होता है उसको बेसिस मानकर चल सकते हैं। इसमें जो क्लॉज़ है उसमें सिर्फ डेफीनेशन दी गई है लैटिंग वैल्यू की और मेरे अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ६७ के बारे में एतराज किया। इससे स्पष्ट है कि जो माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा है वह क्लॉज़ ६७ में चाहते हैं।.इसलिए इस बिना पर इस अमेन्डमेन्ट को अस्वीकार करना तो वाजिब बात नहीं मालूम होती, लेकिन जहां तक एन्युअल लैटिंग वैल्यु का सवाल है मैं यह अर्ज करूं कि वाक्य में कुछ दिक्कतें हैं और बहुतों ने इसको महसूस किया है। एक प्रोपर्टी की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत बड़ी बिल्डिंग्ज़ भी हैं, किले भी हैं उनकी जो कैपीटल वैल्यु है, वह बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन उनकी लैटिंग वैल्यू क्या होगी और बहुत ऐसी बिल्डिंग बड़े बड़े शहरों में हो सकती हैं, जयपुर में या दूसरे शहरों में, जहां मकानों की बहुत कमी है, तो वहां मकानों की कीमत तो कम होगी लेकिन रेन्ट ज्यादा होगा। क्योंकि यह किराया तो डिमाण्ड ऑफ सप्लाई पर डिपेन्ड करता है। लेकिन हमारे पास यह सुगम तरीका है जानने का कि इसकी लैटिंग वैल्यु क्या है और उसके हिसाब को न रख अगर कैपीटल वैल्यु है उस पर रखेंगे, तो बढ़ जायगा। मान लीजिए एक आदमी की प्रोपर्टी दो लाख की है और पचास रुपया भी उसका किराया नहीं मिलता है और कई ऐसी प्रोपर्टी हो सकती हैं जिन पर पैसा कम लगा हो और किराया ज्यादा मिलता हो, तो दोनों से बराबर का टैक्स वसूल करें तो न्यायसंगत नहीं होगा। माननीय सदस्य ने मूव किया अमेन्डमेन्ट तो उस पर बोलते समय उन्होंने स्वयं ने ही टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की बात कही। उन्होंने इसको थोरोली एग्ज़ामिन किया है कि जहां कैपिटल वैल्यु चल रही है उसको कन्टीन्यु कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एडवाइज़ यही किया है कि एन्युअल लैटिंग वैल्यु पर ही टैक्स लगाया जाना चाहिये। उन्होंने पर्सनल राय दी है, जो मान्य नहीं है। रीज़न इसके पीछे यह है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, ज्यादा स्टेबल जो चीज है वह एन्युअल रेन्ट वेल्यु है, इसलिये मैं माननीय सदस्य से, जिन्होंने अमेन्डमेंट रखा है, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक केपीटल वेल्यु की क्रिटिसिज़्म का सवाल है, किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि फलां फलां डिफिकल्टीज़ हैं। माननीय सदस्य ने टर्म्स रिट्रोगेट, Repressive, आदि शब्दों का प्रयोग किया, डिफिकल्टीज़ आदि टर्म्स यूज़ करके यह कह दिया कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाय, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें क्या क्या डिफीकल्टीज़ आने वाली हैं, क्या क्या कठिनाइयां पैदा होंगी, यह मेरी समझ में नहीं आयी और न उन्होंने ही कुछ भी बताया। पहले हमें यह देखना है कि हम टैक्सेज़ को किस तरह क्लासिफाई करते हैं। हाउस टैक्स में भी क्लासिफाई करते हैं और प्रोपर्टी टैक्स में भी करते हैं। अगर यह इनकम टैक्स होता तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट लेवी करती। प्रोपर्टी वे ही बना सकते हैं जिनके पास पैसा है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें अफोर्ड कर सकते हैं तो उनकी एबीलिटी टू पे टैक्स जरूर ज्यादा हो सकती है, यह एक साधारण सा आर्गुमेन्ट है। जैसे सीकर में, शेखावाटी में, चुरू में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें

(श्री श्रीमानसिंह)

खड़ी हैं, कलकत्ता और बाहर से कमाकर लोग लाते हैं और यहां आकर बड़ी बड़ी-बिल्डिगें बना लेते हैं। आप उनको टैक्स नहीं करना चाहते. क्योंकि उनसे कुछ भी इन्कम नहीं है। मैं कहता हूँ कि उनको टैक्स क्यों नहीं किया जाय. क्या वे अफोर्ड नहीं कर सकते ? आज जो लाख-लाख रुपये की बिल्डिंग यहां बना सकते हैं, क्या वे टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते ? इस तरह से जो टैक्स को बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पर तो आप टैक्स इम्पोज नहीं करना चाहते, आप उनको तो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि इनको अवश्य टैक्स किया जाय। मैं तो यह समझता हूँ, owners of property must not be protected.

एक माननीय सदस्य ने इस बात की लीगल डिफीकल्टीज उठायीं, उन्होंने कहा इस प्रकार का संशोधन तो डेफीनिशन में आने की बजाय क्लॉज ६७ में दी जानी चाहिये। उनको यह सोचना चाहिये कि जब मैं डेफीनिशन में अमेंडमेंट ला रहा हूं; तो धारा ६७ में तो अमेंडमेंट दिया ही होगा। एक माननीय सदस्य ने यह भी फरमाया कि रेन्ट रेट्स के आधार पर टैक्स किया जाय, जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी सजेस्ट किया है। मेरा उनसे निवेदन है कि हमारी स्टेट के अन्दर रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की तहत किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड को इन्कम नहीं होती, इन्कम उससे कम्पेरिटिवली है ही नहीं। तो फिर यह आधार कैसे माना जा सकता है ? मकसद हमारा यह है कि हम किसी न किसी तरह म्युनिसिपैलिटीज़ को सेल्फ सपोर्टिंग बनावें ताकि वे अपनी ड्यूटीज़ को सेटिसफेक्टरीली डिसचार्ज कर सकें। आज बीसवीं शताब्दी में हम रह रहे हैं, हम यह आशा नहीं कर सकते कि म्युनिसिपैलिटीज़ से केवल सड़कों की सफाई और गलियों की सफाई का ही काम लें। आज हमें उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की स्कीम बनानी होगी। आज कोई म्युनिसिपैलिटी यह रेज़ोल्यूशन पास करती है, प्राइमरी एजुकेशन हमें दी जाय। जब तक हम उनके आमदनी के रिसोर्सेज़ नहीं बढ़ायेंगे तब तक म्युनिसिपैलिटीज सोशल सर्विसेज़ एफिशियेन्टली डिसचार्ज नहीं कर पायेंगी। रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की एक माननीय सदस्य ने एक्ज़ाम्पल दी थी और कहा था कि एन्युअल लेटिंग वेल्यु पर टैक्स इम्पोज़ होना चाहिये। उनका खयाल है कि इससे रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की तहत म्युनिसिपैलिटीज़ की इन्कम बढ़ जायगी। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने यह सिफारिश की है कि जहां रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू है, वहां म्युनिसिपैलिटीज़ को सर्चार्ज भी लेवी करने दी जाय। मैं समझता हूं इसे माननीय मन्त्री महोदय भी एडमिट करेंगे। इसके साथ-साथ यह आर्ग्यूमेंट दिया गया है हार्डशिप्स का। 'हार्डशिप्स' यह टर्म यूज़ किया गया है लेकिन हार्डशिप्स क्या होंगी इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया है। क्या महल जिनके हैं उनके लिये हार्डशिप्स होंगी या झोपड़ियों में रहने वालों के लिये ? यह नहीं बताया। आप एन्युअल लेटिंग वेल्यु रख कर यह चाहते हैं कि धनवान लोगों को प्रोटेक्शन मिले। आज जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, जिनके पास इस प्रकार की बिल्डिंगे खड़ी करने के लिये पर्याप्त धन मौजूद है उनको तो आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, क्या यही हार्डशिप्स हैं। हार्डशिप्स की डेफीनिशन किसी ने नहीं बतायी।

इसके अलावा जो टर्म्स यूज़ किया

Page No.90

(श्री श्रीभानसिंह)

गया वह है इम्प्रेक्टीकेबल । राजस्थान में यह होना असंभव है । मगर मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर देना चाहता हूं जो यह सोचते हैं कि राजस्थान के लिये यह इम्प्रेक्टीकेबल है, उनको टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखना चाहिये, उसमें पन्द्रह-बीस स्टेट्स का नाम दिया है जिसमें यह चालू है । जो दुनियां के देश हैं, उनमें मेजोरिटी कन्ट्रीज़ में यह चीज प्रेक्टीकेबल है । एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा आप राजस्थान की बात करिये, आप तो इन्डोचीन की बातें करते हैं, ट्रावनकोर-कोचीन की बातें करते हैं, आप राजस्थान की स्थिति को देखते हुए बातें करें, एन्युअल लेटिंग वेल्यू को राजस्थान के लेवल पर सोचिये । कहने को तो आप कहते हैं कि राजस्थान की स्थिति को देख कर काम करना चाहिये । आपके राजस्थान में कौन सी जगह ऐसी है जहां हाउस टैक्स म्युनिसिपैलिटी को मिलता है ? केवल जयपुर ही एक ऐसी म्युनिसिपैलिटी है जो हाउस टैक्स वसूल करती है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : एक नहीं और भी हैं, किशनगढ़ म्युनिसिपैलिटी भी लेती है ।

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान के अन्दर एक ही म्युनिसिपैलिटी है जो हाउस टैक्स लेती है । हाउस टैक्स सभी लगाते होते तो इस बिल के अन्दर हाउस टैक्स को ओब्लिगेटरी नहीं बनाया जाता । हमारे देश में बहुत कम ऐसी म्युनिसिपैलिटियां हैं जो हाउस टैक्स लेती हैं, तभी तो टैक्सशन इन्क्वायरी कमेटी ने यह लिखा है कि इस हाउस टैक्स को ओब्लिगेटरी टैक्स बनाना चाहिये ।

राजस्थान में टैक्स का सिस्टम क्या पैदा हुआ था? क्या एन्युअल लेटिंग वेल्यू की बर्थ राजस्थान में हुई है ? जब आप इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं यह भी तो विलायत से कॉपी की गई है, विलायत की कॉपी आपको अच्छी नहीं लगती है, आपने कॉन्स्टीट्यूशन की कॉपी विलायत से की है तो फिर आपको क्या एतराज है अच्छी चीज को लेने में ? इन्क्वायरी कमीशन यह सोच रहा है कि आखिर हम किस बेसिस पर और किस तरह से हम इन चीजों को यहां इम्पोज़ करें और लोकल बोडीज़ की इनकम को बढ़ावें ।

एक उदाहरण यह भी दिया गया कि असेसमेंट की डिफीकल्टीज़ होंगी । मेरा यह निवेदन है कि हरेक नये मेज़र में इनीशियल डिफिकल्टीज़ होती हैं । मगर चूंकि इनीशियल डिफीकल्टीज़ होंगी, इस बात को लेकर कोई रिफोर्म्स हम लागू न करें; यह नहीं हो सकता । हमें हरेक रिफोर्म्स के अन्दर इनीशियल डिफीकल्टीज़ फेस करना होगा । हाउस टैक्स को सब जगह के लिये ओब्लिगेटरी कर दिया जाय तो भी कोई म्युनिसिपैलिटी उसका मेक्ज़ीमम यूज़ नहीं करती । इसलिये तो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने यह एडवाइज़ किया है कि स्टेट गवर्नमेन्ट ऐसे मेज़र्स एडोप्ट करे, क्योंकि इलेक्टड मेम्बर्स हैं, वे वोट केच करने के लिये इस प्रकार टैक्सेशन के मेज़र्स को यूज़ नहीं करते । तो टैक्सेशन एन्क्वायरी कमीशन यह बात भी करता है कि अभी तक हाउस टैक्स फुल्ली यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है । तो एक नया मेज़र, रेडिकल मेज़र और बेसिक मेज़र जो टैक्सेशन में इक्वेलिटी एस्टेब्लिश करने वाला मेज़र हो, वह काम में लेना चाहिये । इसमें इनीशियल डिफीक्ल्टी आवे तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिये और उससे घबराकर उसे छोड़ दें, यह आर्गुमेन्ट भी कोई नहीं है; इस टैक्स पर यह अर्गुमेन्ट लागू नहीं होता।

Page No.91

(श्री श्रीभानसिंह)

रहा यह, एक सदस्य ने कहा एक आदमी दस हजार का हाउस कन्स्ट्रक्ट करता है, पर एन्युअल रेन्ट कुछ नहीं। पर जो दस हजार का हाउस कन्स्ट्रक्ट कर सकता है, उसके पास बीस हजार का बैंक बैलेंस भी मौजूद होगा। नहीं तो जिसके पास कोरा दस हजार ही है, वह सब के सब को मकान में यूटीलाइज़ नहीं करेगा। वह पांच को ही, आधे को ही, यूटीलाइज़ करेगा, बाकी का आधा तो बैंक में ही रखेगा। तो जब वह दस हजार का मकान कन्स्ट्रक्ट कर सकता है तो इसलिये टैक्स भी पे कर सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है इतना।

एक माननीय सदस्य : लोन लेकर मकान बनाते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : मैं उनकी बात नहीं करता जो लोन के होबीच्युएटेड हैं। तो सरकम्स्टेन्सेज़ पर्मिट नहीं करते, यह एक आर्गुमेन्ट दिया गया। पर उन्होंने यह नहीं बताया कि वे सरकम्सटेन्सेज़ कौनसे हैं? मैंने माना कि इनीशियल डिफीकल्टी होगी, पर इसे फेस कर सकते हैं। मैंने ऐसा हिंन्ट भी दिया था। पर टैक्सेशन को लेवी किया जावे। अब वह कौन सा करें, कैसे करें, कितना असैस हो, मैं इन सब को यहां एक्सप्लेन करूं, इतना वक्त नही है।

अमेन्डमेन्ट है कि किस तरह से मीट करें। इसके लिये हमें अपने सामने एक नक्शा रखना पड़ेगा, ईयर टू ईयर कितना क्या है, इसका हिसाब रखना पड़ेगा। लैण्ड रेवेन्यू का भी सोइल क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी तरह से लैण्ड के लगान का सैटलमेन्ट करते हैं। इसमें भी वैसी डिफीकल्टी आती है, पर जब पूरे Chart तैयार हो जाते हैं, तो फिर रिसैटलमेन्ट में क्या डिफीकल्टी आती है, इसी तरह से इसमें भी यही है।

जब कैपिटल वेल्यू को बेसिस मान लेते हैं और वह रिकार्ड रखते हैं, तो क्या डिफिकल्टी फिर आने वाली है? फिर तो यह एक तरह का मैकेनिकल वर्क हो जावेगा और वेल्यु आप असैस कर सकते हैं।

म्युनिसिपेलिटी तो टैक्स लेवी नहीं कर सकती। इसके लिये मैं क्लॉज़ ९७ पर कॉम्प्रीहेन्सिवली डील करूंगा। पर इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, यह कहना दूसरा है। मैं इस बारे में एक्सपर्ट की राय आपको बताता हूं। डॉक्टर ज्ञानचन्द, लोकल सैल्फ की फाइनैन्स के ओथोरिटी हैं। उन्होंने भी इसे रिकमन्ड किया है। तो डिफीकल्टी को कन्डेम किया जावे। जनरली कन्डेम कर सकते हैं पर आर्गुमेन्ट को बेस रखकर किसी ने कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment put in by Shri Sribhan Singh to clause 3 (1)...

एक माननीय सदस्य : ४ बज गये हैं साहब।

श्री श्रीभानसिंह : The whole clause should be taken together.

श्री उपाध्यक्ष: I think the procedure has been devised by my predecessor, the Hon'ble Speaker......

श्री श्रीभानसिंह : सब क्लॉज़ को साथ में ही रख लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : और भी तो अमेन्डमेन्ट्स हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्लॉज़ तीन पर ? इस बिना पर तो एक ही है।

The question will be put when the whole clause has been discussed.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Here in the amendments I find that the language used by the Secretariat is wrong. It has been called a clause when it is not a clause. As a matter of fact it is a sub-section. Number three given in the Bill is called section and 3 (1) is sub-section. Clause is a section here but the whole Section cannot be voted as a whole. Here this section contains 35 sub-sections, so it will be wrong in principle, it will be inconvenient for the Members also if the entire Section containing thirty-five sub-sections and there may be various other clauses which are of the same type, if they are put to vote at a time because there are various types of amendments to the various sub-sections. So, I submit that if there would have been amendments to a parcitular clause then all the amendments could have been taken together, but when there are several sub-sections and there is no amendment to the same sub-section, then, I think, that sub-section is taken separately.

श्री उपाध्यक्ष : So I have put the question.

श्री श्रीभानसिंह : The hon'ble member has not brought home the point although he has spoken for half an hour.

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह : हम तो इस पक्ष में थे कि दी होल क्लॉज़ विल बी पुट टू वोट।

श्री पी. के. चौधरी : I have not spoken for half an hour. I was submitting that it is a sub-section. A clause is marked in the Bill as 'a', 'b', 'c' 'd', wheras a sub-section is marked as (1), (2), (3), and Section is marked as 1, 2, 3.

श्री चन्दनमल : The word 'clause' is used in a Bill while the word 'Section' is in an Act.

श्री उपाध्यक्ष : I have already put the question before the House. Let me dispose it of.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुश्किल हो जावेगी। एक एक पर हो।

श्री श्रीभानसिंह : पहले तो एक एक पर कर लें।

उपमंत्री (श्री पूनमचन्द) : We may take all the sub-clauses and then put the whole clause to vote.

श्री उपाध्यक्ष : I will take these separately. So I have put the question to the House. If the House wants me again to put the question I will put it. The question is that the amendment put in by Shri Sribhan Singh be accepted ?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

The amendment fails.

(विराम)

The question is that sub-clause (1) to clause 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Sub-clause (1) of clause 3 is added to the Bill.

श्री तनसिंह (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह करना है कि वैसे तो ११ बजे से लेकर ५ बजे तक का समय है। पर इसमें खास तौर पर लेजिस्लेटिव बिजनैस जब होता है तो उस समय दिमाग को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और इससे थक से जाते हैं जल्दी ही, और वैसे साधारण बहस होती है राज्यपाल के एड्रेस पर या बजट पर तो कुछ कम जोर पड़ता है और कम थकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि लेजिस्लेटिव बिजनैस के समय टाइम में कुछ लैटीट्यूड दिया जाना चाहिये। इस समय आप स्वयं देख लें, हाउस में बहुत कम व्यक्ति रह गये हैं। वे इन्टरेस्टेड नहीं हैं और जो इंटरेस्टेड हैं वे परेशान हो जाते हैं, सुनने वाले भी परेशान हो जाते है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय। कल इसको ले लिया जाय।

श्री चन्दनमल वैद: This is the sense of the House.

४ १० म. प.

श्री उपाध्यक्ष: मेरा क्षुद्र निवेदन है। यों ४॥ बजे तक इस सदन की कार्यवाही को खींचते हैं। किन्तु अब ४. १० बजे ही इसको एडजोर्न कराने का प्रबंध आरम्भ हैं और जब फिर दूसरा सत्र शुरू होगा उस समय फिर और समय में कमी होने लगेगी; यह खतरा जरूर है।

डॉ० चन्द्रकला: इसके बदले शनिवार को कर लें।

श्री तनसिंह: शनिवार को ले रहे हैं। ऑर्डिनरीली शनिवार को सेशन होता नहीं है, इस बार रख दिया गया है। लेजिस्लेटिव बिजनेस में लास्ट अवर बड़ा कठिन होता है। इसको शनिवार पर छोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीभानसिंहजी का संशोधन सस्ता निकल सकता है।

श्री श्रीभानसिंह: यह तो सारे बिल को डिलीट करता है।

श्री चन्दनमल वैद: यह तो सिटी कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी का झगड़ा है, उपाध्यक्ष महोदय स्वयं जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं नहीं मानता। We will adjourn after disposing of this simple motion that sub-clauses (2), (3) and (4) be added to the Bill.

श्री तनसिंह: ३ में अमेन्डमेन्ट्स हैं। न० ६०। My amendment is of a technical nature.

श्री उपाध्यक्ष: The Question is that sub-clause (2) of clause 3 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

It is added to the Bill.

(विराम)

Sub clause (3).

Page No.94

श्री तनसिंह : (बाडमेर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो दो अमेन्डमेन्ट्स हैं वे बहुत साधारण और भाषा को परिमार्जित करने वाले हैं। एक तो यह है.... "Inesrt the word 'other' between the words 'any' and 'purpose'." यदि जहां परपज़ अकेला आवे तो उसके साथ "other" हो जब परपज़ अकेला आता है तो उसके स्थान पर "othr purpose" हो तो अच्छा रहेगा। भाषा भी ठीक रहेगी।

दूसरा डेफिनेशन में है। जहां बिल्डिंग की डेफिनिशन लेते हैं वहां पर 'building' means a house, hut, shed or enclo sure, whether used as a human dwelling or for any other purpose and includes walls, rooms, passages, veandahs fixed platforms, etc." को लिया गया है लेकिन कुए को नहीं लिया गया है। और मैंने दूसरे म्युनिसिपल एक्ट्स में देखा है कि कुए बनाने के लिये भी पर्मिशन लेना म्युनिस्पैलिटी से जरूरी होता है। राजस्थान में भी अब तक ऐसा रहा है। इसलिए जहां बिल्डिंग्स की डेफिनिशन है वहां वेल्स भी शामिल कर देना चाहिये।

ये दो साधारण से अमेन्डमेन्ट्स हैं। इसमें मैं समझता हूं कि बहस की आवश्यकता भी नहीं है।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : About both these amendments ?

मैं दोनों अमेन्डमेन्ट्स के बारे में सबमिट करना चाहता हूँ। पहला अमेन्डमेन्ट, " any other purpose " कहा गया है; वह कॉन्सिक्वेन्शियल है और वह रूल आउट हो सकता है अर्थात् उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, माइनर अमेन्डमेन्ट है और इसमें वोटिंग का सवाल नहीं है।

दूसरा "वेल्स" का सवाल आया। बिल्डिंग्स की डेफिनेशन दे रही है, वह इस खयाल से दे रखी है कि 'building' means a shelter or enclosure." "कूए" बिल्डिंग्स की डेफिनेशन में नहीं आ सकते, कन्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन में जरूर आ सकते हैं। यह बिल्डिंग डिफाइन करता है इस खयाल से कि It is a shelter and enclosure. कूआ है वह किसी तरह एन्क्लोज़र या शेल्टर में नहीं आ सकता है। मैं समझता हूं कि इसको स्पीकर साहब ही रूल आउट कर दें और यह कन्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन में आवे तो अच्छा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक अमेंडमेंट है "वेल" के सिलसिले में; इस विषय में मेरा यह निवेदन है कि अगर इसको बिल्डिंग की डेफिनेशन में लेंगे तो मुश्किल हो जावेगी क्योंकि बिल्डिंग पर तो हाउस टैक्स लगेगा और इस दृष्टि से फिर कुए पर भी टैक्स लगेगा। यह तो एक मुश्किल पैदा हो जाती है।

दूसरा अमेंडमेंट लेंगवेज का है कि जिसे मन्जूर कर लिया जावे तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री तनसिंह : जैसा फरमाया कि कन्ट्रोवर्शियल हो जाता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर ऐसा होता तो पहले के कानूनों में कन्ट्रोवर्शियल हो सकता था क्योंकि पहले भी यह लिया है। सी. पी. के लिए मैं कह सकता हूं। दूसरों में भी बिल्डिंग की डेफिनिशन में "वेल" आता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसको म्युनिसिपैलिटी से पर्मिशन लेना आवश्यक होता है और अगर कूआ बनाता है तो भी पुराने कानूनों के

Page No.95

(श्री तनसिंह)

अनुसार पर्मिशन लेनी पड़ती है। यदि इसको इस डेफिनेशन में नहीं रखते हैं तो फिर उस हालत में कुआ खोदने के लिए म्युनिसिपैलिटी से पर्मिशन की आवश्यकता नहीं रहती है। कुआ बिल्डिंग से अधिक महत्वपूर्ण होता है, यह म्युनिसिपल एक्ट मारवाड़ और राजस्थान के दूसरे कानूनों में लागू था। उनमें तो "फेन्सेज, एन्क्लोजर्स" को भी इन्क्ल्यूड किया था। मुझे तो कोई एतराज नहीं, यदि आप नहीं करना चाहें; लेकिन काफी दिक्कत हो जायगी। यदि बिना इजाजत कुए का इरेक्शन किसी ने कर दिया तो उसकी कैसे रोक होगी? यह तो रास्ते मे भी हो सकेगा और जो लोग-बाग चलेंगे उनको दिक्कत भी होगी। मैं तो समझता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए यह आवश्यक है कि इसको इस डेफिनेशन में रखें। यदि और किसी जगह इस बिल में यह बताया गया है कि कुआ बिना इजाजत म्युनिसिपैलिटी के नहीं बनाया जा सकता है तो मुझे एतराज नहीं है। यदि यह भी स्पष्ट कर सकें कि बिना पर्मिशन के कुआ बनाया जा सकता है तो मैं मान सकता हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १६४ वें क्लाज़ में यह दिया हुआ है। इसको बिल्डिंग की डेफिनिशन में जोड़ने में फायदा नहीं है क्योंकि कन्स्ट्रक्शन करेगा तो बिल्डिंग के लिए करेगा। इसलिए इसको १६४ में प्रोवाइड किया गया है कि 'वेल' कोई खोदेगा तो उसकी पर्मिशन की आवश्यकता होगी।

श्री तनसिंह : १६४ में पर्मिशन है, वह तो बिल्डिंग की है।

एक माननीय सदस्य : कुआ भी है। He will have to obtain the permission from the Municipal Board.

श्री तनसिंह : Then I seek leave to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : All amendments to sub-clause (3) ?

श्री तनसिंह : एक तो उन्होंने मन्जूर कर लिया है, लेंगवेज में सुधार के बाबत और दूसरा मैं विड्रॉ कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House to allow Shri Tansingh to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

Leave granted

श्री तनसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : The question is that the amendment put in by Shri Tan Singh to sub-clause (3) of clause 3 be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The question is that sub clause (3), as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Sub-clause (3) of Clause 3 stand part of the Bill.

(विराम)

The question is that clause 3, as amended, stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 3, as amended, is added to the Bill.

Page No.96

(श्री उपाध्यक्ष)

Now we adjourn till day-after tomorrow to meet at 11. 00. A. M.

श्री अर्जुनदास : On a point of information, do we meet this Saturday also ?

श्री श्रीभानसिंह : After adjournment there is no point of information.

श्री उपाध्यक्ष : This information can be had from the Secretariat.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४. ३१ म. प. दिनांक ८ नवम्बर, १९५७ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, ६ नवम्बर, १९५७)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	४४१	टौंक से देवली जाने वाले मार्ग पर वर्णा ग्राम के नाले पर पुल का निर्माण।	
सरकार द्वारा चालित कुचामन सिटी स्थित पॉवर हाउस से बिजली की सप्लाई।		द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिरोही जिले में सिंचाई कार्य।	
राजस्थान में कृषि कॉलेज।		सांचोर-बालोत्तरा सड़क पर गत दो सालों में मरम्मत पर खर्च की गई धन-राशि।	
कुचामन नगरपालिका के वार्ड नम्बर १२ के उप-चुनाव की तिथि।		**एम्पलॉयमैण्ट आफिसर की नियुक्ति के नियम**	४७३
दिनांक १-६-५७ तक टूटे हुए तालाबों की संख्या एवं तद्-जनित हानि।		शिवगंज, जिला सिरोही के निवासियों द्वारा सिंचाई के लिए जवाई डैम से सहायक नहर की मांग।	
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुचामन सिटी से दांता-रामगढ़ वाया चितावा तक सड़क निर्माण की योजना।		ग्राम गुढ़ा एन्दला, (जिला पाली) के जोहड़ में सन् १९५६-५७ में काटा गया कुल घास।	
तहसील हिन्डौली, जिला बूंदी में बंध निर्माण।		गजसिंहपुर नगरपालिका के चुनाव की तिथि।	
चक ५१ आर. बी. तहसील पदमपुर में नया मोघा लगाना।		राजपुरा पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव।	
कुचामन सिटी से डीडवाना की सड़क को मेटल्ड एवं कोलतार की बनाने सम्बन्धी योजना।		समेजा नहर (जिला गंगानगर) के विकास इत्यादि हेतु १९५१-५२ में भारत सरकार द्वारा ऋण।	
चक ३८ एम. टी. ई. तहसील सूरतगढ़ की भाखड़ा कैनाल से आज तक हुई आबपाशी।		जवाई बंध के स्टोर का फिजिकल वेरिफिकेशन।	
सन् १९५५ से ५७ तक सरकार द्वारा बीज बोने के लिये अनाज वितरण।		रीजनल यातायात समिति, जोधपुर द्वारा १२ व १३ अगस्त को यातायात सहकारी समितियों को रूट अलॉटमेंट।	
ग्राम कोडरला, जिला सिरोही के समीप बनास नदी के बंध निर्माण की सरकारी योजना।			

Page No.98

फौजदारी मुकदमों के निर्णय में होने वाले विलम्ब के कारणों को जानने हेतु समिति का गठन।

सरूपगढ़–कोटरा सड़क के निर्माण सम्बन्धी शासकीय योजना।

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् खोले गये नये अस्पताल एवं उनमें बैड्स।

कालन्दरी (जिला सिरोही) होती हुई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, सरूपगढ़–सिलदार सड़क के निर्माण की योजना।

बीकानेर व कोटा डिवीजन में आर. डी. ओ. कार्यालय खोलने सम्बन्धी।

सीमेन्ट, टीन व लोहे का गत वर्ष कोटा।

कडाणा ग्राम में बंध निर्माण एवं उससे लाभ या हानि।

राजस्थान जल बोर्ड की जीपें एवं उनके क्रय मूल्य।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, शिव की ओर से रियायती मूल्य पर रेडियो देना।

मंडी सूरजगढ़ (जिला झुंझुनू) में आयात व निर्यात माल पर कर वसूली।

वन विभाग का जनता में बकाया।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति ५०२

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

नाम	अनुपस्थित रहने की तिथियां
१. बृजेन्द्रपाल	४ से १५ नवम्बर, १९५७
२. श्री जयसिंह रानावत	४ से ८ „ „

राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ विधेयक, १९५७

राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ विधेयक, १९५७ पर आज खंडश: विचार प्रारम्भ हुआ। ५८

खण्ड B:—इस पर श्री जगदीशप्रसाद व श्री तनसिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्तावों पर वाद-विवाद हुआ जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री अर्जुनदास
२. श्री पी. के. चौधरी
३. श्री एन. एल. जोशी
४. श्री चन्दनमल वैद
५. श्री पुरुषोत्तमलाल
६. श्री सतीशचन्द्र
७. श्री नारायणसिंह (मसूदा)
८. श्री श्रीमानसिंह
९. श्री ज्वालाप्रसाद
१०. श्री मदनसिंह
११. श्री सोहनलाल भटनागर
१२. डाक्टर चन्द्रकला
१३. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
१४. श्री किशनसिंह
१५. श्री रामचन्द्र वर्मा

Page No.99

६. श्री गोकुलचन्द

७. श्री मुक्तिलाल मोदी

तत्पश्चात् प्रभारी मन्त्री के अनुरोध पर खण्ड २ अस्थगित कर दिया गया।

खण्ड ३:–उप-खण्ड (१):- इस पर श्री श्रीमानसिंह ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो वाद-विवाद के पश्चात् वापस ले लिया गया। उप-खण्ड (१) सदन द्वारा स्वीकृत किया गया।

उप-खण्ड(२):–स्वीकृत किया गया।

उप-खण्ड (३):–इस पर श्री तनसिंह ने दो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिसमें से एक संशोधन प्रभारी मन्त्री द्वारा उत्तर दिये जाने पर वापिस ले लिया गया तथा दूसरा स्वीकार किया गया। तदुपरान्त उप-खण्ड (३) संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

दिनांक ८ नवम्बर, १९५७ की कार्य सूची

१. विधेयकों की पुरःस्थापना

२. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७ (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर देखिये)

सूची तहसील वाइज़ व ग्राम वाइज़ तालाबों की

क्रम संख्या	नाम बन्ध	तहसील व ग्राम	नुकसान का अंदाजा एकड़ों में	मरम्मत का तखमीना रुपयों में	टूटने की जांच के बारे में	देख-रेख करने वाले अधीशासी अभीयन्ता	जमीन जो आबपाश होती थी
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	कानोलाव	फागी कानोलाव	५००	३०००	अतिवर्षा	आधीवासी अभियन्ता सिचाई	६२५
२.	नेनसिया	,, नैनसीया	१२५	४०००	,,	विभाग पूर्वीखंड	१५६
३.	केरीया	,, केरीया	५०	६००	,,	पश्चिमी खंड,जयपुर	१२५
४.	मोजपुरा	,, मोजपुरा	६०	४०००	,,	,, ,, ,,	जागीर से अभी हाल ही में लिया गया
५.	गोकलपुरा	,, गोकलपुरा	४०	८०००		,,	
६.	डाकिया	टोंक, डाकिया	१२५	१४,०००	,,	,,	१३२
७.	पराना	,, पराना		१,७८०	,,	,,	१५०
८.	पारली	,, पारली	१००	६००	,,	,,	२५०
९.	सुकलपुरा	,, सुकलपुरा		७७०	,,	,,	११३
१०.	चन्दलाई	चन्दलाई	४००	५,१७५	,,	,,	४०
११.	अरनीयामाल	अरनीयामाल	१००	२,०००	,,	,,	४००
१२.	लबादर बड़ा	लबादर बड़ा		१,५००	,,		११३

१	२	३					८
१३.	लसारिया	लसारिया	६०	१,५००	अतिवर्षा	प० खंड, जयपुर	७२
१४.	गलवानिया	उनियारा/उनियारा		१७,०००	,,	,,	नया बन्ध
१५.	कालाडेरा	चाकसू /कालाडेरा		५,०००	,,	अधिवासी अभियन्ता सिंचाई, पूर्वीखंड, जयपुर	पानी तारा होने के कारण आज तर्क इससे सिंचाई नहीं हुई।
१६.	पाचोलास	माधोपुर/पाचोलास	आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।	६०००	,,	,,	नयाबंध होने के कारण पिलाई इस वर्ष शुरू होगी
१७.	लोअर कुरका	रूपवास/मैंसा	,, ,, ,,	१०,०००	यह तमाम वर्ष छोटे छोटे व पेटा काश्त थे जो गम्भीर तथा बाण गंगा नदियों में अत्याधीक बाढ़ के कारण टूटे	अधीवासी अभियन्ता सिंचाई अलवर	३०००
१८.	नवीन बिलारा	नदवई/बेलारा	,,	४,०००		,,	२६०
१९.	देहगांव बंध	बयाना/ देहगांव	,,	३,०००		,,	२४०
२०.	अमरहलेना बंध	वैर/हलेना	,,	५,०००		,,	१६०
२१.	लुहासा बंध	,, लुहासा	,,	३,०००		,,	२३०
२२.	जटपुरा	,, जटपुरा	,,	२,०००	,,	,,	१४०
२३.	बान्सी बंध	,, बान्सी	,,	४,०००	,,	,,	३५२
२४.	लालपुरा बंध	,, लालपुरा	,,	५,०००	,,	,,	१२६७
२५.	नागला शेरसिंह बंध	बयाना/नागला	,,	३,०००	,,	,,	२५०
२६.	आर० टी० बंध	बाडी	,,	६,०००	,,	,,	२४६
२७.	सिरोंज बंध	रूपवास/सिरोंज	,,	३,०००	,	,,	१००

Page No.102

२	२	३	४	५	६	७	८
२८.	महलपुर काछली	,, महलपुर		३,०००	,,	अलवर	५४०
२९.	जटवासी बंध	,, जटवासी		८,०००	,,	,,	२००
३०.	गुढ़ा	हिन्डोली	६५००	२,५०,०००	जांच जारी है	अधीशासी अभि यन्ता सिंचाई, बूंदी	नया बंध
३१.	सरवानिय	बांसवाड़ा सागडोद	५००	३६,०००	,,	अधीवासी अभि यन्ता सिंचाई, उदयपुर	,,
३२.	अरबड	शाहपुरा/अरवड़	२०००	३०,०००	,,	अधीवासी अभि-यन्ता, प्रोजेक्ट डिविजन, भीलवाड़ा	,,
३३.	कुवारिया	राजसमन्द/कुवारिया	६०	८,०००	,,	अधीवासी अभि यन्ता, सिंचाई कांकरोली	६०
३४.	चौकड़ी	रेलमगरा/ चौकड़ी	१३८	३०,०००	अति वर्षा	,,	१३८
३५.	मदारा	,, मदारा	१८६	३६,०००	,,	,,	१८६
३६.	बछखेड़ा	शाहपुरा/बछखेड़ा	५०	२,०००	,,	,,	५०

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६१ का उत्तर देखिये)

Statement showing the distribution and recovery of Kharif and Rabi seeds in Mds.

Sl. No.	Name of the District.	Name of the Tehsil.	1955 Rabi			1956 Kharif.					1956 Rabi			1957 Kharif					1957—1958 Kharif					Remarks.
			Wheat distributed.	Wheat Recovered.	Out-standing.	Jowar	Bajra	Mazie	Paddy	Miscell anoous.	Wheat distributed	Wheat recovered	Out standing	Jowar	Bajra	Maize	Paddy	Miscella neous.	Jowar	Bajra	Maize	Paddy	Miscella neous.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
.1	Ajmer.		20511-27-8½	17969-4-11½	2542-22-13					2090-0-0	28298-22-13½	20515 -36-3	—					2017-10-12					444-14-9	Kharif seeds used to be distributed on bari due to failure of crop cost was realised.
2.	Jodhpur.	1. Jodhpur.	706-39-0	515-37-8	243-10-10						1154- 2-0	229- 5-0	992-29-14										18-20-0	
		2. Osian.	1146- 7-1	1315-38-0	212-11-6						1253-39-11	717-21-0	794-22-1										15- 0-0	
		3. Bilara.	4840- 8-3	2800-13-7	3222-32-0	8-0-0					5509- 8-14	796- 6-8	4713- 2-6										64- 0-0	
		4. Pokaran.	150-20-0	52-20-0	98- 0-0																		10- 0-0	
3.	Chittorgarh.	1, Kapasin.	669-10-0	657-14-6	94- 7-0						768-10-0	638-19-1	190-30-0											
		2. Rashmi.	457-22-4	534-34-7	29- 0-0						1035-10-0	893-4-7	334-0 -15											
		3. Chittorgarh.	895-10-0	789- 3-12	1494-10-8						778-25-0	448- 2-0	376-15-15											
		4. Gangrar.	511- 0-0	574-35-0	—						1002-20-0	732- 3-11	235-38-0											
		5. Begun.	529-11-0	524-21-12	70-34-0				7-19-0		729-25-4	756-35-7	113- 0-0				29-10-0							
		6. Pratapgarh.	389-10-0	437-36-4	—						437-36-4	49-38-0	30- 2-8											
		7. Achenera.	33-30-0	37-38-12	—																			
		8. Nimbahera.	462-15-0	347- 5-6	196-10-6						337- 4-0	295-32-14	299-2 -0											
		9. Dungla.	417-20-0	432- 1-6	43-12-8						326- 5-0	308-12-4	74-20-0											
		10. Bhadsar.	147- 0-0	134-22-8	30-32-8						134-22-8	152- 0-0	41- 0-0											
		11. Kanera.	104-10-0	117-11-4	nill						117-11-4	126-32-4	6-20-0											
		12. Choti Sadri.	56-31-0	66-34-12	nill						30- 0-0	17-32-8	7-32-8											
		13. Badi Sadri.	438-16-8	439 23-0	63-28-0						740-35-0	305-24-1	574- 7-4											
			5111-25-12	5174- 2-7	1993- 7-6				7-19-0		6438- 4-4	5165-36-9	9293-22-2				29-10-0							
4.	Sawai Madhopur.	1. Sawai Madhopur.	3163-13-12	nill	nill	25-0-0																		
		2. Gangapur.	4336-25-5							26-0-0	4443-14-0								721-35-0	75-0-0				
		3. [illegible]	200- 7-5																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7.	Sikar.	1. Sikar.									64-17- 8	11- 5- 8	59-15- 0											
		2. Neem-ka-Thana.									525-35- 0	294-37-13	297-27-11											
		3. Sri Madhopur.									631- 5- 0	605-11- 5	165- 1-14											
		4. Danta.									425- 0- 0	499-11-14	32-25- 4											
		5. Laxmangarh.									7-38- 0													
		6. Chirawa.									24-13- 8													
		7. Udaipur Wati.									326- 1- 0													
8.	Jaipur.	1. Sambhar.	4242- 6-10								6214-26- 6													
		2. Sanganr.	1464-17- 2								1983-12- 1													
		3. Bassi.	51-20- 0	Total quantity							363-28- 0	Whole seed												
		4. Kotputli.	224-37- 4								112-28- 0													
		5. Bairath.	508-22- 8	has-been							378- 0- 8	realised	nill											
		6. Jamwa-Ramgarh.	185- 9- 0		nil						117- 8- 6													
		7. Amber.	262-32- 2	realised.							121-33-12													
		8. Kishangarh.	313- 5- 0								370-25-13													
		9. Phagi.	190- 0- 0								125-33-15													
		10. Dausa.	721-32- 0								1011- 2- 0													
		11. Baswa.	—								354-21- 8													
		12. Chaksu.									201- 1- 8													
9.	Bharatpur.	1. Gopalgarh.	2600-13- 0	964-36- 8	479-28-8						2498-10- 6	1251-35- 0	136- 1- 4											
		2. Pahari.	1124-17- 8	226-27- 8	398- 0- 0						1008- 0- 0	766-10- 0												
		3. Sikari.	8731-23-13	3092-37- 8	1797-37-15						6942-15- 0	2999-15- 0	857-20- 0											
		4. Nagar.	1734-30- 0	258-32- 8	704-37- 8						616-30- 2	527-32- 8												
		5. Deeg.	337-20- 0	nill	187-20- 0						888-30- 0	588—5-0												
		5. Bharatpur.	14812- 9- 2	4181-19- 8	4047-21- 2						10794-31-14	3790-38- 8	2206- 5- 6											
		7. Weir.									405- 0- 0	175- 0- 0	50- 0- 0											
		8. Bayana.	1314-14- 7	214-38-12	571-30- 6						1325-32- 8	405-10- 0	331-12- 8											
		9. Rupbas.		140- 0- 0							748- 5- 0	291-22- 8	124- 2- 8											
		10. Nadbai.									1125- 0- 0	440-25- 0	184-15- 0											
		11. Dholpur.	2650-31- 4	21-32- 8	1450-33-12						1207-33- 2	274-19-12	396- 8-10											
		12. Bari.	567- 0- 0	185-35- 0	129- 5- 0						462-13-12	285-25- 0	171- 3-12											
		13. Baseri.	1763-19- 1	173- 5- 2	806-17-11						2467-11- 3	1161-15- 3	209-13- 6											

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७१ का उत्तर देखिये)

Summary of recommendations.

(a) In cases where the accused are on bail the investigating officer should be responsible to direct them to attend on the date of the Challan (Para 4).

(b) In riot cases, the absence of some of the accused should not be considerd as a sufficient reason for not proceeding with the trial against the rest. If the attendance of the co-accused is not secured and is likely to be delayed, proceedings should start against those present (Para 5).

(c) Position in respect of additional staff for process serving agency should be examined (Paras 6 & 7)

(d) The process serving staff should be given some training in elementary provisions of law in respect of process serving (Para 8).

(e) The readers of the courts should ensure that in the Challans or in the list of defence witnesses the addresses of witnesses are given and that these addresses are correctly entered in the summons (Para 9).

(f) The dates of hearing should be fixed by the courts themselves having regard to the possibilty of service being effected (Para 10).

(g) It should be ensured that the court Ahalmads issue summons without the least possible delay (Para 11).

(h) No delay should be allowed to occur in the office of the police parokar and name of the Thana should be mentioned in the summons (Para 12).

(i) Processes of witnesses residing outside the local limits of the jurisdiction of the issuing court should be handed over to the police parokar who would forward them direct to the Thana (Para 13).

(j) No cause of complaint should be given to witnesses that they suffer inconvenience in getting their diet money (Para 14).

(k) Rates of allowances for witnesses, specially of lower economic status, should be fixed so as to fully compensate there for the expenses incurred (Para 15).

(l) The procedure in the Accounts Office should be revised so as to give full discretion to the courts to disburse diet money within the rules sanctioned by the Government (Para 16)

(m) The imprest money with the courts should not be allowed to be exhausted and the courts should be permitted to draw on a consolidated State grant, which should be a provisional head (Para 17).

(n) It should be impressed on the Government employees who have to appear as witness in criminal courts that they should realise their responsibility in this

behalf and that they render themselves liable to criminal prosecution for disobeying court summons (Para 18).

(o) The date for the evidence of the Investigating Officer should be fixed in such a way that he is not called upon to attend the court more frequently than once in a fortnight (Para 19).

(p) The reports submitted by the non-gazetted officers should be endorsed by their superior oficers (Para 20).

(q) References should be made to the Government of India or to other States for reciprocal arrangements with regard to diet money to there employees who attend courts in this State as witnesses (Para 21.)

(r) The Police should take personal interest in getting witnesses on commission examined in cases where the accused is in custody (Para 22).

(s) The Magistrate should not leave the fixation of cause list for the day to his reader but should fix his work in such a way that he can always find some time for taking up fresh challans, when witnesses have come (Para 23).

(t) Bails should not be granted indiscriminately (Para 24)

(u) Courts should not hesitate in taking proceedings for the forfeiture of bonds or surity bonds when the accused or witnesses absent themselves after service (Para 25).

(v) Bonds should be taken from witnesses to apper in the court until discharged finaely (Para 26).

(w) The advisibility of assigning trial of criminal cases only to whole time magistrates so far as possible should be considerd; the Sub-Divisional Magistrates should be entrusted only with the cases under the Preventive Sections of the Cr. P. C. (Para 27).

(x) The advisibility of appointing whole time Magistrates as Additional Sub-Divisional Magistrates should be considered (Para 29).

(y) Separate magistrate with summary powers be appointed to dispose of petty offence. The Tehsildars having provious experience of Magisterial work shall also be invested with magisterial powers for the purpose (Para 30).

(z) Material witnesses should be produced with the Challans and not discharged till the re-cross examination is over. The investigating officer should take much more active interest in the prosecution of cases investigated by him than hitherto (Para 32)

(aa) Frequent transfers of Magistrates should be avoided (Para 34)

(bb) The General Administration Department should examine the question whether the strength

of Magistrates is adequate in each District (Para 35.)

(cc) The District Magistrate should ensure that the magisterial staff with the courts is adequate and efficient (Para 37).

(dd) The whole time magistrates should be given powers to take disciplinary action against the ministerial staff attached to them (Para 38).

(ee) The strength of the prosecution staff should be examined with a view to increasing if it is found that the existing strength is not adequate (Para 39).

(ff) If it can be done within the financial means of Police Department, the prosecuting inspectors and Sub-Inspectors should be Law Graduates, otherwise some attempt should be made to give an office regular training in the job for some years before he is appointed as prosecution inspector. The grant of some sort of allowance to the Prosecuting Inspectors who are Law Graduates may have to be considered (Para 40)

(gg) Head Constables should not be appointed as Parokars (Para 41).

(hh) The Prosecuting Inspectors detailed at the headquarters of each district should properly scrutinise the challans (Para 42).

(ii) The public prosecutor and the prosecuting Inspector should be properly briefed (Para 43).

(jj) The Magistrates should see that the cases are not delayed purposely by the counsel of the parties. They should decide all objections and applications promptly, and check delay on account of tactics of the parties and irrelevant cross-examination (Para 44).

(kk) Though the lawyers have to be accommodated yet the duty is cast on courts to see that speedy disposal of the case is not hindered. Employment of junior counsels by them will greatly improve matters (Para 45).

(ll) The system of scrutinising promptly periodical and daily statements by the courts should be introduced (Pars 46).

(mm) Newly appointed magistrates being inexperienced, steps may be taken for providing judicial training to new hands (Para 49).

(nn) The District Magistrates should ensure that they have enough stock of standard printed froms (Para 50).

(कृपया प्रश्न संख्या ७७ का उत्तर देखिये).

राजस्थान बनने के पश्चात् निम्नलिखित अस्पताल व डिस्पेन्सरियां नई खोली गई तथा उनके सामने दी गई बैड्स की संख्या रक्खी गई।

आर. बी. महिला चिकित्सालय, रतनगढ़	५२
मोमासर डिस्पेन्सरी, जिला बूंदी।	
मेटरनिटी होम, सुजानगढ़।	६
प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र, बीदासर।	६
परिहारा डिस्पेन्सरी, जिला चूरू।	....
सरवा डिस्पेन्सरी, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट।	....
अरनोद डिस्पेन्सरी, जिला चित्तौड़गढ़।	....
भैंसरोड़गढ़, ,, ,, ,,	....
दरियाबाद ,, ,, ,,	---
लोसल डिस्पेन्सरी, जिला सीकर।	६
गुहाला ,, ,, ,,	
छापोली ,, जिला झुन्झुनू।	
महनसर ,, ,, ,,	
उदयपुर ,, ,, ,,	
अलसीसर ,, ,, ,,	
कालोनी ,, ,, ,,	
करेडा ,, जिला भीलवाड़ा	
बड़लियास एड पोस्ट ,, ,,	
हुरडा डिस्पेन्सरी, ,, ,,	
मन्डावर डिस्पेन्सरी, जिला अलवर।	४
बरोड अस्पताल व मेटरनिटी होम।	४०
सिटी डिस्पेन्सरी, अलवर।	
रामपुर डिस्पेन्सरी, जिला अलवर।	
केलवाड़ा डिस्पेन्सरी, जिला कोटा।	
लाडपुरा डिस्पेन्सरी, जिला कोटा।	
पीपलदा डिस्पेन्सरी, जिला कोटा।	
पचभद्रा जिला जालोर।	
बाखासर एड पोस्ट, जिला जालोर।	
भवातड़ा एड पोस्ट, जिला जालौर।	
चीतलवाना एड पोस्ट, जिला जालौर।	

बासड़ा डिस्पेन्सरी, जिला जालौर ।
सीयाना डिस्पेन्सरी, जिला जालौर ।
शिव एड पोस्ट, जिला जालौर ।
नागौर एड पोस्ट ।
गोटन एड पोस्ट, जिला नागौर ।
मागू एड पोस्ट, जिला नागौर ।
डिगाना डिस्पेन्सरी, जिला नागौर ।
बासनी डिस्पेन्सरी, जिला नागौर ।
मेटरनिटी विंग, नागौर जिला ।
बीछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर ।
भैंसलाना डिस्पेन्सरी, जिला जयपुर ।
अमरसर डिस्पेन्सरी, जिला जयपुर ।
जोबनेर डिस्पेन्सरी, जिला जयपुर ।
सादुलशहर डिस्पेन्सरी, जिला गंगानगर ।
कलाना डिस्पेन्सरी, जिला गंगानगर ।
कालू एड पोस्ट, जिला बीकानेर ।
परिवार नियोजन केन्द्र, बीकानेर ।
टी. बी. क्लीनिक, बीकानेर ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौला ।
वेदला डिस्पेन्सरी, जिला उदयपुर ।
सूरजपोल डिस्पेन्सरी, जिला उदयपुर ।
लसाडिया डिस्पेन्सरी, जिला उदयपुर ।
बेडरा डिस्पेन्सरी, जिला उदयपुर ।
केलवा एड पोस्ट, जिला उदयपुर ।
भोपाल सागर डिस्पेन्सरी, जिला उदयपुर ।
सनवाड डिस्पेन्सरी, जिला उदयपुर ।
गांधीनगर डिस्पेन्सरी, जिला जयपुर ।
बसई नवाब, जिला धौलपुर ।
रायपुर डिस्पेन्सरी, जिला पाली ।
सेंवारी एड पोस्ट, जिला पाली ।
कारची डिस्पेन्सरी, जिला पाली ।
सुमेरपुर डिस्पेन्सरी, जिला पाली ।

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ८० का उत्तर देखिये)

Statement showing quota of cement allowed to each district of Rajasthan for the year 1956 in tons.

S. N.	Name of Distt.	Pd. I/56	II/56	III/56	IV/56.
1.	Jaipur City.	280	1120	2500	2500
	Distt.	900	400	840	1260
2.	Jodhpur City.	400	200	200	200
	Distt.	200	100	300	450
3.	Sikar.	250	125	420	630
4.	Sawai-Madhopur	360	200	480	720
5.	Tonk	260	200	240	360
	Bharatpur	260	340	540	810
7.	Jhunjhunu	360	200	360	540
8.	Alwar	120	500	500	810
9.	Nagaur	890	400	480	720
10.	Jalore	60	300	360	540
11.	Barmer	60	400	400	360
12.	Pali	500	250	420	630
13.	Sirohi	200	200	200	180
14.	Jaisalmer	40	40	60	90
15.	Bikaner	900	550	900	1300
16.	Churu	500	300	300	450
17.	Sri-Ganganagar	200	100	360	540
18.	Udaipur	200	400	720	1030
19.	Chittorgarh	150	125	360	540
20.	Bhilwara	800	400	420	630
21.	Dungarpur	40	40	180	270
22.	Banswara	60	60	240	360
2 .	Kotah	40	140	480	720
24.	Bundi	40	80	180	270
25.	Jhalawar	140	70	240	360
26.	Ajmer	--	--	--	--

Statement showing quota of cement allowed to each district of Rajasthan for the year, 1957 in tons.

S. No.	Name of the District	Pd. I/57	Pd. II/57	Pd. III/57
1.	Jaipur city	2500	2500	2500
	„ District	940	1000	800
2.	Jodhpur city	200	200	500
	„ District	400	400	300
3.	Sikar	500	500	300
4.	Ajmer	750	750	800
5.	Tonk	300	300	200
6.	Nagaur	680	700	500
7.	Sawaimadhopur	500	500	400
8.	Udaipur	1000	1000	800
9.	Barmer	340	400	300
10.	Jhalawar	300	300	200
11.	Jalore	500	500	300
12.	Kotah	660	700	500
13.	Bhilwara	580	600	450
14.	Sri-Ganganagar	340	400	300
15.	Junjhunu	480	500	400
16.	Dungarpur	260	300	300
17.	Pali	560	600	400
18.	Chittorgarh	500	500	400
19.	Bharatpur	740	750	500
20.	Bikaner	1240	1240	100
21.	Alwar	750	750	500
22.	Churu	440	460	350
23.	Jaisalmer	100	100	100
24.	Sirohi	340	360	250
25.	Bundi	270	300	250
26.	Banswara	350	350	100

List showing sub-allocation of 2250 tons of Iron & Steel against Non-Agricultural quota for the year, 1956-57,

1.	M/s Iron & Steel Merchants (w) Association, Jaipur		386 tons.
2.	„ Iron & Steel Merchants (w) Association for Sikar,		80 „
3.	„ „ „	for Jhunjhunu	80 „
4.	„ „ „	Sawaimadhopur	80 „
5.	„ Bhanamal & Co..................................	Kishangarh	20 „
6.	„ „	Bharatpur	100 „
7.	„ Madar Bux Waziruddin....................	Dholpur	20 „
8.	„ Shivo Rattan G. Mohatta..................	Tonk	44 „
9.	„ Alwar Iron Syndicate........................	Alwar	128 „
1 .	„ Bikaner Iron & Steel Hardwar Merchants Association Ltd, Bikaner............	Bikaner	60 „
11.	„ „ „	for Churu	20 „
12.	„ „ „	for Sriganganagar	20 „
13.	„ Shive Rattan G. Mohatta..................	Churu	20 „
14.	„ „ „	Sriganganagar	40 „
15.	„ „ „	Bikaner	60 „
16.	„ The United Iron & Steel Merchants Association (Sriganganagar) Ltd......	Sriganganagar	20 „
17.	„ Shive Rattan G. Mohatta..................	Jodhpur	124 „
18.	„ „ „ Jodhpur	for Barmar	60 „
19.	„ „ „ „	Jalore	60 „
20.	„ „ „ „	Nagaur	80 „
21.	„ „ „ „	Pali	100 „
22.	„ „ „ „	Jaisalmer.	20 „
23.	„ Laxmi Stores................................	Sirohi	20 „
24.	„ Iron Syndicate................................	Udaipur	60 „
25.	„ Abul Hussain Sheikh Larjee...........	Udaipur	44 „
26.	„ Agrawal Brothers...........................	Udaipur	60 „
27.	„ Haderali Bazarali............................	Dungarpur	40 „
28.	„ Hazi Allah Bux Essaji....................	Bhilwara	100 „
29.	„ Abdul Hussain Sheikh Larjee............	Banswara	44 „
30.	„ Iron Syndicate...............Udaipur..	for Chhitorgarh	80 „
31.	„ M. K. M. Moosa Bhoy Amin............	Kotah	100 „
32.	„ „ „ „ Kotah	for Bundi	40 „
33.	„ „ „ „ „	Jhalawar	40 „

Total......2250 Tons.

Page No.113

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ८२ का उत्तर देखिये)

राजस्थान जल-बोर्ड गांधीनगर, जयपुर
जीपों की खरीद बैचान की सूची

रु० आ० पा०	
५०००-०-०	श्री रामेश्वरजी टांटिया की जीप १, नं० आर. जे. क्यू. २०७६ ता० १७-६-५६
६५००-०-०	श्री घासीरामजी यादव, अलवर, जीप १, नं० आर. जे.एल. ४२४६ ता. ४-१ ५७
४५००-०-०	श्री नारायण वामन वाल से जीप १, नं० यू० एम० एल० ५४१३ ता ४-१-५७
१००००-०-०	जीप १ नं० आर. जे. एल. २५७८ के ता. ५-१-५७
२५०००-०-०	ता. १८-३-५७ को ५०००) जीप १ नं० आर. जे. पी. ६२ ५०००) जीप १ नं० आर. जे. एल. ८१४ १००००) जीप १ नं०आर. जे. एस. ३६२६ ५०००) जीप १ नं० आर. जे. एस.२६२ २५०००)

रु० आ० पा०	
४५०-०-०	ता. ६-२-५५ जीप १ नं० डी. एल. सी. ७१७६ पुरानी दिल्ली से ओ. डी पी. सोमनी
४५००-०-०	ता. १०-५-५५ जीप १, नं० आर. जे. एल. ३३४८ श्री अब्दुल रसीद से पुरानी।
१२५८१-५-०	यूनाइटेड मोटर्स ऑफ राजस्थान, जयपुर से ११-५-५५ को जीप एक नई
५७५०-०-०	दीवानसिंह एंड सन्स, जोधपुर से जीप १, नं० आर. जे. क्यू. २२५५ ता. १७-५-५५।
५१००-०-०	सरदारखां जोधपुर से जीप १ नं० आर. जे. क्यू. ६ ता. १७-५-५५ को।
५७७५-०-०	वली मोहम्मद जोधपुर से जीप १ नं० आर. जे. पी. २३६ ता. २५-५-५५
५७५०-०-०	श्री बोगमल चतरभुज से पिक अप एक नं० आर. जे. एम. २१ ता० ३१-५-५५
२७००-०-०	श्री नारायण चतुर्वेदी से जीप १ नं० आर.जे. एल. १५ ता० ८-६-५५
४६५०-०-०	श्री कन्हैयालाल शर्मा से जीप १ नं० आर. जे. पी. ६२ ता० १३-६-५५

Page No.114

२१०००-०-० ता. २७-३-५७ को
१०५००) जीप १ नं० आर. जे. एक्स. ४२४८
१०५००) जीप १ नं० आर. जे. एल. ३६६६
२१०००)

२६५०-०-० कोटा से जीप १ बिक्री का ता. ३१-३-५७ को

४७५००-०-० श्री गोर्धनदासजी बिनानी
५०००) जीप १ नं० आर. जे. एल. ५४
५०००) जीप १ नं० आर. जे. क्यू. ६

५०००-०-० ५०००) जीप १ नं० आर. जे. एल. ३३४८
६५००) जीप १ नं० आर. जे. एल. ३५७६
१००००) जीप १ नं. आर. जे. एल. ३६३०
१०५००) जीप १ नं० आर. जे. एल. ४३३०
५५०६) जीप १ नं० आर. जे.पी. २२६ ता. ३१-३-५७ को
४७५००)

४२००-०-० श्री सीतारामजी धूत नावां से जीप १ नं० आर. जे. एस. २६२ ता० १६-६-५५

४०००-०-० श्री पृथ्वीसिंहजी से जीप १ नं० आर. जे. एम. ५४ ता. २४-६-५५

४२००-०-० श्री पुखराजजी जोधपुर से जीप १ नं० आर. जे. क्यू. २०७६ ता० २४-६-५५

३५००-०-० श्री योगराजजी सरदार शहर से जीप १ नं० आर. जे. एल. ८५४ ता० ६-७-५५

१५००-०-० श्री शंकरलालजी सरदार शहर से ब्यूक गाड़ी १ नं० आर. जे. ज़ेड. २५३ ता. ६-७-५५

६१०१-०-० अमेरिकन दूतावास से जीप १ नं० डी. एल. बी. ६१०७ ता. ५-६-५५

४२००-०-० सरदार बलबीरसिंह दिल्ली से जीप १ नं० यू. एस. एल. ५४१३ ता. ५-६-५५

४६८०४-०-० यूनाइटेड मोटर्स ऑफ राजस्थान जयपुर से जीप ४ नई ७-१-५६

५०००-०-० मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी कोटा से जीप १ नं० आर. जे. एल. ३५७६ ता. ७-२-५६

२४६०२-०-० यूनाइटेड मोटर्स ऑफ राजस्थान जयपुर से जीप २ नई ता. ३०-४-५६

४१००-०-० लक्ष्मी मोटर कं० जयपुर पिकअप मोटर १ का १०-४-५७

१२०००-०-० यूनाइटेड मोटर्स ऑफ राजस्थान जयपुर से जीप १ नं. आर. जे. एल. ४३३० ता. २४-४-५६

२४२१-०-० श्री मदनलाल जी पुरोहित डॉज़ मोटर नं० डी. एल. सी. १०८४ ता. ७-८-५६

परिशिष्ट ७

(कृपया प्रश्न संख्या ८५ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE OUTSTANDING DUES AGAINST THE CONTRACTORS, INDIVIDUALS AND GOVERNMENT DEPARTMENT ETC. OVER ONE THOUSAND RUPEES OF FOREST DEPARTMENT, RAJASTHAN.

S. No.	Name of Division.	Year since outstanding	Against whom outsanding.	Amount.	Remarks.
1.	2.	3.	4.	5.	6
1.	Kotah	1950-51	Sri Abdul Gafoor S/o Noor Mohd.	4624.25	
2.	,,	1954-55	,, Hussain Bux, Indergarh	1570.00	
3.	,,	1956-57	,, Ghisu Khan S/o. Khuda Bux.	1054.00	
4.	,,	,,	,, Parsa Banjara, Jagpura	1246.00	A sum of Rs. 632.00 is lying in deposit and Rs. 614.00 is to be recovered only.
5,	,,	,,	,, Baryam Singh, Kotah Jn,	5650.00	
6		,,	,, Chand Mal & Shafiul Rehman, Kotah	7963.95	
7.	,,	1954-55	,, Ram Chandra S/o Birdha	1900.00	
8.	,,	1956-57	,, Madan Lal S/o Radha Kishan Anwa	5850.00	
9.	,,	1948-49	His Highness, Kotah	30360.25	
10.	,,	,,	Municipal Board, Kotah	14412.56	
11.	,,	,,	Tehsil Ladpura Kotah	1777.87	
12.	,,	,,	Bagat Sadar, Kotah	1197.84	
13.	,,	1948-59	Kally Brothers, Ajmer	8298.50	
[illegible]		1948-49	Sri Vazir Mohd. Driver	2308.77	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	Bundi	1956-57	Sri Pinjoo Ram	2047.50	
16.	,,	1950-51	,, Durga Lal, Mali, Sathoor	1275.00	
17.	,,	1947-48	Bundi State Military Deptt. Bundi	1447.94	
18.	,,	1949-50	Bundi Forest Division	9973.91	
19.	,,	,,	Bagar Bundi	17114.00	
20.	,,	1950-51	Immigration Deptt. Jodhpur	1301.19	
21.	,,	,,	Famine Relief Commissioner, Jodhpur	7035.19	
22.	,,	,,	Baroda State, Saurastra	2126.31	
23.	,,	,,	State Grass Farm, Bundi	1549.37	
24.	Jhalawar	1957-58	Police Deptt., Jhalawar	1281.87	
25.	,,	1950-51	Sri Kishan Gopal	2287.00	
26.	,,	1954-55	,, Bhagwan Dass, Contractor	8316.00	
27.	,,	1956-57	,, Satya Prakash, ,,	9210.00	
28.	,,	,,	,, Baryam Singh, contractor, Kotah Jn.	1550.00	
29.	,,	,,	,, Baryam Singh, contractor, (grazing fee)	5490.25	
30.	,,	,,	,, Satya Prakash	1510.00	
31.	,,	,,	,, Satya Prakash (grazing fee)	2793.25	
32.	,,	1955-56	,, Moti Lal	1032.50	
33.	,,	,,	,, Moti Lal (grazing fee)	5936.33	
34.	Tonk	1949-50	,, Niyamullah Khan	3538.75	
35.	,,	1954-55	,, Niyamullah Khan (grazing fee)	3004.58	
36.	,,	1956-57	,, Roshan Khan, contractor, Dander Bir	1267.00	
37.	,,	1948-49	,, Stable Shahpura	1459.83	
38.	,,	,,	Kishangarh Range.	7813.09	
39.	Bharatpur	1948-51	His Highness Bharatpur	5436.66	
		1	His Highness Dholpur	1179.22	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
41.	Bharat pur	1939-49	His Highness Alwar	2961.21	
42.	,,	1950-51	Girai Police, Bharatpur	1245.62	
43.	,,	,,	Municipal Board, Deeg	1030.00	
44.	,,	,,	Goshala Kumer	4000.00	
45.	,,	,,	Jail Deptt.. Dholpur	1996.25	
46.	,,	,,	Nursery Bagat, Dholpur	3450.00	
47.	,,	,,	Municipal Board, Dholpur	6234.42	
48.	,,	1943-49	Mangal Lancers, Alwer	1181.67	
49.	,,	1943-50	Transport, Alwer	2129.69	
50.	,,	1949-51	Second Infantry, Jodhpur	1488.80	
51.		,,	cattle Breeding Farm, Alwer	5854.50	
52.	,,	1949-50	First Infantry, Jaipur	3154.94	
53.	,,	1949-51	Kachhawa House, Jaipur	1557.75	
54.	,,	1946-48	Sri Gokul Chand, contractor	5100.00	
		1956-57			
55.	,,	and 1956-57	,, Jai Kishan Dass, contractor	8500.50	
56.	,,	1948-50	,, Gangadin S/o Balmukand	1805.50	
57.	,,	1955-56	,, Lakha contractor	1054.37	
58.	,,	1949-50	,, Narain Lal	1103.00	
59.	,,	1946-47	,, Thakur Umari	1150.00	
60.	,,	1948-50	Katha Factory, Alwer	12441.50	
61.	,,	1953	Sri Rahim Khan, Jaipur	1000.00	
62.	,,	1947-48	,, Madan Mohan, Forester	4934.50	
63.	,,	1946-47	,, Mukhtiyar Ahmad	3500.03	
64.	,,	1949-50	Forest Department, Dholpur	44402.00	
65.	,,	1949-50	Sri Jakhira Grass Farm Deptt. Dholpur	22194.11	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
66.	Bharatpur	1949-50	Sri Mahkama Khood Maehharia, Dholpur	12639.44	
67.	„	„	Mahkama Sutar Khan, Dholpur	1356.59	
68.	„	„	Mahkama Sikar, Dholpur	1546.67	
69.	„	Smt. 1970	Sri Sanwalia Rundhin, Bhartapur	1548.00	
70.	„	1956-57	Range Officer, Bhartapur	1532.97	
71.	Jaipur	1935-36	Tabela Atish. Jaipur	16496.78	
72.	„	1935-36	Peel Khan Department, Jaipur	4614.62	
73.	„	1936-37	First Infantry, Jaipur	1167.25	
74.	„	1951	First Infnntry, Jaipur (grazing)	1262.75	
75.	„	1955	First Infantry, Jaipur („)	2972.43	
76.	„	1933-34	Sri Kishna S/o Ram chandra	1745.00	
77.	„	„	„ Kalu S/o Ram Chandra	1440.22	
78.	„	1934-35	„ Karim Khan	3101.00	
79.	„	1934-35	„ Dhulia Budha S/o Suga	1085.50	
80.	„	„	„ Bhanwar Lal S/o Ram Lal	1170.52	
81.	„	1942-43	„ Din Mohd	1426.00	
82.	„	„	„ Norang Lal	1794.33	
83.	„	1943-44	„ Vazir Khan	1204.00	
84.	„	1948-49	„ Bhagwan Dass	1329.37	
85.	„	1950-51	„ Hari Ballabh	1601.00	
86.	„	1951-52	„ Harish Chandra	1002.20	
97.	„	„	„ Ram Krishna Rama Kant	1925.00	
88.	„	1952-53	„ Moti Lal	1979.94	
89.	Udaipur	1950-51	„ Hindas Mal Kundan Lal Singhi, Nasirabad	7475.00	
90.	„	„	„ Rang Lal Dup Lal, Udaipur	7702.00	
	„	1954-55	„ Shanti Lal, Contractor, Swaroopganj	7331.25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
92.	Udipur	1950-51	Shri Noor Mohd- Abdul Rahim Basni, Nagore	1002,05	--
93.	,,	,,	,, Khem Chand Biluchisthani	1575.00	
94.	,,	1954-55	,, Magna Dass Lalu	1988.00	
95.	,,	1956-57	,, Jahooruddin	1750.00	
96.	,,	,,	,, Rashul Bhai	3500.00	
97.	Chittorgar	45-46	,, Chunni Lal S/o Labh Singh Sikh, Koth Jn.	6608.00	
9 .	,,	,,	,, Baryam Singh S/o Miyan Singh ,, ,,	4817.19	
99.	,,	1946-57	,, Mohan Lal Panna Lal Ghancha, Udipur	1400.00	
100.	,,	,,	,, Mangal Singh S/o Daulat Singh Mehta Shahpura.	1620.00	
101.	,,	1948-49	,, Mulak Raj S/o Laxmi Dass & Ladha Singh S/o Chanda Singh Bagana Neemcuh.	4020.00	
102.	,,	,,	,, Bodh Raj Singh S/o Khel Singh Bhawani Mandi	1955.00	
103.	,,	50-51	,, Ahmad Jawan Khan S/o Mohd, Jawan Khan Nimbahera	2438.50	
104.	,,	,,	,, Amrik Singh S/o Sunder Singh Beghana Meemuch	1468.00	
105.	,,	,,	,, Ajgar Khan S/o Mohd Sardar Khan Nimbahera.	1247.00	
106.	,,	1951-52	,, Ram Karan S/o Gauri Lal Vijavargia, Bijolia	1650.00	
107.	,,	,,	,, Jamal Khan S/o Rehman Khan Nandalgarh	1500.00	
108.	,,	1954-55	,, Mohd Unish, Basni	12298.00	
109.	,,	,,	,, Hassan Mohd S/o Hazi Daud Nagoree Basni Marwar	1728.00	
110.	,,	,,	,, Ahmad Jaman Khan S/o Mohd Jaman Khan Nimbahera	2544.00	
111.	,,	1956-51	,, Kamruddin Akhbar Ali Bohra, Udaipur	7500.00	
112.	,,	,,	,, Jumak Lal Champa La Pratapgarh	8550.00	
113.	,,	,,	,, Amrik Siagh S/o Sardar Singh Sikh, Udaipur.	12914.88	
114.	,,	,,	,, Triloki Singh, Badi Sadari	40215.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
115.	Chittorgarh	1956-57	Shri Nazar Mohd. Hazi Karim Bax, pratapgarh	1500.00	
116.	,,	,,	,, Kishan Lal S/o Jalam Chand, Chittor. Udaipur	6000.00	
117.	,,	1950	,, Kanheya Lal, Banswara	1000.00	
118.	,,	,,	,, Alam Khan Sardar Khan	1549.00	
119.	,,	,,	,, Ibrahim Hunia, Godhara	1650.00	
120.	,,	,,	,, Pyare Lal Ram Chandra	1788.00	
121.	,,	,,	,, Abdul Kayam Deen Mohd.	1229.00	
122.	,,	,,	,, Adamji Ibrahim, Sanjali	1000.00	
123.	,,	,,	,, Ibrahim Ishmail, Baroda	1162.[illegible]	
124.	,,	,,	, Roop Ram Deo Ram Dhugarpur	3588.03	
125,	,,	,,	,, Shankar Laxmi Chand	1125.00	
126.	,,	,,	,, Subman Bhai Gafoor Bhai Modasa	1468.00	
127.	,,	,,	,, Akbar Ali Hussain Ali, Udaipur	3365.75	
128.	,,	1950-51	,, Mannalal Nathoo Lal	1550.00	
129.	,,	1951-52	,, Mangi Lal Nathooji, Pratapgarh	1500.00	
130.	,,	,,	,, Abdul Rehman, Singamwala	5235.06	
131.	,,	1955-56	,, Birdhi Chand	2000.00	
132.	,,	1956-57	,, Pritam Slngh	2750.00	
133.	,,	,,	,, Mohan Lal Ratan Lal	7406.00	
134.	,,	,,	,, Sujad Singh	2076.00	
135.	,,	,,	,, Akbar Ali	9720.00	
135.	,,	,,	,, Jiwan Ali	8400.00	
137.	,,	,,	,, Janak Lal	3758.00	
138.	,,	,,	,, Ahmad Bux	4126.00	
139.	,,	,,	,, Aboo Hussain	2000.00	
140.	,,	,,	,, Mulk Raj	1350.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
141.	Chittorgarh	1956-57	„ Abdul Rahim Mohd. Hussain	6800.00	
142.	„	„	„ Mohbat Singh S/o Amar Singh	3939.00	
143.	„	„	„ Roshool Bhai Hussain Bhai Mansoori	2131.00	
144.	„	„	„ Imdad Hussain	16686.00	
145.	„	„	„ Deep Singh Mool Singh	1425.00	
149.	„	„	„ Indra Jeet Singh	1180.00	
147.	„	„	„ Mohd. Hussain	2411.00	
148.	„	„	„ Mani Lal Har Govind	2513.00	
149.	„	„	„ Jiwan Ali	5490.00	
150.	„	„	„ Ibrahim Bhai Yakub Bhai	1028.00	
151.	„	1950	Sri Mool Chand Chappia	5549.91	
152.	Sirohi	1943-46	„ Jeewan Ali Gulam Hussain, Udaipur	2318.00	
153.	„	1945-50	„ Bombay State	1041.77	
154.	„	1951-53	„ Nain Mal Modi	2790.47	
155.	„	1956-57	„ Mohd Bhai Ushman Bhai Sirohi Road	2887.00	
156.	„	1952-53	„ Mohd Bhai Ushman Bhai Sirohi Road	1002.85	
157.	„	1952-53	„ Shive Nath Singh, Baria	2005.16	
158.	„	„	„ Jagat Ram Kirting Ji, Nitoda	1629.41	
159.	„	1956-57	„ Mohd Bhai Ushman Bhai Sirohi Road	6512.00	
160.	„	„	„ Hazi Abdullah S/o Gulam Hussain Swaroop-ganj	5235.00	
161.	„	„	Sri Ishmail Bhai Saddiqu Bhai, Nana	2805.00	
162.	„	1954-55	The Abu Vibhag Jungle Kamdar Shahkari Mandhi Abu Road ...	16275.38	
163.	„	1948-49	Chopasani High School, Jodhpur	1095.25	
164.	Jodhpur	1649-50	Sri Gulam Hussain	2070.05	
165.	„	„	„ Rameshwar	2121.25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
166.	Jodhpur	1950-51	„ Kishori Lal S/o Khiv Rai	6000.00	
167.	„	„	„ Umer Gazi	1257.00	
168.	„	„	„ Zorawar Singh	1881.00	
169.	„	1951-52	„ Kanahya Lal	1035.00	
170.	„	„	„ Ganesh Lal	3978.87	
171.	„	„	„ Daulat Singh Mohd. Ushman	6909.87	
172.	„	„	„ Guder Mal	1383.00	
173.	„	1952-53	„ Anar Singh	2831.00	
174.	„	„	„ Chunni Lal	1019.00	
175.	„	1953-54	„ Ahamad Saddiq	1505.00	
176.	„	1954-55	„ Gulam Hussain	5625.00	
177.	„	1955-56	„ Taj Mohd	1363.94	
178.	„	1956-57	„ Ganesh Lawer	1470.00	
179.	„	„	„ Gopi Lal	2422.00	
180.	„	„	„ Bhoor Singh	1165.00	
181.	„	„	„ Hazi Gulam Mustafa	1695.00	
182.	„	„	„ Iftahim Gulam Mustafa	2550.00	
183.	„	„	„ Addul Hakim Hazi Kasam	1050.00	
184.	„	„	„ Noor Mohd.	1180.00	
185.	„	„	„ Hasam Ushman	2775.00	
186.	„	„	„ Gulam Mohd Nasiruddin	2640.00	
187.	„	„	„ Ratan Singh	1285.00	
188.	„	„	„ Amin Khan Dhumi Khan	8320.00	
189.	„	„	„ Shri Amin Khan Dhumi Khan	1866.00	
190.	Baran	1946-47	„ Kanhaiya Lal Kanoongo, Shahbad	3637.00	
191.	„	1947-48	Sri Shyam Singh. S/o Devi Singh Chabra.	1180.00	
192.	„	1952-53	Sri Ram Charan Brahmin Baran	4141.00	
193.	„	1955-56	„ Chand Khan S/o Lal Khan Devri, Madhya Bharat	1400.00	
194.	„	1956-57	Sri Kailash Narain Mohjan Raghogarh.	1135.00	
195.	„	1956-57	„ Shanti Lal Kasba Thana Shahbad	1260.00	
	Ajmer		nill		

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बुधवार, दिनांक ६ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४४३	१८	श्री रामकिशोर व्यास यिद्यु त मंत्री	श्री रामकिशोर व्यास(गृह मंत्री)
४८३	अंतिम पंक्ति	श्री श्रीनाथूराम मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
५०२	१२	श्री नाथूराम मिर्घा	श्री नाथूराम मिर्धा
५०४	२	म्युनिसिपैलिजिज् विधेयक	म्युनिसिपैलिटीज् विधेयक
५०७	१६	लाइन इस से प्रकार।	लाइन इस प्रकार है।
५१५	१	(श्री तनस्हि)	(श्री तनसिंह)
५१८	१	विधेयक, १९५७	विधेयक, १९५७
५२२	२३	thetrwise' इस कलॉज को	otherwise' इस क्लॉज् को
५२०	२८	General Election	General Elections
५५१	२७	which appar in	which appear in
,,	२८	There areex amples	There are examples
,,	अन्तिम से ४	place of there own	place of their own
५७१	५	श्री सोहनलाल भटनगार	श्री सोहनलाल भटनागर
५७२	अन्तिम से ४	छोटी बातों का है यह	छोटी बातों का है। यह
५८३	३	विश्लेशण करियेगा	विश्लेषण करियेगा
५८४	१	विधेयक, १९५७	विधेयक, १९५७
,,	२०	हरिजनों को अधिकारों को	हरिजनों के अधिकारों को
,,	२३	मेरी प्रार्थना	मेरी प्रार्थन है
५८५	१२	पूरा स्टेडी करने	पूरा स्टडी करने
५९०	अन्तिम	है तो सरकार रे	है तो सरकार सारे
५९८	४	exfpectcd"	expected"
,,	१०	enpeeted	expected
,,	१७	वह एक्च्युअलरेंट	वह एक्च्युअल रेंट
,,	३०	जरूर। आयगी मान लीजिये	जरूर आयगी। मान लीजिये
६००	२८	वेल्यु के अन्दर किस तरह	वेल्यु के अन्दर किसी तरह
६०२	१	विधेयध, १९५७	विधेयक, १९५७
६०७	२५	valne well,	value well,
६१६	१७	किटिसिज्म का सवाल	क्रीटिसिज्म का सवाल,
६२७	१८	veandah fixed	verandah fixed

१	२	३	४
६३४	१३–१४ ८	एम्प्लॉय मैंएट ऑफिसर की नियुक्ति के नियम ४७३	एम्पलॉयमैंएट ऑफिसर की नियुक्ति के नियम
६३६ से ६४०	(कॉलम ७ के नीचे)	अधिवासी अभियन्ता सिंचाई	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई
६५५ ६५६	अन्तिम पंक्ति (१, २ व ३ कॉलम्स)	1	41 ,, 1950-51
६५७	अन्तिम (कॉलम ४)	Shri Jakhira Grass	Jakira Grass
६५८	अन्तिम (१ व २ कॉलम्स)	—	91 ,,
६५६	७ (द्वितीय कॉलम)	Chittorgar	Chittorgarh
६६१	अन्तिम से २ (कॉलम्स २ व ३)	lodhpur 1949-50	Jophpur 1949-50